

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
Second Session



[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं]
Vol. VI contains Nos. 41 to 50

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 49 गुरुवार 29 जुलाई, 1971/7 श्रावण, 1893 (शक)
No. 49, Thursday, 29 July 1971/Sravana 7, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या
S. Q. No.

विषय	SUBJECT	
1443. रूरकेला इस्पात कारखाने में श्रमिकों में असन्तोष	Labour trouble in Rourkela Steel Plant	1
1446. केरल द्वारा हड्डी की खाद की किस्म पर नियंत्रण रखने और इस का व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का अनुरोध	Request from Kerala for check on Quality of Bonemeal and take over of its Trade	2
1447. फसलों के बीच के बेकारी के समय में खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Employment to Agricultural Labour during off-season period	4
1450. हाल ही की वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश में फसल को हुई हानि का मूल्यांकन और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Assessment of loss of Crop in U.P. due to recent rains and Central assistance thereof	6
1452. हजारी बाग में अभ्रक की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों में क्षय रोग	T.B. among workers of Mica Mines in Hazaribagh	8
1453. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति फीस	Capitation Fees under ESI Scheme	10
1456. उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यवाही	Steps to increase Fertilizer Production	12

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1457. राज्यों में ग्राम्य रोजगार सम्बन्धी द्रुतगामी योजना की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in implementation of Crash Scheme for Rural Employment in States	13
1460. भिलाई इस्पात कारखाने की बड़े पैमाने पर मरम्मत	Capital repair of Bhilai Steel Plant	14
1463. मध्य प्रदेश में माना शिविर और अन्य स्थानों पर शरणार्थी	Refugees in Mana Camp and other places in Madhya Pradesh	14
1464. उत्तर प्रदेश में ग्राम्य बेरोजगारी दूर करने के लिये द्रुत कार्यक्रम के कार्यान्विन में विलम्ब	Delay in implementation of crash programme for Rural unemployment in U.P.	15
प्रश्नों के लिखित उत्तर ता. प्र. संख्या S, Q. No.	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1441. भूमि अधिग्रहण के बारे में एकरूप कानून	Uniform Land Acquisition Law	16
1442. कोयला खनिजों को चिकित्सीय सुविधाओं सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Medical facilities to Coal Miners	16
1444. भूमिगत जल के लिये दिमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey for underground water	16
1445. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	17
1448. खाद्य तथा कृषि संगठन से बांग्ला देश के शरणार्थियों के लिये चावल	Rice for Bangla Desh Refugees from FAO	18
1349. बागौनी खेती सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजनाएं	Research Projects for Dry Land Agriculture	18
1441. छोटे किसानों के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for small Farmers	19
1454. कुछ दुर्लभ भारतीय पशु पक्षियों को बुडापेस्ट हंगरी भेजने के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for Delegation of Rare Indian birds and animals to Budapest, Hungary	19
1455. बिहार में रबी की फसल को क्षति और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Damage to Rabi Crop in Bihar and Central Assistance therefor	19
1458. वर्षा के कारण रबी फसल के क्षतिग्रस्त होने के बारे में बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का केन्द्र को प्रतिवेदन	Report by Bihar ex-Chief Minister to Central regarding damage to Rabi Crop due to Rains	20

अता. प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1459. कोयला खानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	Scholarship to Children of Employees Working in Coal Mines	20
1461. दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Agriculture Ministers held in Delhi	20
1462. पंजाब में राजकीय मुर्गी पालन फार्मों के कार्यकरण की जांच	Probe in to working of State-owned Poultry Farms in Punjab	22
1465. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न को लाने ले जाने आदि की लागत	Operational cost of handling food-grains by FCI	23
1466. सेवा सुरक्षाहीन श्रमिकों के लिये श्रमिक पूल प्रणाली	Labour pool system for unprotected Labour	23
1467. इण्डियन डेरी कारपोरेशन	Indian Dairy Corporation	24
1468. पश्चिम बंगाल में दीवालिया सहकारी समितियां	Co-operative Societies in West Bengal gone in Liquidation	25
1469. उद्योगों का वर्गीकरण	Classification of Industries	25
1470. मद्रास के निकट मनाली में उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना	Fertilizer Complex at Manali, Madras	25

अता. प्र. संख्या
U. S. Q. No.

6262. वर्ष 1971-72 में उर्वरकों का उत्पादन और खपत	Production and Consumption of Fertilizers during 1971-72	26
6263. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम को घटिया किस्म के गेहूँ की सप्लाई	Supply of inferior quality of Wheat to Assam by Food corporation of India	28
6264. तोरिये के मूल्य में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Edible oil due to increase in price of Rape Seeds	28
6265. केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को बारौनी के लिये सहायता दिया जाना	Central Assistance to Kerala for Dry Farming	28
6267. आसाम में सली धान की काश्त	Cultivation of sali Paddy in Assam	29
6268. भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा द्वारा आसाम को चावल सप्लाई किया जाना	Failure of FCI Punjab Branch to Supply rice to Assam	29
6269. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के कारण खरीफ की फसल को क्षति	Damage of Kharif crop due to rains in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Delhi	30

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6270. पंजाब में उर्वरक के मूल्य में वृद्धि और उन्हें सस्ती दरों पर सप्लाई करने के लिये कार्यवाही	Increase in price of fertilizers and Steps to supply them at cheap rate	30
6271. पंजाब में भूमिगत जलाशय के लिये सर्वेक्षण तथा ऐसा जलाशय बनाने पर खर्च	Survey for underground water reservoir in Punjab and expenditure on construction of such reservoir	31
6272. पंजाब में उर्वरक की कमी	Shortage of Fertilizer in Punjab	31
6273. केरल के क्विलोन, एलप्पी और कौट्टयम जिलों का कृषि सम्बन्धी विकास	Agricultural Development of Quilon, Alippy and Kottayam Districts of Kerala	33
6274. कृषि कार्यों के लिये केरल को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to Kerala for Agricultural purposes	34
6275. बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत निरीक्षण कार्यालय	Inspectorate offices under employees Provident Fund in Bihar	34
6276. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बिहार में हजारीबाग जिले में अन्नक क्षेत्रों के लिये जीप की खरीद	Purchase of jeep by Employees provident Fund Organisations for Mica Fields in Hazaribagh District (Bihar)	35
6277. मानाग्रुप के कैम्पों के कैम्प कमांडेंट के विरुद्ध आरोप	Allegations Against Camp Commandant of Mana Group of Camps	35
6278. 1951 और 1971 में दूध की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capital consumption of Milk in 1951 and 1971	36
6279. सहारनपुर जिले (उत्तर प्रदेश) की मंडियों में कुप्रथाएं	Malpractices in Mandis of Saharanpur District (U.P.)	37
6280. पटसन श्रमिकों के लिये नियुक्त पटसन मजदूरी समिति द्वारा की गई धीमी प्रगति	Slow Progress by Wage Committee for Jute Workers	38
6281. बहु फसलीय कार्यक्रम के बारे में प्रयोगिक परियोजना के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for pilot Project on Multiple Cropping	38
6282. बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सहायता	U.N. Assistance for Refugees from Bangla Desh	39
6283. चीनी में उत्पादन में कमी	Shortfall in Production of Sugar	39
6284. कलकत्ता गोदी पर सामान्य कार्य मजदूरों को नियमित बनाना	Decasullisation of General Purpose Mazdoors Working at Calcutta Docks	40

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6285. कलकत्ता गोदी के सामान्य कार्य मजदूरों का पंजीकरण	Registration of General Purpose Mazdoors of Calcutta Dock	41
6286. उर्वरक खरीदने के लिये किसानों को सुविधाएं	Facilities to Farmers for purchase of Fertilisers	41
6287. मध्य प्रदेश के सिधौ जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण की उपपत्तियां	Findings of Geological Survey in Sidhi District in Madhya Pradesh	41
6288. राज्य के उद्योगों के कर्मचारी राज्य बीमा के व्यय के कुछ भाग को केन्द्र द्वारा वहन किये जाने के बारे में तमिलनाडु का अनुरोध	Tamil Nadu Request to Centre to Bear part of ESI Expenditure of State Industries	42
6289. पश्चिम बंगाल में पूर्ति और निष्पान महानिदेशालय के साथ लघु उद्योगों के ठेके	Contracts of Small Scale Industries in West Bengal with DGS&D	42
6290. मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना को क्रियान्वित करना तथा सिंचाई उपकरण की दर	Implementation of Lift Irrigation Scheme in Madhya Pradesh and rate of Irrigation Cess charged	43
6292. शिल्पियों के प्रशिक्षण के बारे में पंजाब के आर्थिक तथा सांख्यिक संगठन द्वारा अध्ययन	Study by Punjab Economics and Statistical Organisation Regarding Training of Craftsmen	43
6293. वनस्पति कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस	Licence for setting up Vanapati Factory	44
6294. पश्चिम बंगाल में गन्ना फैक्टरी और चीनी मिल के लिये वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध	Request for Financial Assistance for Opening Sugarcane Factory and Sugar Mill in West Bengal	44
6295. केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के कृत्य	Central Land Reforms Committee	44
6296. शेरों तथा चीतों की संख्या तथा उनके संरक्षण हेतु कार्यवाही	Population of lions and Tigers and Steps for their preservation	45
6297. केरल में भूमि सुधार उपाय लागू करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Implementation of Land Reform in Kerala	46
6298. मैसूर में माल्पे में मत्स्य पतन बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for Malpe Fishing Harbour, Mysore	47
6299. खनन तथा धातु विज्ञान में रूस का सहयोग	USSR Collaboration in Mining and Metallurgy	48
6300. खराब आर. एस. 09 ट्रैक्टरों का वापिस करना और किसानों को मुआवजे का भुगतान	Return of Defective RS-09 Tractors and payment of Compensation to Farmers	48

6301. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध ढाँचे का बदला जाना	Overhauling of set up of Hindustan Steel Ltd,	49
6302. ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्य- क्रम में पाली और उदयपुर जिलों क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यों को शामिल करना	Inclusion of Rural Works Progra- mme of Pali and Udaipur Dist- ricts Regions under Crash pro- gramme of Rural Employment	49
6303. उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर में माइलो तथा अनाज के गोदामों का निर्माण	Construction of silos and Grain Godowns in Bulandshair (Uttar Pradesh)	50
6304. कृषि अनुसन्धान की भारतीय पि. ए. एस. द्वारा किसानों की स्थिति का अध्ययन	Study of condition of farmers by Indian Council of Agricultural Research	50
6305. अखिल भारतीय सलाहकार तथा परामर्श दाता समितियों में कृषकों की नियुक्ति का मापदंड	Criteria of appointment of farmers on All India Consultative and Advisory Bodies	51
6306. कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees provident Fund with Employees	51
6307. उत्तर प्रदेश बिहार और तमिलनाडु में चीनी मिलों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears on account of Sugarcane price from Sugar Mills in U.P. Bihar and Tamil Nadu	52
6309. केरल स्थित बेपौर मत्स्य बन्दरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project report on Beypore Fishing Harbour, Kerala	53
6310. बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये दिये जाने वाले राशन की चोर बाजारी	Black marketing in Rations for Bangla Desh Refugees	54
6311. बारानी कृषि योजना का उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Dry Farming Scheme on Production	54
6312. जून और जुलाई, 1971 में वर्षा के कारण फसलों को हुई हानि का अनुभव और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Estimate of damage of crop due to rains in June and July 1971 and Central Assistance therefor	55
6313. गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रयुक्त किये जाने वाले लौह अयस्क के निक्षेप पाया जाना	Discovery of deposits of Iron Ore for use in Production of Hydro- gen in Kutch Areas of Gujarat	55

6314. पंजाब में बारानी खेती के लिये एक अनुसन्धान परियोजना की स्थापना	Establishment of a research project for dry land agriculture in Punjab	56
6315. गन्ने के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Sugarcane Price	56
6326. वन बाहुल्य राज्य में वन का विकास	Development of forest in forest rich States	57
6317. औद्योगिक केन्द्रों में कोयले का संकट	Crisis of coal at industrial centres	58
6318. 1969-70 के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने में हड़ताल के लिये जिम्मेदार राजनैतिक दल	Political party responsible for strike in Bhilai Steel Plant during 1969-70	59
6319. हजारी बाग में अभ्रक की खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम	Prevention of accidents in Mica Mines Hazaribagh	59
6320. पश्चिम बंगाल स्थित बज बज क्षेत्र के लिये राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल का खोला जाना	Commissioning of ESI Hospitals for Budge Budget Area-West Bengal	59
6321. बेरोजगार प्रशिक्षित व्यक्ति	Trained unemployed persons	60
6322. खाद्यानों का आयात बन्द करके धन का बचाया जाना	Savings on account of stoppage of import of Foodgrains	60
6323. मनीपुर में वन्य क्षेत्रों को झुमिया खेती क्षेत्र में बदलना	Conversion of forest area for Jooming cultivation in Manipur	61
6324. मनीपुर में श्रमिक कल्याण विभाग	Labour Welfare in Manipur	62
6325. मनीपुर में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	Cooperative Training Programme in Manipur	62
6326. मनीपुर में मसालों की खेती सम्बन्धी प्रयोग	Experiment in Cultivation of spices in Manipur	63
6327. आगामी रबी फसल के लिये बिहार के किसानों को चने के बीजों की सप्लाई	Supply of Gram seeds to farmers of Bihar for next Rabi Crop	63
6328. हरियाणा और राजस्थान में ढोरो की नस्ल सुधारना तथा दूध और घी की सप्लाई पर इसका प्रभाव	Improvement of Cattle Breeds in Haryana and Rajasthan and its effect on Supply of Milk and Ghee	64
6329. किसानों की उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई	Supply of improved variety of seeds to Farmers	64
6330. आयातित भेड़ें तथा उनकी उपयोगिता	Sheeps Imported and their utility	64

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6331. किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया तथा डिअमोनियम पोटाश की उपलब्धि	Available of Urea and Diammonium Potash to farmers at cheap rates	65
6332. आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों तथा पौधों के लिये कीटनाशक औषधियों की खपत तथा खाद्यान्न के उत्पादन पर उनका प्रभाव	Consumption of Fertiliser and Plant Pesticides in Andhra Pradesh and its effect on production of food	66
6333. आन्ध्र प्रदेश में बसे बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय	Burma Repatriates Settled in Andhra Pradesh	66
6334. चीनी जांच आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Sugar Enquiry Commission	67
6335. भारतीय बन्ध की केन्द्रीय समिति द्वारा उड़ीसा का दौरा	Visit of Indian Forest Service Central Committee to Orissa	67
6336. केन्द्रीय श्रमिक संगठन को मान्यता देना	Recognition to Central Labour Organisation	68
6337. भिलाई इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss incurred by Bhilai Steel Plant	68
6338. मत्स्य क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिये योजना	Scheme for boosting up fisheries	69
6339. पश्चिम बंगाल में नये भूमि सुधार के अन्तर्गत भूमि के अधिकारों के रिकार्ड की पूर्ति	Completion of records of rights of land under new land reforms Act of West Bengal	70
6340. ई.पी.डी.पी. कालोनी कालकाजी नई दिल्ली में प्लॉटों का आवंटन	Allotment of Plots in EPDP Colony Kalkaji/New Delhi	71
6341. दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से वसूल किया गया भूमि किराया	Ground Rent Collected from West Pakistan Displaced Persons in Delhi New Delhi	72
6342. ई.पी.डी.पी. कालोनी कालका जी, नई दिल्ली में नगर निगम के शुल्क	Municipal Charges in EPDP Colony, Kalkaji, New Delhi	72
6343. कोयला कर्मचारी संघ की मुदाम-डीह शाखा के मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देना	Memorandum to Managing Director of National coal development Corporation by Secretary of Mudamdih Branch of coal Workers Union	73
6344. ईंट के भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों पर श्रम सम्बन्धी कानून लागू किया जाना	Application of labour laws to brick kiln workers	74

6345. नन्दिनी पत्थर खदान में खान अधिनियम लागू करना	Application of Mines Act to Nandini store quany	74
6346. हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा प्राप्त किये गये ऐल्युमीनियम का वजन किया जाना	Weighing of aluminium received by Hindustan Aluminium Corporation of India	75
6347. उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड में व्यावहारिक पोषाहारी कार्यक्रम	Applied Nutritional Programme in C.D. blocks in Uttar Pradesh	75
6348. पुनर्वास बोर्ड	Board of Rehabilitation	75
6349. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में काम करने वाले कर्मचारियों का नियमित किया जाना	Regulation of workers working in Hindustan Steel works Construction Ltd. Calcutta	76
6350. केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक	Meeting of Central Trade Union Organisations	77
6351. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता में इस्पात मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of recommendation of steel Wage Board in Hindustan Steel Works Construction Limited, Calcutta	77
6352. चतुर्थ टिन करार के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद् द्वारा टिन के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Tin prices by International Tin Council under Fourth Tin Agreement	78
6353. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Hindustan Zinc Limited	79
6354. खाद्यानों की क्षति और उनको वर्षा से बचाने के लिये योजना	Damage to Foodgrains and Scheme for their protection from Exposure of rains	80
6355. पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलन का प्रभाव	Impact of Co-operative movement in West Bengal	80
6356. माना शिविर से शरणार्थियों का अन्य स्थानों को भेजा जाना	Dispersal of refugees from Mana Camp	80
6357. दिल्ली को अधिक उपज देने वाले बाजरे के बीजों की सप्लाई में विलम्ब	Delay in supply of high yielding Bajra seeds to Delhi	80
6358. उत्तर प्रदेश में गोदाम की सुविधाओं के अभाव के खाद्यान्नों की क्षति	Damage to foodgrain in Uttar Pradesh due to lack storage facilities	81

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6359. सहकारी विकास योजनाओं से छोटे किसानों को मिलने वाला लाभ	Benefit to small farmers from Co-operative Development Schemes	82
6360. दिल्ली में अधिगृहीत की गई कृषि भूमि और उसके लिये दिया गया मुआवजा	Agricultural land acquired in Delhi and Compensation paid therefor	82
6361. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों को परिवहन आवासी सुविधाएं	Transport/accommodation facilities for workers of Hindustan Steel works construction Ltd. Calcutta	82
6362. तमिलनाडु के चीनी कारखानों में चीनी के भंडार का निपटान	Clearance of sugar stock in sugar factories of Tamil Nadu	83
6363. राज्यों में भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिये अनुरोध	Request for Survey of underground water in States	83
6364. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में रोजगार के अवसर	Job opportunities in Durgapur Steel Plant	84
6365. अलोह धातुओं के लिये सर्वेक्षण	Survey for Non-ferrous Metals	84
6366. गैर सरकारी चीनी मिलों को अधिकार में लेने के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh for taking over Private Sugar Mills	85
6367. पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूम में चावल की मिलों से वसूल किया गया चावल	Rice procured from rice mills in district Birhum (West Bengal)	85
6368. पशुपालन योजनाओं के लिये वित्तीय परिव्यय	Financial outlays for Animal Husbandry Schemes	86
6369. डेरी परियोजनाओं और दुग्ध उत्पादन संयंत्रों की क्षमता	Dairy projects and Capacity of Milk Producing Plants	86
6370. बंगला देश शरणार्थी राहत निधि	Bangla Desh Refugees Relief Fund	87
6371. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां	Official Language Implementation Committees	87
6372. अहमदपुर (पश्चिम बंगाल) की गन्ना फैक्टरी	Sugarcane Factory, Ahmedpur (West Bengal)	88
6373. इंजीनियरिंग परामर्शदाता मैसर्स दस्तर कम्पनी	M/s Dastur and Company, Engineering Consultants	88
6374. राजस्थान जे.के. कर्मचारी यूनियन की रसायन उद्योग में सम्मिलित किये जाने की मांग और रसायन उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Demand by Rajasthan J.K. Karmachari Union for inclusion of man-made fibre manufacturing group in chemical industry and Application of Recommendations of Chemical Wage Board	89

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6375. पूर्व बंगाल से आकर नेफा क्षेत्र में बसे व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी	Displaced persons and ex-Army Personnel from East Bengal settled in NEFA Area	89
6376. तुमकूर मैसूर में बारानी फार्म नारियल का विकास	Development of Dry Farm Coconut in Tumkur, Mysore	
6377. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को केन्द्रीय सहायता देने के लिए केरल का अनुरोध	Request from Kerala for Central Assistance for deep sea fishing industry	91
6378. केरल में बारानी खेती योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project under Dry Farming Scheme in Kerala	91
6379. पोलिथीन से ढककर खाद्यान्नों की बोरियां रखना	Foodgrain bags stocked under Polythene cover	92
6380. बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये विशाल शिविर की स्थापना	Setting up of Giant Sized Camps for Refugees Bangla Desh	92
अविलम्बीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	93
आसाम और त्रिपुरा सीमा पर भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हाल में गोलाबारी किये जाने का समाचार	Reported recent Pakistani shelling into Indian territory on Assam and Tripura border	93
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री कृष्णचन्द्र पंत	Shri K.C. Pant	98
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	99
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya-Sabha	99
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन (विधेयक पुरः स्थापित	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill-Introduced	99
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971	Finance (No. 2) Bill, 1971	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	99
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri N.K. Sharma	100
श्री जम्बुवंत धोते	Shri Jambuwant Dhote	101
डा० वी०के०आर० वर्दराज राव	Dr. V.K.R. Varadaraja Rao	102
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mailikarjun	104
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी	Shri N.K. Sanghi	10
श्री पी०के० देव	Shri P.K. Deo	108
श्री बी०पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya	110

विषय	Subject	पृष्ठ Page
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	112
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri S.S. Mohapatra	112
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	113
श्री डी०एन०तिवारी	Shri D.N. Tiwari	114
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	115
श्री याज्ञिक	Shri Yajnik	116
श्री वाई०एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	117
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	119
प्रो० शिबबन लाल सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	119
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	120
श्री एस०ए० मुरुगनन्तम	Shri S.A. Muruganantham	120
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	122
खंड 2 से 7	Clauses 2 to 7	128
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	128
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	128

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 29 जुलाई, 1971/7 श्रावण, 1893 (शक)
Thursday, July 29, 1971/Sravana 7, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूरकेला इस्पात कारखाने में श्रमिकों में असन्तोष

*1443. श्री एस०एस० महापात्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में आजकल श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस०एस० महापात्र : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री महोदय का आशय यह है कि श्रमिक असन्तोष से उत्पादन प्रभावित हुआ है तो उनका यह विचार ठीक है । पिछले एक वर्ष से यह श्रमिक आन्दोलन चल रहा है किन्तु अब इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है । इस सम्बन्ध में मैं उड़ीसा के एक समाचार पत्र 'समाज' का हवाला देना चाहता हूँ जिसमें उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने रूरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात गलन वर्कशाप के प्राधिकारियों द्वारा जबरी छुट्टी किए जाने की घोषणा पर चिन्ता व्यक्त की है । क्योंकि इस्पात गलन वर्कशाप की 1000 वर्ग मीटर की छत गिर गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न श्रमिक असन्तोष के बारे में है ।

श्री एस०एस० महापात्र : क्या यह सच है कि रूरकेला प्राधिकारी इस्पात गलन वर्कशाप में जबरी छुट्टी करने वाले हैं, जिससे कि अत्याधिक श्रमिक असन्तोष फैलने की आशंका है ?

श्री मोहन कुमार मंगलम : जहां तक मुझे जानकारी है रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के समक्ष छत के गिरने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की जबरती छुट्टी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री एस०एस० महापात्र : मंत्री महोदय ने सदन में दिए गए अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि छत वर्षा के कारण गिरी किन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि छत केवल वर्षा के कारण ही नहीं गिरी छत पर काफी मात्रा में लोहा तथा धूल जमा हो गई थी जिसके कारण पानी जंग लगी पाइपों के भीतर ठीक से नहीं निकल सका। इस सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष एक फोटो प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मुझे काफी कठिनाई से प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। यह प्रश्न छत के गिरने के बारे में नहीं है। मैं इसे पूछने की अनुमति नहीं देता। आपने श्रमिक असंतोष के बारे में प्रश्न किया है और उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है और अब आप छत गिरने के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री मोहनकुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय यद्यपि आपने प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया है फिर भी मैं माननीय सदस्य के भ्रम को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मैंने अपने पिछले वक्तव्य में यह कहा था कि छत वर्षा के कारण गिरी जब कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और न ही मुझे इसके कारणों का पता है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छत गिरने की वजह से जो काम रुक गया था उसे फिर से सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ समय लगेगा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन कर्मचारियों की सेवाओं को, जो इस तालाबन्दी से प्रभावित हुए हैं, फिर से जारी रखा जाएगा तथा क्या उन्हें फिलहाल संयंत्र में कुछ वैकल्पिक कार्य करने को दिया जाएगा?

श्री मोहन कुमार मंगलम : रूरकेला इस्पात संयंत्र में कोई तालाबन्दी नहीं हुई। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमें विश्वास है कि वह लोग अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त संयंत्र में अन्य कार्य करने में सहायता देंगे। अतः उनके सहयोग से हम उत्पादन बढ़ाने तथा जबरती छुट्टी रोकने में समर्थ होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विशेष इस्पात गलन वर्कशाप में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? जैसा कि मंत्री महोदय का कहना है कि कर्मचारियों को जबरती छुट्टी नहीं दी जायेगी यह प्रसन्नता का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एल डी कनवर्टर्स तथा बात भट्ठी के बन्द हो जाने से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे तथा उन्हें इस्पात संयंत्र में किस किस प्रकार का वैकल्पिक कार्य दिया जा सकता है?

श्री मोहन कुमार मंगलम : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

Shri R. V. Bade : The hon ministers says that there was no lock out or strike but actually a strike did occur. The workers there had complained about the workings of the contractor. The foundation was weak and dust was lying on the roof consequently there had been a strike and even two murders occurred there.

Mr. Speaker : He has said that it is not correct.

केरल द्वारा हड्डी की खाद की किस्म पर नियंत्रण रखने और इसका व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का अनुरोध

1446. श्री एम० के० कृष्णन् : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हड्डी की खाद की किस्म पर नियंत्रण रखने और उसका सारा व्यापार अपने हाथ में लेने सम्बन्धी कोई ज्ञापन केरल से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भाग पर विचार कर लिया है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, हाल ही में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) (i) **गुण नियंत्रण :** बोनमील (कच्ची और वास्पित) की विनिष्ठियां उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 की अनुसूची में सम्मिलित कर ली गई हैं, जिससे कि इसकी श्रेष्ठता को सुनिश्चित किया जा सके। निम्न कोटी का बोनमील बेचना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य सरकार, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू कर रही है अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए सक्षम हैं। अतः केरल सरकार से मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) (ii) **राज्य व्यापार :** यह मंत्रालय बोनमील का व्यापार सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं समझता है।

श्री एम० के० कृष्णन : महोदय, वक्तव्य में कहा गया है कि निम्नकोटि का बोनमील (हड्डी की खाद) बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है और राज्य सरकार जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेशों के उपबन्धों को लागू करती है, दोषियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने में समर्थ है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बोनमील बनाने वाले लगभग सभी कारखाने केरल से बाहर हैं ? इसलिए उन कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही करना राज्य सरकार के लिए कठिन है।

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : कोई भी वितरक जो निम्न कोटि का माल बेचता है। जरूरी नहीं कि वह केरल का ही हो। किसी भी वितरक या डीलर पर निम्न कोटि का माल बेचने के लिए मुकद्दमा चलाया जा सकता है और राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही करने में सक्षम है।

श्री एम० के० कृष्णन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जुलाई के दौरान कृषकों को असामान्य कीमतें देनी होंगी या सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी और बोनमील के मामले में राज्य व्यापार शुरू करेगी।

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : बोनमील में फास्फेट होता है और अच्छा फास्फेट देश में कम मूल्य पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है अतः मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री बिभूति मिश्र : प्रश्न 1447 ।

मानवीय मंत्री श्री शेर सिंह खड़े हुए ।

एक मानवीय सदस्य : यह प्रश्न श्रमिकों के बारे में है कृषि मंत्रालय का इससे क्या सम्बन्ध ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

Employment to Agricultural Labour During Off-Season Period

*1447. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) Whether Government have formulated any scheme to provide employment to agricultural labourers during off-season period; and

(b) if so, the main features thereof ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना वर्ष 1971-72 में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से अप्रैल 1, 1971 से आरम्भ की गई है । यह योजना राज्य सरकारों । केन्द्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत सहायता से कार्यान्वित की जाती है । अतिरिक्त रोजगार श्रम प्रधान तथा स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियाँ तैयार करने वाली विभिन्न क्रिस्मों की ग्राम परियोजनाओं के जाल के माध्यम से पैदा करने का इरादा है । प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 व्यक्तियों को वर्ष भर में 10 महीनों के लिए 100 रुपये प्रति मास तक की मजदूरी पर रोजगार दिया जाता है । मजदूरी की लागत के एक चौथाई भाग के बराबर की राशि सामग्री तथा उपकरणों आदि के लिए उपलब्ध होगी । परिव्यय की राशि 12.5 लाख रु० प्रति जिला प्रति वर्ष है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, it was already known to us but the question is that unemployment will be provided to 1000 persons in every district. There are 1 lakh and 25 thousand persons in an Assembly Constituency and the hon. Minister comes from rural area, he knows well the number of unemployed persons out of these 1 lakh and 25 thousand persons. What nature of employment will be provided to these 1000 persons ? Besides, 25 per cent of the wage cost will be spent on materials and equipments and 75 per cent will be given to the labourer,.....(Interruptions).....May I know whether Government wants to remove rural unemployment only through agriculture or they have formulated any other scheme to remove unemployment on large scale ?

Shri Sher Singh : The hon. Member has raised objection to the 25 per cent of the wage cost which will be spent on materials, and equipment but in fact materials and equipment are required for all type of projects which create durable assets. Therefore, Rs. 2 lakh 50 thousand have been made available for this purpose and the rest of the amount of Rs. 10 lakhs is for wages. This scheme is meant for providing employment in rural areas during off season to the unskilled labour and under-employed persons. It is time that the number of unemployed persons may exceed 1000 in every district. It is not possible that this scheme will provide employment to all. But it will provide job to such persons in certain areas, who are sitting idle for a long time in a year and at the same time some assets may be created.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister's reply is different from my supplementary. During rainy season people usually sit idle for four or five months. How the work pertaining to soil will be done in rainy season?

Shri Sher Singh : It is true that unemployment condition exists during rainy season but sometimes it does not exist. Men are not available. A period of 10 months in a year has been fixed in this Scheme. It is possible that work may not continue for 10 months. This Scheme should cover about 3 lakh man-days. For that purpose nothing is rigid about 10 months or 1000 persons. 3 lakh man-days must be completed. There is enough flexibility in this Scheme.

Shri Bibhuti Mishra : Gandhiji started charka and cottage industries in order to remove rural unemployment. To-day the situation has arrived at such a stage that even the leaders of the Congress Party do not wear Khadi garments and the Opposition is far away from the use of Khadi. May I know whether Government is formulating any scheme, which is non-flexible, to remove rural unemployment? The Government should formulate a concrete scheme so that Naxalite movement may be allayed. May I know from Shri Fakharuddin Ali Ahmed, who is an old Gandhian, as to what steps he is going to take to remove rural unemployment?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : The schemes which have been taken up recently will not be able to remove the whole unemployment. It has been taken up as a pilot project and it will be tried for a year in order to see its impact. During the coming year it will be continued and efforts will be made to remove rural unemployment.

श्री भगवत झा आजाद : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि बेरोजगारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि प्रत्येक जिले में जितने लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किये हुये हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं तथा कितने प्रतिशत लोगों को काम मिला हुआ है? यदि हां, तो जिले में प्रति हजार व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं? इसका प्रतिशत क्या है—क्या यह 0.002 प्रतिशत का अथवा 2 प्रतिशत है?

श्री शेर सिंह : जिला रोजगार कार्यालयों में सभी लोग नाम दर्ज नहीं करवाते हैं। हां, कुछ शिक्षित लोग, जो रोजगार चाहते हैं, अपना नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज करवाते हैं। परन्तु बेरोजगार लोग भी अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, इस योजना द्वारा मुख्यतया अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, जो फसलों के बीच के बेकारी के समय में साल में कई महीनों तक बेकार बैठे रहते हैं और उस रोजगार से कुछ स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियाँ 'इन्फ्रा-स्ट्रक्चर' के रूप में तैयार की जायेंगी ताकि उससे भविष्य के लिए भी रोजगार मिल सके।

Dr. Govind Das Rechharia : The hon. Minister has just now stated that the order of outlay is Rs. 12.50 lakhs per district per annum. The allocation for the districts of Bihar and U. P. is partial. There is dense population and there are possibilities of much unemployment in such areas. Will the Government ameliorate the scheme further so that partiality may be removed?

Shri Sher Singh : The hon. Member has rightly observed that in the state like Bihar an amount of Rs. 12.50 lakhs per district is very low. There are big districts in Bihar. There are 17 districts in whole of the state which are densely populated. Similarly there are other states too. We have allotted extra funds other than Rs. 12.50 lakhs for those states. I read out the additional allocation for the information of hon. Member :

Andhra Pradesh—Rs. 55.50 lakhs, Bihar—Rs. 245.50 lakhs, Cerala—Rs. 34 lakhs, Orissa—Rs. 20 lakhs 50 thousands, Tamil Nadu—Rs. 1 crore 3 lakhs, Uttar Pradesh—Rs. 4 lakhs, and West Bengal—Rs. 99 lakhs.

Thus we have made additional allocation for these seven states.....(Interruption)..... There are 43 districts in Madhya Pradesh and that state has already got more than its share,

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now stated that unemployment will be provided to 1000 person in a year. While formulating the scheme, has the hon. Minister kept in view the birth rate in a particular district. Has the number of landless persons, who are unemployed and work with others, also been kept in view ? Has the Government formulated any scheme to make the barren-land cultivable for landless persons ? Which scheme has been formulated to construct roads in villages and to electrify them ?

Mr. Speaker : The questions about birth-rate and area have been put to-gether.

Shri Sher Singh : This scheme will provide great potentiality for employment. For example, the employment will be labour intensive. At the same time it has also been kept in view that some durable assets should be created by the employment. Previously the employment was provided as a relief measure. Now we want to provide employment and thereby create some permanent assets as infra-structure so that it might generate some employment.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : रोजगार रोजगार के नये अवसरों और उनसे होने वाली आय से आंका जाता है ।

श्री शेरसिंह : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय ने आसाम के अतिरिक्त लगभग सभी राज्यों के नाम लिये हैं । क्या आसाम को इस योजना से निकाल दिया गया है ।

श्री शेर सिंह : जी, नहीं, आसाम भी इस योजना के अन्तर्गत आता है ।

हाल ही की वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश में फसल को हुई हानि का मूल्यांकन और उसके लिये केन्द्रीय सहायता

1450. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये की रबी की फसल को क्षति पहुंची है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त हानि का घटनास्थल पर मूल्यांकन किया है; और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु राज्य सरकार को क्या सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण रबी की फसल को काफी हानि हुई है ।

(ख) अप्रैल-मई, 1971 की असामयिक वर्षा के कारण फसल की हानि की स्थिति तथा केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य से राहत उपायों के लिये धन-राशि की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग एवं सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा गठित अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में जुलाई, 1971 के प्रथम सप्ताह में राज्य का दौरा किया । दल की रिपोर्ट अभी (26-7-71 को) प्राप्त हुई है और सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के लिए अधिकतम सीमा तक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, जो कि दल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

Shri R. S. Pandey : the hon. Minister has said that report. It the team has Just been received. He Should also state the main findings of the team.

Now, I would like to draw the attention of the House to the reported statement of the Chief Minister of Uttar Pradesh that the estimated loss caused by recent floods is Rs. 200 Crores. May I know, as to how you will make good this loss; The extent of the amount to be spent on relief measures; And how would it be spent and by what time ?

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : राहत कार्यों के लिये अथवा केन्द्रीय सहायता के लिये किसी केन्द्रीय टीम के दौरे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी होती है। यदि राज्य सरकार के विचार में यह कार्य अपनी शक्ति से परे दीखता है तब वे केन्द्रीय टीम के दौरे के लिये अनुरोध करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ और केन्द्रीय सरकार के दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया तथा अपना प्रतिवेदन दिया है। राहत कार्यों के लिये राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर चुकी है। लगभग 27 जिले बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और उनमें सरकारी बकाया तथा तकावी आदि के लिये रोक दे दिये गये हैं, निःशुल्क राहत दी जा रही है। प्रत्येक परिवार को 25 रुपये दिये जा रहे थे परन्तु राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को 100 रुपये देने के लिए कहा गया है। बीज सप्लाई करने तकावी देने, उर्वरकों के लिये तथा दूसरे कृषि कार्यों के लिये ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है।

Shri R. S. Pandey : Whenever there is a flood, fields are inundation with water, but when it is over the field are wettish and we may grow some food grains and vegetables there. May I know; whether you have got any plan of sowing the wettish land so that besides relief measures it may prove a sort of financial assistance.

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य को उनके मुख्य प्रश्न का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने वर्षा काल से पूर्व रबी की फसल को हानि की बात पूछी है। इसका बाढ़ आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : यह अच्छा बहाना है...

Mr. Speaker : It has got nothing to do with the main Question.

श्री राम सहाय पांडे : क्योंकि यह भी कृषि से सम्बन्धित है अतः इस पर विचार करना चाहिए।

Mr. Speaker : The main Question relates to the danger...

Shri R. S. Pandey : The damage is concerned with relief measures. Centre has received the report of the Team. The report is also concerned with relief measures.

Mr. Speaker : This does not arise out of that.

Shri N. N. Pandey : In view of the Government of Uttar Pradesh 50% of Rabi Crops has been destroyed but the figures of the Central Government are different. After such an assessment Central Team visited the state. May I know The Assessment of Central Team and the details of central assistance to Uttar Pradesh to provide relief measures ?

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र के मूल्यांकन में कोई अन्तर नहीं है। हमें राज्य सरकार के मूल्यांकन पर विश्वास है क्योंकि खेतों की स्थिति का उन्हें ही अधिकारिक ज्ञान है।

जहां तक राहत कार्यों का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय टीम के बारे में बता चुका हूँ। प्रतिवेदन की जांच की जा रही है कि राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जाये।

Shri Ishwar Chaudhary : I would like to ask something about Bihar.....

Mr. Speaker : You kindly sit down.

Shri Ishwar Chaudhary : I would like to ask another question. Untimely rains have affected a large number of farmers. May I know, whether Government have any plan to give them immediate relief; if so, the time by which it will be implemented? This is purely a general question.

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : मैं बता चुका हूँ कि सहायता कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं।

Shri Ram Surat Prasad : The Hon. Minister has said that to provide relief measures is the responsibility of Uttar Pradesh Government. But the State Government is facing financial hardships. Therefore, they have made a request to the Centre for assistance. May I know whether the Central Government has given any financial assistance for relief measures so far,? If so, the amount there of? If not, the time by which they intend to release such an assistance in view of starting relief measures at an early date?

श्री अण्णा साहेब शिन्दे : हमें केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन मिला गया है जिसमें राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा बताई गई है।

हजारी बाग में अभ्रक की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों में क्षय रोग

* 1452 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला हजारी बाग की अभ्रक खानों में काम करने वाले कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में क्षय रोग से पीड़ित हैं क्योंकि वहां रोशनदानों की व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है; और

(ख) खानों में रोशनदानों की व्यवस्था करने और वहां पीने के पानी की व्यवस्था करने के बारे में खान और सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कड़े निरीक्षणों के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चूँकि तपेदिक खान अधिनियम, 1952 के अधीन एक प्रख्यापनीय रोग नहीं है, इसलिए इसकी घटना के सम्बन्ध में आँकड़े खान सुरक्षा महानिदेशक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) संवातन और पेय जल की सप्लाई के सम्बन्ध में सांविधिक उपबंध लागू करने के लिए खान निरीक्षणालय द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

Shri R. P. Yadav : There is no provision as such in any of the mines in district Hazaribagh, there is no provision even of drinking water for the workers their lives are dominated by the mine owners. May I know the names of the mines where medical facilities exist ?

Shri Bal Govind Verma : I would like to inform hon. Minister that we have got certain centrally located hospitals such as 100 beds Karma Hospital, Bihar and Ganga Pur Hospital in Rajasthan, besides certain mobile dispensaries which go to spot inspections....(interruptions) We can not arrange dispensaries of permanent nature, therefore, we have arranged for mobile dispensaries which go to the spot to provide medical facilities.

Shri R. P. Yadav : Mr. Speaker, Sir, my answer has not been replied to. I wanted to know the names of the dispensaries where medical facilities exist but the Hon. Minister has replied that we have arranged mobile dispensaries.

The other thing I would like to say on my personal knowledge is that there is no provision of lifts and ventilation in these mines. May I know, whether Government have got any plan to provide lift and ventilation facilities to the workers ?

Shri Bal Govind Verma : As there is surface drilling only, mica mines are not very deep.....(interruptions). In order to avoid the possibilities of any harm to the workers from the particles which penetrate into their lungs, we have made a provision of weight drilling. As regards provision of ventilation, these are not like the coal mines which are very deep and where ventilation facilities are very necessary. Therefore, ventilation facilities are not necessary. We are arranging for weightt drilling, other arrangements, are also made, if they are considered necessary.

मुझे पहले एक बात स्पष्ट करने दीजिए । इन्होंने रोशनदानों के बारे में पूछा है । रोशनदानों की व्यवस्था कर दी गई है । जहाँ प्राकृतिक रोशनदानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती वहाँ मशीनी रोशनदानों की व्यवस्था कर दी गई है ।

Shri R. V. Bade : T. B. is considered to be a common disease in Mica Mines but how this disease can be treated through mobile dispensary ? (Interruptions...) I want to know whether there is any hospitals for mica mine workers in Madhya Pradesh ?

Mr. Speaker : Why you are connecting the issue of mobile dispensary with T. B. you should ask a direct question. (Interruptions)

Shri R. V. Bade : I would like to know how T. B. can be cured through mobile dispensary.

Shri Balgovind Verma : Mica mines is not the only place where T. B. disease can occur but it can occur anywhere. This disease which is very common in mica mines is silicosis. Though this disease is familer with T. B. but actually it is not T. B. T. B. is an infections disease where as silicosis is not. But lungs are affected with this disease. So people think it T. B. Arrangements here already been made to curb this disease. (Interruptions). The facility for the treatment of T. B. has been provided by state Government almost everywhere. We have not got any special arrangement for it. The reason is that only 16 thousand labours are employed on this job.....(Interruptions)

Mr. Speaker : Do tell him how you can cure this disease through mobile dispensaries ?

Shri Balgovind Verma : Whenever the workers suffer from T. B. or silicosis, they are attended by mobile dispanseries. The central hospitals are also there. One is at Ganga Nagar and the other is in Bihar. The serious cases are sent to them. Other cases are attended by mobile dispanseries and they make arrangments for their medicines.

Mr. Speaker : We are not covering the usual number of questions. More and more members should get the appportunity.

Shri Shanker Dayal Singh : The figure of 16,000 mica mines labourers as given by hon. Minister is not correct. There are 56,000 labourers who are working in these mines. There are four mines, namely Kodarma, Domchanch, Jhumri Talaiya and Giridih. I am a representative of the workers working in these mines. I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken by the Government to provide ventilation in the mines to safeguard the health of these workers? The inspections do take place but no follow up action is taken. That is why I am very particular to know the details of action taken so far.

Shri Balgovind Verma : The information of 56,000 workers may be the information of hon. Member but as per my information the number is 16,000.....(Interruptions) Bihar has got 9058, Andhra Pradesh 4130 and Rajasthan has got 2689 workers. Thus the total comes to about 16,000. (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर किसी प्रकार के विवाद की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Balgovind Verma : As regards Ventilation, action is taken against the mine owners who do not provide this facility. There is a regular system of inspections and actions is taken against the owners who violate the Mines Act.

Shri R. P. Yadav : What action has been taken against them?

Mr. Speaker : You should have asked a separate question about ventilation.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति फीस

***1453. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा पैनल पद्धति के अन्तर्गत काम कर रहे डाक्टर अपनी वर्तमान प्रति व्यक्ति फीस की दर से संतुष्ट नहीं हैं;

(ख) क्या किसी एक-सदस्यीय समिति ने इस मामले की जांच की थी और यह सिफारिश की थी कि इस फीस को बढ़ा कर 30 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यरूप न देने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति की रिपोर्ट पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 17 अक्टूबर, 1970 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया। बैठक में सदस्यों ने यह महसूस किया कि रिपोर्ट में सुझाई गई वृद्धि का गुण-दोषों या वित्तीय कारणों के आधार पर अनुमोदन नहीं किया जा सका। सदस्यों का प्रचुर मत था कि नामिका व्यवसायियों के लिए सद्भाव के तौर पर केवल सीमांत वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रति व्यक्ति फीस की दर को पहली जनवरी, 1971 से 17.50 रु० से बढ़ाकर 20 रु० प्रतिवर्ष प्रति बीमा शुदा व्यक्ति परिवार इकाई किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उधर से ऐसा लगता है कि एक-सदस्यीय समिति की सिफारिशें निगम को बिल्कुल मान्य नहीं हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि यह एक-

सदस्यीय समिति जो विशेषतः इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी, उसने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर समिति ने यह दर 30 रुपये तक बढ़ाने का सुझाव दिया है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : यह ठीक है कि समिति ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि प्रतिव्यक्ति फीस को बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया जाना चाहिए परन्तु बाद में निगम ने जब इस सिफारिश का परीक्षण किया तो उसे ऐसा लगा कि ऐसा करना न तो वित्तीय दृष्टि से ही उपयुक्त है और न ही अन्य पहलुओं से; अतः उसने इसे 2.50 रुपये बढ़ाने का निर्णय किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने तो केवल मूल उत्तर को ही दोहरा दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर समिति ने फीस 30 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की। आखिर यह एक समिति तो थी ही।

श्री आर०के० खाडिलकर : यदि सदस्य महोदय ने प्रतिवेदन को देखा हो तो उन्हें मालूम होगा कि अन्तिम निर्णय, उनके तर्कों और निर्णय के प्रारम्भिक भाग में परस्पर विरोध हैं। प्रतिवेदन के आरम्भिक भाग में यह फीस 30 रुपये बढ़ाने का तर्क नहीं दिया गया है। उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद और अन्य कई केन्द्रों का भ्रमण कर, वहाँ के कर्मचारियों, डाक्टरों, के पैनल और अन्य अनेक व्यावसयिकों की साक्षियाँ लेने के बाद यह निर्णय किया है। इसीलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सारी तो भूमिका है और इसके बाद उन्होंने एकदम फीस को बढ़ा कर 30 रुपये करने का निर्णय दे दिया है। यही सारी कहानी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने इस प्रश्न से सम्बद्ध अन्य समस्याओं पर भी विचार किया है। प्रति व्यक्ति की फीस कम होने के परिणामस्वरूप कदाचार और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। क्या केवल 2.50 रुपये की नाममात्र वृद्धि से यह समस्या सुलझाई जा सकती है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : यह ठीक है कि भ्रष्टाचार और कदाचार को कुछ बल मिल रहा है और ऐसे कुछ मामले हमारे ध्यान में भी लाये गये हैं। अनुपस्थिति में वृद्धि भी हुई है और जाली प्रमाण-पत्र भी दिये गये हैं। हमें यह सब कुछ मालूम है। उनके दायित्व के स्वरूप को देखते हुए। क्योंकि वे अंशकालिक कार्य करते हैं, और उन्हें निजी तौर पर अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति होती है, और फिर वहाँ कदाचार भी है, इसीलिए इस वृद्धि की सिफारिश की गई थी। फिर भी हम सारे मामले पर पुनः विचार कर रहे हैं। अभी हाल में एक प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिला था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि पैनल डाक्टरों के पास अत्यधिक काम होता है क्योंकि किसी विशेष डाक्टर के अधीन कार्डों के रजिस्ट्रेशन की कोई सीमा नहीं होती। यदि हाँ, तो क्या सरकार पैनल डाक्टरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री खाडिलकर : उपलब्ध सूचना के अनुसार इनकी कोई मांग नहीं है क्योंकि पैनल डाक्टरों के पास निर्धारित संख्या में रोगी नहीं आते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुछ डाक्टरों के पास अधिक रोगी आते हैं। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है। क्या आप इसके लिये सीमा बांध रहे हैं ?

श्री खडिलकर : सीमा बांधी गयी है। साधारणतः 750 रोगियों की सीमा है। बीच में कुछ अधिक भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी इसके लिए सीमा तो निश्चित की गई है।

श्री एस० सी० सामंत : यदि सरकार समिति की सिफारिशें नहीं मान रही तो क्या सरकार ऐसी दूसरी समिति का गठन करेगी जो इससे भिन्न रिपोर्ट दें ?

श्री खडिलकर : जैसा कि मैं कह चुका हूँ, अभ्यावेदन प्राप्त हुये तथा कुछ समय पहले उनके प्रतिनिधियों की मुझ से भेंट हुई थी। इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मामला निगम को पुनः विचार हेतु भेजा जायेगा।

उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यवाही

*1456. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में अभी तक उर्वरकों का उत्पादन मांग की तुलना में कम है; और
- (ख) यदि हां, तो देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) यद्यपि उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है, तथापि बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका है।

(ख) उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना तथा मौजूदा कारखानों के विस्तार के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : भारत में उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता क्या है ? हमारा उत्पादन कितना है और कमी कितनी है ?

श्री अण्णासाहेब शिन्दे : चालू वर्ष की नाइट्रोजिनस उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता 19 लाख टन है जबकि उत्पादन केवल 13.2 लाख टन है। अन्तर 6 लाख टन का है। 4 लाख टन का आयात किया जाता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिवर्ष जमीन से 80 लाख टन उत्पादन होता है इसलिए जमीन की उर्वरकता कायम रखने के लिए 80 लाख टन उर्वरकों का उपयोग जरूरी है। अतः सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ?

श्री अण्णासाहेब शिन्दे : उर्वरकों का उपयोग केवल जमीन पर ही नहीं होता। यह एक अकार्बनिक उर्वरक है। कुछ कार्बनिक खादें भी होती हैं। कुछ शैम्बिक पत्तियां इन्हें हवा से जमीन में लाती हैं। गाय के गोबर तथा घरेलू खाद का उपयोग भी होता है। अतः जमीन को विभिन्न रूप से पोषित किया जाता है। यह सच है कि हमारे देश में जमीन को पोषित करने का काम संतोषजनक नहीं है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

Shri Mulki Raj Saini : Is the Hon. Minister aware that the fertilizer is provided to the farmers in the adulterated form and kept at a place where it gets wet before supply. What steps are being considered by the Government to check it and prevent this type of adulteration ?

Mr. Speaker : His question related to the increase of production. Now you have gave to adulteration side.

Shri Mulki Raj Saini : It arises out of this question. It is being supplied to the farmers what is the arrangement to check it ?

Mr. Speaker : This is correct but we should also make the question relevant. The Ministers came prepared for the specific questions which are asked. Now you are asking about adulteration. How is it possible.

श्री जी० विश्वनाथन : क्या उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई योजना है, और यदि हां, तो यह कब तक प्राप्त होगी ?

श्री अण्णासाहेब शिन्दे : आशा है कि 1975-76 तक हम नाइट्रोजिनस उर्वरकों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे ।

राज्यों में ग्राम्य रोजगार सम्बन्धी द्रुतगामी योजना की क्रियान्विति में विलम्ब

*1457. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम को दस महीने में पूरा करने के लिए गांवों में बेरोजगारी को समाप्त करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की द्रुतगामी योजना पर अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) 258 जिलों के बारे में प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को आवश्यक धनराशि दे दी गई है। 57 जिलों के प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई है और उनके बारे में मंजूरी जारी की जा रही है। 20 जिलों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। देश के शेष 20 जिलों के बारे में प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस योजना के अनुसार एक जिले में लगभग 1000 व्यक्तियों को लगभग 10 महीनों की अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध किया जाना है। यह पता चला है कि कुछ जिलों में परियोजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है। आशा है कि वर्षा ऋतु के बाद यह योजना जोर पकड़ेगी।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं जान सकता हूँ कि द्रुतगामी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न जिलों को राशि का नियतन करने के लिये उड़ीसा सरकार क्यों असहानुभूतिपूर्ण थी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विशेष रूप से उड़ीसा के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको पृथक सूचना देनी चाहिए। यदि मंत्री महोदय के पास सूचना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री पी० गंगादेव : साम्बलपुर जिले में द्रुतगामी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम रूप से कितनी राशि, जो 31 मार्च, 1972 से पहले व्यय होगी का नियतन किया गया।

श्री शेर सिंह : उड़ीसा के 13 जिलों में हमने 3 जिलों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, सात जिलों के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है, दो जिलों को स्वीकृति जारी की जा रही है और एक जिले से हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The state Government has received the money allotted by the Central Government but is it not a fact that the implementation of the scheme is being delayed because you do not authorise the state Government to launch the scheme and your officers tell them that they should implement the scheme according to their scheme ?

Shri Sher Singh : schemes are formulated by the state Government, we only tell them to prepare and send the schemes according to the guidelines which we give them and we approve the proposal immediately after we receive the same. The delay is not due to our giving the guidelines and approving their proposals. The fact is that the proposals from various quarters were received very late and no time is taken to issue necessary sanction. 21 such Districts have not so far sent their proposals it is not, therefore, correct to say that there is delay on our part. Guidelines are certainly sent by us.

भिलाई इस्पात कारखाने की बड़े पैमाने पर मरम्मत

* 1460 श्री राज देव सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की इस समय बड़े पैमाने पर हो रही मरम्मत वास्तव में सामान्य रख रखाव न किये जाने से बड़े पैमाने पर हुई क्षति का परिणाम है;

(ख) क्या इस कारखाने में 70 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रही है और विभिन्न स्तरों पर 'अवरोधों' के कारण उत्पादन में हानि हुई है; और

(ग) इन कमियों के मुख्य कारण क्या है, और इनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने में रख रखाव का काम सामान्यतः संतोषजनक रहा है। अंशतः बड़ी प्रकार की मरम्मत का काम कोक भट्टी श्रृंखला नं० २ और ३ में जो सेक्शन मेन्स में अचानक रुकावट (चोकिंग) के कारण मई 1971 में बन्द हो गई थीं, शुरू किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कारण सामान्य रख रखाव की कमी नहीं है दूसरी बैटरियाँ सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं और उनका केवल सामान्य रख रखाव किया जा रहा है। अनुमान है कि इस्पात के उत्पादन के मासिक लक्ष्यों की तुलना में मई जून और जुलाई 1971 के महीनों में क्रमशः 16, 22 और 23 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। मरम्मत कमियों को दूर करने का काम अजिलम्ब आधार पर किया जा रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह : भाग (ख) सम्बन्धी उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस मामले को खराब करने का कभी सन्देह रहा है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : नहीं हमें इस मामले को खराब करने सम्बन्धी कोई सन्देह नहीं है।

Refugee in Mana camp and other Places in Madhya Pradesh

+

*1463. Shri R. V. Bade :

Dr. Laxmi Narain Pandey :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be Pleased to state :

(a) whether Government had intends to rehabilitate two lakh refugee in Madhya Pradesh.

(b) whether Government had committed to send only 50 thousand refugees to Mana Camp, but more than 62 thousand refugees had reached thereby the third week of June; and

(c) the names of the places where the refugees are being rehabilitated in Madhya Pradesh, besides Mana Camp ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri Balgovind Verma) : (a) No, sir. there is no question of rehabilitating the refugees from Bangla Desh as they are expected to return to their homes as soon as normal conditions are restored there.

(b) It was originally intended to set up four Central Camps, each accommodating 50,000 refugees near about Mana, Upto the 3rd week of June, 1971, i.e, till the 22nd June, 1971. 60,279 refugees were moved from West Bengal to the Central Camps near Mana.

(c) Apart from the Central Camps near Mana, it is proposed to set up three More Central Camps near Bilaspur in Madhya Pradesh which are expected to accommodate about 1.50 lakh refugees.

Shri R. V. Bade : Is it a fact that due to congestion in Mana Camp, some refugees were shifted to Bilaspur about 1-1/2 months ago, when movement started in Bangla Desh ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह सत्य नहीं है कि हम शरणार्थियों को माना कैम्प से बिलासपुर भेज रहे हैं। बिलासपुर के निकट नये कैम्प स्थापित किये जायेंगे।

Shri R. V. Bade : The camps set up there for rehabilitating refugees are not provided with the shelter facilities. Has the hon. Minister received any such Complaint ?

श्री आर० के० खाडिलकर : शरणार्थियों को भेजने से पहले जल, रहन सहन आदि की व्यवस्था की जाती है।

Shri Painuli : Will the Hon. Minister state whether the refugees of Bangla Desh in the event of no solution of the problem will continue to stay in our country and burden our economy as stateless citizens like the refugees of Tibet ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अजी सा प्रश्न हैं। कृपया इसे न पूछें।

श्री समरगुह : क्या यह सच है कि बंगला देश से आये शरणार्थी काफी संख्या में आवास व्यवस्था पूरी होने से पहले माना कैम्प तथा अन्य क्षेत्रों को भेजे गये जिसके लिए उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग हैजे से मरें ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से है।

श्री आर के खाडिलकर : जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है वह बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई और आवास की व्यवस्था शरणार्थियों के भेजे जाने से पहले की गयी थी।

उत्तर प्रदेश में ग्राम्य बेरोजगारी दूर करने के लिए द्रुत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब

***1464. श्री बी० एन० पी० सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार गांवों में रोजगार की व्यवस्था करने के लिए 20.25

करोड़ रुपये के द्रुत कार्यक्रम को आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रश्न में 20.25 करोड़ रुपए की राशि का जो उल्लेख किया गया है वह सम्भवतः चतुर्थ योजना अवधि में त्वरित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए सम्भावित नियतन के बारे में है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल एक वर्ष अर्थात् 1971-72 के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। उन्हें मंजूरी दे दी गई है और 21 जून, 1971 को 6.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। हाल ही में इस नियतन में संशोधन करके इसे 6.79 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ख) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

भूमि अधिग्रहण के बारे में एक रूप कानून

***1441. श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के स्थान पर, जो 75 वर्ष पुराना है, सम्पूर्ण देश के लिये कोई एक रूप कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की समस्त रूप-रेखा की जांच करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई 1967 में एक भूमि अधिग्रहण पुनरीक्षण समिति की स्थापना की थी। समिति ने मार्च, 1970 में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित भारत सरकार के विभिन्न विभागों को परिचारित की गई थी जिससे कि वे इसके विभिन्न पहलुओं पर अपने निश्चित मत व्यक्त कर सकें। अधिकांश राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से बार बार स्मरण पत्र देने के बावजूद भी अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। सभी राज्य सरकारों के मत प्राप्त होने पर भारत सरकार उनकी जांच करेगी और उसके बाद ही 1894 के अधिनियम में आशोधन के लिये कार्यवाही की जाएगी।

कोयला खनिकों को चिकित्सीय सुविधाओं सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

***1442. श्री एन० ई० होरो :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन मिल गया है जो कोयला खनिकों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के बारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोयला खनिकों को चिकित्सीय सुविधाएँ देने के बारे में सुझाव देने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भूमिगत जल के लिये विमान द्वारा सर्वेक्षण

***1444. श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में भूमिगत जल का विमान द्वारा सर्वेक्षण करने की सरकार की कोई योजना है जहाँ कृषि प्रयोजनों के लिये भूमिगत जल मिलना कठिन है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। भूमिगत जल निर्धारण के लिये हवाई सर्वेक्षण करने की इस समय कोई योजना नहीं है। तथापि भारतीय सर्वेक्षण के पास पहले से ही उपलब्ध हवाई फोटोग्राफी के प्रयोग द्वारा भूमिगत जल निर्धारण के लिये भूमिगत जल विज्ञान खोज में फोटो-व्याख्या तकनीक आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

***1445. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 चीनी मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये 12 मिलें ठीक प्रकार से कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन मिलों को अधिकार में लेने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 चीनी प्रतिष्ठानों को अभिग्रहण करने और उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को सुपुर्द करने के लिए एक अध्यादेश 2 जुलाई, 1971 को लागू कर दिया है। इन में से 9 प्रतिष्ठानों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी है और इन में से 7 को स्थगन आदेश प्रदान किए गए हैं।

(ख) ये मिलें अच्छी हालत में नहीं हैं अथवा इन्हें असावधानी और कुप्रबंध से हानि हुई है।

(ग) राज्य सरकार ने यह महसूस किया था कि इन मिलों का एक मात्र उपाय यही था कि या तो उन्हें अभिग्रहण कर लिया जाये और उनके प्रबंध से सुधार किया जाय अथवा उनको आवश्यकतानुसार पुनरस्थापित किया जाए और उनका आधुनिकीकरण कर दिया जाए।

खाद्य तथा कृषि संगठन से बंगला देश के शरणार्थियों के लिये चावल

*1448. श्री सी० जनार्दनन :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य तथा कृषि संगठन से भारत में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए चावल देने का अनुरोध करने के लिए हाल ही में रोम गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सहायता मांगी गई है और उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : मैंने मुख्यतः यू०के० और पश्चिमी जर्मनी का दौरा किया था यू०के० जाते हुए मैंने रोम का एक दिन का दौरा किया था और विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी के साथ विचार विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान मैंने उन्हें बताया कि जहां भारत सरकार बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्य सहायता पेश करने वाले दाता देशों की आभारी है लेकिन हम गेहूं की बजाए चावल को तरजीह देंगे क्योंकि शरणार्थी मुख्यतः चावल खाने वाले हैं। मुझे पता चला है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इच्छुक दाताओं को सूचित किया है कि भारत सरकार शरणार्थियों के लिए गेहूं की बजाए चावल को तरजीह देगी।

बारानी खेती सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजनाएं

*1449. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में बारानी खेती सम्बन्धी कुछ अनुसन्धान परियोजनाएं स्थापित करने का कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने चौथी योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों के 24 चुनींदा केन्द्रों में बारानी खेती से सम्बन्धित 147.50 लाख रुपये के परिव्यय की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना शुरू की है।

(ख) बारानी खेती की परिस्थितियों के अन्तर्गत नई तकनीकें के विकास तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये बहु-क्षेत्रीय अनुसन्धान करने का विचार है। इस कार्यक्रम में गहूरी जुताई, जल

उपयोग तथा छिड़काव से पूरक सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, मल्व बनाना तथा आर्द्रता का परिरक्षण सूखे की प्रतिरोधी तथा सूखे को सहने वाली किस्में, व्याप्त जलवायु तथा मृदा परिस्थितियों के लिए उचित फसल प्रतिमान शामिल हैं।

Central Assistance in Madhya Pradesh For Small Farmers

***1451. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Agriculture be pleased to State :
(a) the amount given or proposed to be given to the Government of Madhya Pradesh during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72, separately, for Centrally Sponsored Schemes under the programme pertaining to small farmers; and

(b) the number of schemes on which the said amount has been spent or is proposed to be spent by the State Government.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture : (Shri. Annasaheb P. Shinde)

(a) In the Scheme for the development of Small Farmers, Central assistance is given directly as grant-in-aid to the agencies which are registered bodies. In 1970-71 a total sum of Rs. 32.29 lakhs was sanctioned for the three projects in the State. The proposals for sanction of financial assistance for 1971-72 in respect of Ratlam-Ujjain and Bilaspur SFDAS are under examination and proposals are awaited from Chhindwara. No funds were allocated in 1969-70 as only one project had been sanctioned towards the end of the Financial Year.

(b) On the basis of the proposals received from the State Government, three small Farmers, Development Scheme were sanctioned for the districts of Chhindwara, Ratlam-Ujjain and Bilaspur.

कुछ दुर्लभ भारतीय पशु-पक्षियों को बुडापेस्ट हंगरी भेजने के लिये केन्द्रीय अनुदान

***1454. श्री जी० बैकटा स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चिड़िया घर के अधिकारियों ने बुडापेस्ट, हंगरी को पुरस्कारों और फोटोग्राफों के साथ दुर्लभ भारतीय पक्षी और पशु भेजने के लिये सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) : जी नहीं। तथापि भारत सरकार ने हंगरी सरकार के आमन्त्रण पर 27-8-71 से 30-9-71 तक बुडापेस्ट में होने वाली विश्व शिकार प्रदर्शनी में भारत वन्य प्राणि दिखाने के लिये एक पैविलियन लगाने का निर्णय किया है।

(ग) 6.03 लाख रुपये।

Damage to Rabi Crop in Bihar and Central Assistance Therefor

***1455. Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state : (a) the extent of damage caused to Rabi crop by untimely rains in Bihar this year; and

(b) whether maize crop has also been destroyed completely in Bihar by incessant rains and floods in various rivers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annaseheb P. Shinde) :

(a) The extent of damage due to untimely rains to Rabi crops especially wheat and gram have been estimated by the Government of Bihar to be about 53 per cent.

(b) Continuous rains during June and July, 1971 have adversely affected the Kharif maize crops and expected loss in yield for the present has been estimated by the State Government at 26.2 per cent for the whole State.

Report by Bihar Ex-Chief Minister to Centre Regarding Damage to Rabi Crop due to Rains

***1458. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state;

(a) whether the ex-Chief Minister of Bihar had submitted to him any report in the month of April, May or June, 1971 in regard to the damage done to Rabi crop as a result of incessant rain in Bihar; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) and (b) The ex-Chief Minister had written a letter to the Prime Minister on 13th/14th April, 1971. But in that letter he had referred to (a) damage to the previous years' Kharif (paddy) crop due to untimely & deficient rain, and (b) damage apprehended to Rabi crop due to deficiency of winter-rain. He did not refer to 'damage to Rabi crop as a result of incessant rain'.

Scholarship to Children of Employees Working in Coal Mines

***1459. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the children of the employees working in coal mines who are drawing a monthly salary of Rs. 300 or 325 including bonus are entitled to scholarships payable from Labour Welfare Fund without any terms and conditions; and

(b) if so, the reasons for not providing the said facility so far to the children of the employees in the above pay range and the time by which it would be provided to them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) and (b) Scholarships are given to children of colliery workers who satisfy the terms and conditions laid down in the prescribed scheme. For entitlement to the benefit, the worker should be employed in a coal mine to perform any skilled or unskilled manual or clerical job, otherwise than in a position of supervision or management, and his average monthly earnings, excluding bonus, should not exceed Rs. 300/- per month in the case of surface workers and Rs. 325/- per month in the case of underground workers. There is a provision for award of only 522 scholarships and 25 stipends in a year, besides renewal of scholarships awarded in earlier years.

दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

***1461. श्री निहार लालस्कर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 5 जुलाई, 1971 को राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया गया; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, राज्यों में पशुपालन तथा डेरी मंत्रियों का नई दिल्ली में 5 जुलाई, 1971 को एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) और (ग) सम्मेलन में विचार-विमर्श की गई महत्वपूर्ण मदों तथा उन पर लिये गये निर्णयों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

राज्यों के पशुपालन तथा डेरी मन्त्रियों की बैठक में विचार किये गये महत्वपूर्ण विषय तथा उन पर लिये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

क्र०सं० महत्वपूर्ण विषय 1	लिये गये निर्णय 2
1. सघन पशु विकास परियोजनाओं के कार्य का पुनरीक्षण	शस्योत्पादन और पशुपालन का विकास देश के लिये एक से महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में शीघ्र ही उन्नति करने के लिए मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अधिक ध्यान चारा उत्पादन की ओर देना चाहिए।
2. सघन कुक्कुट विकास परियोजनाओं के कार्य का पुनरीक्षण विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना	वित्तीय साधनों की कमी के कारण सघन पशु विकास कार्यक्रम के महत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तकनीकी आदानों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें अपने संकरण कार्यक्रमों को अधिक सघन बनाने के लिए विदेशी पशुओं की अपनी मांग का अकलन करें तथा केन्द्रीय सरकार इन पशुओं के आयात में राज्य सरकारों की सहायता करे।
3. 348-दूध को टोन्ड बनाकर और पशुओं को सन्तुलित चारा खिला कर दूध की सप्लाई में सुधार विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 353-सघन अन्डा तथा कुक्कुट उत्पादन एवं पण्य केन्द्रों का विकास	कुक्कुट चारे का मूल्य घटाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित सहायक उत्पादों से सस्ते चारे के उत्पादन के कार्यक्रम का भली प्रकार लाभ उठाएं। जहां कहीं आवश्यक हो कुक्कुट विकास योजनाओं के विस्तार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त की जाये।
4. विशेष योजनाओं के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम	रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाये जिससे कि बैंक पशुपालन कार्यक्रम के लिए सहकारी बैंक व्यापक कार्य के माध्यम से वित्तीय सहायता देने में समर्थ हो सके।

1	2
5. ऊन और स्टन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भेड़ों का संकरण	ऊन तथा भेड़ माँस के उत्पादन को बढ़ाने हेतु भेड़ों की नस्लों का विकास करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अच्छी ऊन तथा भेड़ माँस के लिये भेड़ों पर लागू समन्वित अनुसंधान परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों का उपयोग किया जाना चाहिए।
6. पशुधन उद्योग को एक सक्षम रोग-नियंत्रण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता	पशुधन को सक्षम रोग नियंत्रण सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक टीकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी बड़े राज्यों में प्रयास किये जायें। खुरपके तथा मुंहपके के टीके का भी काफी मात्रा में उत्पादन किया जाये जिससे कि संकरण कार्यक्रम के लिए इसकी अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध की जा सके।
7. सरकारी डेरियों तथा अन्य एजेन्सियों के बीच दुग्ध अधिप्राप्ति के लिए क्षेत्रों का निर्धारण	दुग्ध अधिप्राप्ति के लिए सरकारी डेरियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पाद कारखाने के बीच दुग्ध अधिप्राप्ति क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि उत्पादकों को दूध के लिए लाभकारी मूल्य मिले।
8. भारत में पशु उत्पादन नियंत्रण	पशुओं की कुल संख्या को नियंत्रण में लाने के लिये तथा उत्पादक एवं अनुत्पादक पशुओं में दाने तथा चारे के लिये होड़ को दूर करने के लिये देश में वर्तमान विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त उपाय किये जायें।
9. दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये संतुलित पशु चारे की आवश्यकता	किसानों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आसानी से लभ्य मूल्यों पर पशु चारा उपलब्ध कराया जाये और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिए गए गेहूँ का भी पूरी तरह उपयोग किया जाये।

पंजाब में राजकीय मुर्गी पालन फार्मों के कार्यकरण की जांच

*1462. श्री मानसिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने 1969-70 के प्रतिवेदन में

राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वह राजकीय मुर्गी-पालन निगम के कार्यकरण की जांच करे; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की जांच करने का कोई आदेश दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां। समिति ने निगम के कार्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की सिफारिश की है।

(ख) राज्य सरकार ने अभी ऐसी जांच के लिए आदेश नहीं दिया है किन्तु मामला उनके विचाराधीन है। इस बीच की अवधि में राज्य सरकार समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पत्र तैयार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न को लाने ले जाने आदि की लागत

*1465. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न को लाने ले जाने आदि की लागत लगभग 20 रुपया प्रति क्विंटल है;

(ख) क्या निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों का खुदरा मूल्य निर्धारित करने में इस लागत का भी प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के कार्य संचालन की लागत में कौन कौन से मद आते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) जी नहीं। अनुमान है कि 1970-71 के लिए गेहूं और चावल के भण्डारण, संचलन और वितरण की परिचालन लागत लगभग 13.00 रुपये प्रति क्विंटल होगी। इसमें बफर स्टॉक रखने की लागत शामिल है जोकि लगभग 5 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है।

(ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में राजसहायता का अंश शामिल होता है। खुदरा मूल्य में परिचालन लागत केवल आंशिक रूप में ही होती है।

(ग) निगम द्वारा भण्डारण, संचलन और वितरण की परिचालन लागत पर किए गए खर्च में भाड़ा सम्भालने में खर्च, गोदाम का किराया तथा प्रभार, ब्याज तथा प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च और मार्ग तथा भण्डारण में हुई हानि भी शामिल हैं।

सेवा-सुरक्षाहीन श्रमिकों के लिए श्रमिक पूल प्रणाली

*1466. श्री सो०के० चन्द्रप्पन : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा-सुरक्षा हीन श्रमिकों के लिये सभी राज्यों में सरकार श्रमिक पूल प्रणाली बनाने का विचार कर रही है।

(ख) क्या इस योजना के सम्बंध में सरकार ने केन्द्रीय श्रम संगठनों अर्थात् ए०आई०टी० यू०सी० और इन्टक से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

इण्डियन डेरी कारपोरेशन

*1467. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन डेरी कारपोरेशन के संगठन तथा कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, तथा इसे कार्यरूप देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है; और

(ग) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई किये गये दुग्ध चूर्ण की बिक्री से वसूल होने वाली राशि को डेरी उद्योग के विकास में खर्च किया जायेगा अथवा विशेष परियोजनाओं, क्षेत्रों और सैक्टरों में इस्तेमाल किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारतीय डेरी निगम की स्थापना, जिस का मुख्यालय बगेदा में है; भारत सरकार द्वारा दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास (आपरेसन प्लान) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई है । यह जुलाई 1970 से प्रारम्भ होने वाली एक पंच वर्षीय परियोजना है और इसमें 95.40 करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था है । परियोजना का उद्देश्य चार नगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता दिल्ली तथा मद्रास में दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं की वृद्धि कर उनकी क्षमता 10 लाख लिटर प्रति दिन के स्थान पर 27.5 लाख लिटर तक बढ़ाने के साथ साथ दस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दूध का उत्पादन तथा परिसंस्करण 650,000 मीटरी टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का है । राज्य सरकारों ने दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं के विस्तार तथा डेरी विकास के लिए परियोजनाएं तैयार की हैं और उनमें से कुछ के लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया गया है । परियोजना के प्रथम स्तर की कार्यान्विति के लिए निगम द्वारा यूनिसेफ की 1.80 करोड़ रुपये की सहायता से डेरी परिसंस्करण, उपकरण कलपुर्जे तथा स्टेनलस स्टील के आयात का प्रबन्ध कर लिया गया है । जनवरी, 1972 से प्रारम्भ होने वाली परियोजना के द्वितीय स्तर के लिए संयंत्रों तथा मशीनरी आदि की आवश्यकता का आँकलन कर लिया गया है और इन मदों के आयात तथा देश में ही निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । डेरी परिसंस्करण उपकरणों का देश में ही निर्माण करने के लिए दुष्प्राप्य सामग्री तथा कजपुर्जों के भण्डार का संग्रह किया जा रहा है ।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 38.11 करोड़ रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का 1,26,000 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा 42,000 मीटरी टन घी की निशुल्क आपूर्ति करनी स्वीकार कर ली है, जिसकी आपूर्ति परियोजना की अवधि में एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी । चार महानगरों के सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों को इन पथ्यों के विक्रय से 95.40 करोड़ रुपये की अनुमानित प्रतिरूप निधि का निर्माण हो जायेगा ।

(ग) विक्रय से प्राप्त 95.40 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग चार महानगरों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं के विस्तार तथा आन्ध्र प्रदेश

बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि के लिए किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में दीवालिया सहकारी समितियां

***1468. श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 और 1970-71 में पश्चिम बंगाल में कितनी सहकारी समितियों का दिवाला निकला;

(ख) इनमें से प्रत्येक समिति की परिसम्पत्ति तथा दायित्व क्या है;

(ग) इन समितियों को सरकार से (1) ऋण तथा (2) अनुदान के रूप में कितनी धनराशि मिली; और

(घ) समितियों द्वारा अब तक कितने ऋण तथा ब्याज का भुगतान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उद्योगों का वर्गीकरण

***1469 श्री राजा कुलकर्णी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम प्रतिनिधित्व और सेवा शर्तों के प्रयोजन के लिये उद्योगों का वर्तमान वर्गीकरण कब किया गया था;

(ख) क्या इसमें नायलोन, सिन्थेटिक्स, एक्रोटिक फाइबर, ग्लास फाइबर, रेयन और टायर कोर्ड जैसे मानव निर्मित रेशे बनाने वाला ग्रुप सम्मिलित है; और

(ग) इस औद्योगिक ग्रुप में अनुमानतः कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केन्द्रीय श्रम संघ संगठनों की सदस्य संख्या के सत्यापन के उद्देश्य से उद्योगों के वर्गीकरण का पिछला परिशोधन मई, 1971 में किया गया था।

(ख) मुख्य ग्रुप 'कपड़ा' के अन्तर्गत सिन्थेटिक सूत शामिल है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

मद्रास के निकट मनाली में उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना

1470 श्री सी० चित्तिबाबू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट मनाली में उर्वरक उद्योगसमूह कब तक काम करना आरम्भ कर देगा;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योग समूह में काम प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) आशा है मद्रास उर्वरक परियोजना वर्ष 1971 की अन्तिम तिमाही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी।

(ख) विलम्ब के कारण ये हैं:-

(1) देशीय स्रोतों से कुछ उपस्करों के सम्भरण में विलम्ब होना।

(2) श्रमिकों के झगड़े।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1971-72 में उर्वरकों का उत्पादन और खपत

6262. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में भारत में कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होगी;

(ख) कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा और कितनी मात्रा का देश में उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1971-72 में विभिन्न राज्यों को उर्वरकों का कितना कितना कोटा दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत में 1971-72 के दौरान राज्यों तथा अन्यो द्वारा प्रदर्शित की गई उर्वरकों की मांग तथा उसे पूरा करने के लिए प्रत्याशित स्वदेशी उत्पादन एवं आयात के अस्थायी आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

	(लाख मीटरी टनों में)		
	नाइट्रोजन	फास्फेट्स	पोटाश
	(एन)	(पी2 ओ5)	(के2 ओ)
मांग	19.34	7.32	3.90
आयात	4.03	2.21	3.38
स्वदेशी उत्पादन	13.20	3.30	3.38

उर्वरकों की आयात की गई मात्रा स्वदेशी उत्पादन तथा पिछले वर्ष के बाकी स्टॉक सहित देश में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) राज्यों तथा अन्यो को उर्वरकों का आबंटन केन्द्रीय उर्वरक मूल द्वारा किया जाता है। यह आबंटन हर फसल से पहले विभिन्न राज्यों तथा अन्यो को आने वाले मौसम की फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का निर्धारण करके तथा उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं से स्थानीय उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है जिससे यदि उसकी मांग और स्वदेशी उत्पादन से

स्थानीय उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी हो तो उसे आयात द्वारा पूरा किया जा सके। आबंटन हर तीन माह बाद किया जाता है। चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों से विभिन्न राज्यों तथा अन्यो को केन्द्रीय उर्वरक पूल से आबंटित किये गये उर्वरक का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/अन्यों के नाम	अप्रैल सितम्बर 1971 की अवधि के लिये आबंटित मात्रा (मीटरी टनों में)		
		एन०	पी०	के०
1.	आंध्र प्रदेश	7,460	—	—
2.	बिहार	32,995	6,120	—
3.	हरियाणा	1,340	2,760	—
4.	हिमाचल प्रदेश	260	—	—
5.	गुजरात	3,100	4,600	—
6.	जम्मू और कश्मीर	3,537	—	—
7.	केरल	520	—	—
8.	मसूर	34,060	—	—
9.	पंजाब	31,400	5,520	—
10.	मध्य प्रदेश	33,600	2,800	1,400
11.	महाराष्ट्र	29,060	6,900	—
12.	राजस्थान	2,810	2,530	—
13.	तमिलनाडु	9,200	—	—
14.	उत्तर प्रदेश	23,303	11,873	4,303
15.	पश्चिमी बंगाल	13,541	2,311	11
16.	नागालैंड	17	3	3
17.	अन्य (जिनमें संघ क्षेत्रों का वीज कार्यक्रम भी सम्मिलित है और पोदरोपण।	182,302	61,548	33,468
		408,505	106,965	39,185

टिप्पणी :

ऊपर दिखाई गई के 2ओ की मात्राएं पूल द्वारा आबंटित एन० पी० के० कम्पलैक्स उर्वरक के पोटाशिक अंश से प्राप्त की गई है। सीधा पोटाशिक उर्वरक (जिनमें क 2ओ होता है) मैसर्स

इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों तथा मिश्रित उर्वरक निर्माताओं आदि को वितरित करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम को घटिया किस्म के गेहूँ की सप्लाई

6263. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आसाम को बहुत घटिया किस्म के गेहूँ की सप्लाई की है जिसके परिणामस्वरूप आटा मिलों द्वारा उत्पादित खराब आटा और मैदा बाजार में बेची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तोरिये के मूल्य में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

6264. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तोरिये के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से वृद्धि की है;

(ख) क्या इस वृद्धि के कारण देश के पूर्वी राज्यों में खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं : देश में उत्पादित तोरिये पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है। तथापि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में खाने के तेलों की जरूरतें पूरा करने के लिए कैंनेडा से लगभग 75,000 मीटरी टन तोरिया आयात किया है। आयातित तोरिया राजकीय व्यापार निगम द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामांकितों को, आयात की आर्थिक लागत को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित मूल्य पर पेरने के लिये और खपतकारों को परचून में निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई करने के लिये बेचा जाता है। प्रथम दो खेपों की आयात लागत के आधार पर जनवरी, 1971 में आयातित तोरिये का निर्गम मूल्य कलकत्ता भण्डार से बाहर 1500/- रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया। इस अवधि में भण्डार लागत के लिए थोड़ी उपान्त समंजन के सिवाय निर्गम मूल्य अपरिवर्तित रहे। वर्तमान मूल्य 1595/- रुपये प्रति मीटर टन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को बारानी खेती के लिए सहायता दिया जाना

6265. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को बारानी खेती के लिए गत तीन वर्षों में कितनी सहायता दी गई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) बारानी खेती के लिये किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल को बारानी कृषि योजना के अन्तर्गत कोई मार्गदर्शी परियोजना नियतित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार को बारानी कृषि के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) तथा (ग) : उपरोक्त (क) के आधार पर प्रश्न नहीं होता।

आसाम में धान की काश्त

6267. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सूखा का आह्व धान की फसल पर इस वर्ष बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, तथा आसाम के कुछ भागों में सली धान की पौध पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो काश्तकारों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे वे सली धान की काश्त कर सकें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा द्वारा आसाम को चावल सप्लाई किया जाना

6268. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा अपने भण्डार से आसाम को अलाट किए गए बासमती चावल के कोटे की सप्लाई करने में असफल रही; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : असम सरकार को पहली बार बासमती चावल का आवंटन हरियाणा में वर्ष 1970-71 की फसल की अधिप्राप्ति में से किया गया था। हरियाणा राज्य सरकार की मूल आशाओं से बासमती चावल की बहुत ही कम अधिप्राप्ति होने से, हरियाणा में की गई अधिप्राप्ति में से असम को चावल का आवंटन नहीं किया जा सका था। असम सरकार के नामितों द्वारा वित्तीय प्रबन्ध करने में भी विलम्ब हुआ था। भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान के डिपो में बासमती चावल के तैयार स्टॉक में से असम को आवंटन के मुख्य भाग की सप्लाई करने के वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

**हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के
कारण खरीफ की फसल को क्षति**

6269. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण खरीफ की फसल को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**पंजाब में उर्वरक के मूल्य में वृद्धि और उन्हें सस्ती दरों पर
सप्लाई करने के लिए कार्यवाही**

6270. श्री तेजसिंह स्वतन्त्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में उर्वरकों के मूल्यों में कई बार वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में बार-बार वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसका कृषि उत्पादन पर क्या पभाव पड़ा; और

(ग) पंजाब राज्य में सस्ते मूल्य पर उर्वरकों की सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में उर्वरकों के मूल्य दो बार बढ़ाए गए । मूल्यों में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) वर्ष 1968-69 : केन्द्रीय उर्वरक मूल को हानि से बचाने के लिए एमोनियम सल्फेट यूरिया और पोटाश के मयूरिमेंट तीन आयातित उर्वरक के 1-4-68 से मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि की गई । प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार थी :—

एमोनियम सल्फेट 2.40, यूरिया 2.56 और पोटाश का मयूरियेट 9.00 अर्थात् एमोनियम सल्फेट 1/-रु०, यूरिया 2/-रु० और पोटाश के मयूरियेट के लिए 4/-रु० (100 कि० ग्रा० उर्वरक के लिए) जो केवल नाममात्र थी ।

(ii) वर्ष 1969-70 : 1969-70 के बजट प्रस्तावों में उर्वरकों पर 10 प्रतिशत उत्पादन पर लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्य 1—3—69 से बढ़ा दिये गए । वर्ष 1968-69 में मूल्यों की तुलना में विभिन्न उर्वरकों के मूल्यों में 8 से 11% तक की वृद्धि हुई ।

दूसरी ओर 5—8—69 से एमोनियम सल्फेट के मूल्य में 10/-रु० प्रति मीटरी टन 1—1—71 से पोटाश के मयूरियेट में 10/- रु० प्रति मीटरी टन और 4—3—71 से यूरिया में 20/- रु० प्रति मीटरी टन की मूल्यों में थोड़ी सी कमी की गई । वास्तव में एमोनियम सल्फेट की

एक विशेष किस्म के मूल्य में, जो छोटे कृषकों की उर्वरक है वर्ष 1969-70 से मूल्य में 100/- रु० की कमी की गई।

कुछ फार्म प्रबन्ध अध्ययनों से पता चला है कि फसल की कुल काश्त लागत में (नकद और वस्तुरूप में खर्च) उर्वरक को लागत का हिस्सा 4% से 17.7 प्रतिशत तक है जो अधिक नहीं है।

अध्ययन के परिणामस्वरूप यह मालूम हुआ कि 1961-62 से 1968-69 के 8 वर्षों में गेहूं के मूल्यों में 100 प्रतिशत चावल के मूल्य में 97 प्रतिशत खाद्यान्नों के मूल्यों में 101 प्रतिशत और वाणिज्य फसलों सहित सब कृषि जिनसों के मूल्यों में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर इसी अवधि में एमोनियम सल्फेट के मूल्य में 47 प्रतिशत और यूरिया के मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) उर्वरकों के मूल्य साधारणतः सारे देश में समान होते हैं। अतः पंजाब राज्य को सस्ते उर्वरक सप्लाई करने का प्रश्न नहीं होता।

पंजाब में भूमिगत जलाशय के लिए सर्वेक्षण तथा ऐसा जलाशय बनाने पर खर्च

6271. श्री तेजासिंह स्वतन्त्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में राज्य के विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब के विभिन्न भागों में जलाशयों के निर्माण के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है; और

(ग) इन जलाशयों के निर्माण पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : राज्य तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा पंजाब में भूगर्भ जल संसाधनों का पता लगाने, जांच करने तथा मूल्यांकन करने के लिए जल विज्ञान सम्बन्धी मान-चित्रण, परीक्षण-वेधन, तथा अध्ययनों सहित जल-विज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण किये जा रहे हैं।

(ग) भू गर्भीय जलाशय अथवा जल भंडार अन्तः भूमिक भू गर्भीय संरचनाओं के अंग के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनका निर्माण नहीं करना पड़ता। अतः उन पर किसी प्रकार का व्यय किये जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

पंजाब में उर्वरक की कमी

6272. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में उर्वरक की कमी को दूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) पंजाब राज्य में 1962, 1967 और 1970-71 के दौरान उर्वरक की प्रति एकड़ औसत खपत क्या है; और

(ग) पंजाबी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) : वर्ष 1970-71 और 1971-72 (पहली दो तिमाही) के दौरान पंजाब की मांग, किये गए आवंटन, दिये गये प्रेषण अनुदेश और किया गया संभरण की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उर्वरक की किस्म	मांग	किया गया आवंटन	दिये गये प्रेषण अनुदेश	किया गया संभरण
1	2	3	4	5	6
1970-71	यूरियम	12,000	36,130*	36,000	34,759 (31-3-71 तक)
	कैल्शियम अमोनियम नाइ-	40,000	90,000*	90,000	92,6902**
	ट्रेटडायअमोनियम फास्फेट	7,000	27,000*	25,000	16,841‡
	एन. पी. के.	—	3,500	3,500	2,968
1971-72 अप्रैल-- सितम्बर, 1971)	अमोनियम सल्फेट	10,000	—	—	—‡‡ (30-6-71 तक)
	यूरिया	50,000	50,000	50,000	38,349
	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	65,000	24,000	9,000	112+
	डाय अमोनियम फास्फेट	15,000	12,000	—	++

*अधिशेष भण्डार के कारण अतिरिक्त आवंटन किया गया ।

**गत वर्ष के आवंटन में से ही अति संभरण किया गया ।

‡आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु द्वारा वायदे के अनुसार भण्डार निर्मुक्त न करने के कारण संभरण पर प्रभाव पड़ा ।

‡‡सितम्बर 1971 तक पोत पहुंचने की संभावना है ।

+काण्डला में रेलवे वैगनों की कमी के कारण संभरण पर प्रभाव पड़ा ।

++अगस्त-सितम्बर, 1971 में संभरण की आशा है ।

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि पंजाब राज्य को केन्द्रीय उर्वरक पूल से वर्ष 1970-71 में काफी बड़ी मात्रा में संभरण किया गया था जिससे वर्ष 1971-72 के पहले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त समीकरण भण्डार उपलब्ध हो सकता है । 30 जून, तक लगभग 38,000 मीटरी टन यूरिया सप्लाई किया जा चुका था और शेष मात्रा सप्लाई की जा रही है । डाय-अमो-

नियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट जैसे अन्य उर्वरकों की भी जुलाई-सितम्बर की निमाही में संभरित किये जाने की आशा है क्योंकि शीघ्र ही पोत पहुँचने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1962-63, 1967-68 और 1970-71 के दौरान प्रति एकड़ उर्वरक की औसत खपत निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	खपत एन	(कुल सस्यगत क्षेत्र के प्रति एकड़ के हिसाब से—किलो में) पी० के०	एन. पी. के.
1962-63	0.75	0.09	नाममात्र 0.84
1967-68	6.69	2.59	0.94 10.22
1970-71	12.38	2.23	0.51 15.12

(ग) जैसा कि भाग (क) में पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, वर्ष 1970-71 में यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई थी। इस वर्ष भी यूरिया का पर्याप्त भण्डार मौजूद है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट की शेष माँग को भी यूरिया से, जोकि एक अच्छा उर्वरक है, पूरा किया जा सकता है।

जहाँ तक डाय-अमोनियम सल्फेट का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश और तमिल नाडु सरकारें अपने पूर्व निर्णय के अनुसार पूल को अधिशेष भण्डार में से कुछ मात्रा निर्मुक्त न कर सकीं जिसके कारण सप्लाई प्रभावित हुई थी। डाय-अमोनियम फास्फेट की काफी अधिक मात्रा, विशेषकर इस दक्षिणी राज्य में, इकट्ठी हो गई थी, अतः डाय-अमोनियम फास्फेट के आयात की गति को कम कर दिया गया। परन्तु उसके बाद दक्षिण में डाय-अमोनियम फास्फेट की माँग बढ़ गई जिसके परिणाम स्वरूप सम्बन्धित राज्य सरकारें पूल को अपने डाय अमोनिया फास्फेट के भण्डार से इसे निर्मुक्त नहीं कर सकीं। पंजाब और देश के अन्य भागों की माँग को पूरा करने के लिए अमोनियम सल्फेट, डाय अमोनियम फास्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अग्रता के आधार पर आयात किए जा रहे हैं।

केरल के क्विलोन, एलप्पी और कोट्टयम जिलों का कृषि सम्बन्धी विकास

6273. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंच वर्षीय योजनाओं में केरल के क्विलोन, एलप्पी और कोट्टयम जिलों में कृषि के विकास के लिए सरकार ने क्या योजनाएं लागू की हैं;

(ख) क्या सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान उक्त जिलों के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं; और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त जिलों के विकास के लिए सरकार का कुछ योजनायें बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल

सरकार से अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि कार्यों के लिए केरल को केन्द्रीय ऋण

6274, श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने कृषि कार्यों के लिए वर्ष 1968-69 से 1970-71 के दौरान वर्ष-वार कितने ऋण की मांग की :

(ख) उक्त अवधि में वर्षवार सहकारी समितियों के माध्यम से कितना ऋण बाँटा गया; और

(ग) केरल राज्य में वर्ष 1968-1969 से 1970-71 के दौरान अभी हाल ही में वसूल किये जाने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्रारम्भिक कृषि समितियों को देय कितनी राशि बकाया है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष	लाख रु० में	
	इनके द्वारा वितरित किए गए ऋण (प्राथमिक ऋण समितियां)	(सहकारी विपणन तथा विधायन समितियां)
1968-69	2045	52.42
1969-70	2572	अप्राप्य
1970-71	सहकारी वर्ष 30-6-1971 को समाप्त हुआ है और अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

(ग) वर्ष	लाख रु० में	
	केन्द्रीय बैंक के स्तर पर	प्राथमिक समितियों के स्तर पर
1968-69	2303	2279
1969-70	2789	2753
1970-71	सहकारी वर्ष 30-6-71 को समाप्त हुआ है और अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत निरीक्षण कार्यालय

6275. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कर्मचारी भविष्य

निधि के अन्तर्गत कितने निरीक्षण कार्यालय (इन्स्पेक्टोरेट आफिसेस) खाले गये हैं तथा बिहार में प्रत्येक कार्यालय का कितना किराया दिया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : प्रादेशिक कार्यालय, बिहार की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि दो निरीक्षणालय-एक जमशेदपुर में तथा दूसरा रांची में स्थापित किए गए हैं जिनका किराया क्रमशः 27.75 रुपये और 40 रुपये प्रति मास है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बिहार में हजारीबाग जिले में अभ्रक क्षेत्रों के लिए जीप की खरीद

6276. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बिहार में हजारीबाग जिले में अभ्रक क्षेत्रों के लिये एक जीप खरीदी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जीप की खरीद और रख रखाव पर इस बीच कितना खर्च हुआ और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं की कुशल व्यवस्था तथा पहुँच से परे क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों, जिनमें खानें भी सम्मिलित हैं, के निरीक्षण के लिए प्रादेशिक कार्यालय बिहार को एक जीप उपलब्ध कराई गई है। जीप का प्रयोग कार्यालय के काम के लिए किया गया है और 30-6-71 तक उसके चालन आदि के लिए लगभग 1863 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

माना ग्रुप के कैम्पों के कैम्प कमांडेंट के विरुद्ध आरोप

6277. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना ग्रुप कैम्पों के कैम्प कमांडेंट के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो ये आरोप क्या थे और क्या मंत्रालय ने इन शिकायतों की उचित जांच कराई है; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) जी, हां, माना ग्रुप आवाजाही केन्द्र, माना के मुख्य कमांडेंट के विरुद्ध शिविर के भूतपूर्व कमांडेंट द्वारा कुछ आरोप लगाये गये थे ।

(ख) और (ग) : मुख्य कमांडेंट के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के विषय में पुनर्वासि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दो बार जांच की गई और वे बेबुनियाद पाये गये ।

1951 और 1971 में दूध की प्रति व्यक्ति खपत

6278. श्री नवल किशोर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1971 में राज्य-वार देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1951 में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता के आंकड़े प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । 1971 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सरकार दूध की बहुत अधिक कमी से भली प्रकार अवगत है तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

विवरण

1951 में राज्यवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, दुग्ध उपलब्धता ग्रामों में

राज्य	प्रति व्यक्ति उपलब्धता ग्रामों में प्रति दिन
आन्ध्र प्रदेश	144
असम, नागालैंड सहित	36
बिहार	118
गुजरात और महाराष्ट्र	104
हिमाचल प्रदेश	101
जम्मू और कश्मीर	91
केरल	33
मध्य प्रदेश	119
मैसूर	92
पंजाब, जिसमें हरियाणा तथा चण्डीगढ़ सम्मिलित हैं ।	397
राजस्थान	220
तमिलनाडु	63

राज्य	प्रति व्यक्ति उपलब्धता ग्रामों में/प्रति दिन
उत्तर प्रदेश	197
पश्चिमी बंगाल	74
दिल्ली	90
मणिपुर	12
त्रिपुरा	56
अण्डमान निकोबार और लक्ष्य द्वीप	
मिनिकाय और अमीन द्वीप	43
अखिल भारतीय	131

स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय

Malpractices in Mandis of Saharanpur District (U. P.)

6279. Shri. Mulki Raj Saini : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the daily arrivals of wheat in each of the mandis of Saharanpur District after the 1st June, 1971;

(b) whether Government are aware that deduction of one kilogram or more per quintal is made in the mandis in Saharanpur and other Districts;

(c) whether the farmers are not being paid wheat price according to pakki receipt; and

(d) whether Government have received complaints to this effect and, if so, the action taken there on ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri. Annasaheb P. Shinde) :
(a) A Statement is attached.

(b) A few complaints alleging deduction of 1 kg or more per quintal of wheat on account of foreign matter were received.

(c) There were oral complaints about non-payment of price of wheat to cultivators as indicated in the parchi.

(d) The State Government have posted Tahsildar/Naib Tahsildar, a sub-Inspector of police, a marketing Officer and two constables in each mandi of the district. The State Government have also deputed two Superintendent of Police, alongwith their supporting staff for duty in the main purchasing areas. In addition area officers of the State CID have also been asked to look into allegations of corruption. The District Magistrate is also keeping a close liasion with the Regional Food Controller for apprehending miscreants. Licenses of some wholesale foodgrain dealers have been cancelled and show cause notices issued against 57 kachha arthias and purchasing agents.

Statement

Statement showing the approximate average daily arrival of wheat in the different mandis of Saharanpur District.

Sl. No.	Name of Mandi	(in tonnes)	
		June	July
1.	Saharanpur	280.00	121.00
2.	Rampur	115.00	26.00

Sl. No.	Name of Mandi	(in tonnes)	
		June	July
3.	Nanauta	80.00	22.00
4.	Nakur	70.00	29.00
5.	Ambehta	148.00	23.00
6.	Gangoh	293.00	52.00
7.	Jhebrea	136.00	13.00
8.	Deoband	206.00	32.00
9.	Manglour	111.00	32.00
10.	Roorki	32.00	33.00
11.	Jawalapur	22.00	10.00
12.	Bhadurabad	28.00	19.00
13.	Vikasnagar	26.00	9.00
14.	Chilkana	4.00	—

पटसन श्रमिकों के लिए नियुक्त पटसन मजूरी समिति द्वारा की गई धीमी प्रगति

6280. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटसन श्रमिकों के लिए नियुक्त की गई मजूरी समिति अधिक प्रगति नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : समिति की अठारह बैठकें हुई बताते हैं और उसने महंगाई भत्ते को बन्धन-मुक्त करने सम्बन्धी सर्व-सम्मति से निर्णय किये हैं। नियोजित न होने की दशा में बदली श्रमिकों को अनुतोष देने के प्रश्न पर भी समिति ने विचार किया परन्तु उद्योग और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण वह कोई सम्मत निष्कर्ष न निकाल सकी। इस वाद-विषय पर समिति की रिपोर्ट भारत सरकार को अभी-अभी प्राप्त हुई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

बहु फसलीय कार्यक्रम के बारे में प्रायोगिक परियोजना के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

6281. श्री एम० एम० जोजफ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बहुफसलीय कार्यक्रम के बारे में प्रायोगिक परियोजना से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केरल के दो चुनींदा खण्डों में अर्थात् एर्नाकुलम जिले में अनकमली और पालघाट जिले में और नामरा में चौथी योजना के शेष 3 वर्षों (1971-72, 1972-73 और 1973-74) में अनुमानित 7.65 लाख रुपये की लागत की एक बहु फसल आदर्श परियोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयन करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है। योजना में (i) राज्य, परियोजना और खण्ड स्तर पर देख-रेख कर्मचारियों, (ii) कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान बैलायनी द्विन्द्रम में विषय विशेषज्ञों और (iii) प्रदर्शन लागत, उपयोगी अनुसंधान परीक्षण और प्रशिक्षण और श्रव्य दृश्य साधनों की व्यवस्था की गई है ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता

6282. श्री एस० सी० सामन्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आए शरणार्थियों की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र सूत्रों से क्या सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) क्या वहां से मिली सहायता तथा अन्य सूत्रों से मिली सहायता आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) संयुक्त राष्ट्र तंत्र से, नकद और सामान के रूप में, वचन बद्ध अंशदान का मूल्य 10 करोड़ डालर है ।

(ख) जी नहीं, अब तक प्राप्त सहायता हमारी आवश्यकताओं से बहुत कम है ।

(ग) हमने पहले ही अपनी आवश्यकताओं से शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त और संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों को अवगत कर दिया है । आशा की जाती है कि और भी सहायता प्राप्त होगी ।

चीनी के उत्पादन में कमी

6283. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चालू वर्ष 1970-71 के दौरान 15 जुलाई, 1971 तक 37.28 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ है जब कि पिछले वर्ष इसी तारीख तक 41.97 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था ।

(ख) चालू चीनी वर्ष लगभग समाप्त हो रहा है । जहां तक 1971-72 में चीनी के

उत्पादन का सम्बन्ध है, जैसे ही गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र और गन्ने के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध हो जाते हैं, वैसे ही स्थिति का जायजा लिया जायेगा।

कलकत्ता गोदी पर सामान्य कार्य मजदूरों को नियमित बनाना

6284. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी पर सामान्य कार्यों के लिए रखे गए मजदूरों को नियमित बनाने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के देश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में निदेश पद में कोई विशिष्ट समय निर्धारित किया गया था यदि नहीं, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(1) कलकत्ता बन्दरगाह के सामान्य कार्य के लिए रखे गये मजदूरों और गियरमैनो के कार्य-संचालन और कार्य सम्बन्धी अपेक्षाओं के व्यौरों का अध्ययन करना;

(2) बम्बई, मद्रास और कोचीन जैसी कुछ अन्य मुख्य बन्दरगाहों में श्रमिकों के समान वर्गों द्वारा किए जाने वाले काम के सम्बन्ध में अपनायी गई प्रथा का अध्ययन करना और इन वर्गों द्वारा कलकत्ता में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए कार्य-भार निर्धारित करना;

(3) कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के खण्ड 20(2) के उपबन्धों के अधीन ऐसी कसौटियों की सिफारिश करना जिनका, नियोजकों की, जिनमें ऐसे ठेकेदार भी शामिल हैं जो अगस्त, 1969 ने सीधे जहाजरानी कम्पनियों/अभिकर्त्ताओं के लिये इन वर्गों के श्रमिकों के एकमात्र संभरक थे, आवर्ती सूचियों में लगातार रखे गए सामान्य कार्य के श्रमिकों और गियरमैनो में से अपेक्षित संख्या में श्रमिक चुनने में पालन किया जाना चाहिये।

(ग) यह तय किया गया था कि समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र, अधिमान्यता अपनी नियुक्ति की तारीख अर्थात् 31-12-70 से छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत कर देगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 मई, 1971 को प्रस्तुत की।

(घ) समिति ने सिफारिश की है कि बड़इयों (कूपरों) को सामान्य कार्य के मजदूरों से अलग किया जाना चाहिए और उन्हें एक अलग वर्ग के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और गियरमैनो का अलग वर्ग समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें पंजीकृत किए जाने वाले सामान्य कार्य के मजदूरों और बड़इयों की संख्या की सिफारिश की है और इस संख्या को चुनने के लिए विस्तृत आधार सुझाये है। समिति ने काम की विभिन्न श्रेणियों के लिये कार्य-भार की भी सिफारिश की है।

कलकत्ता गोदी के सामान्य कार्य मजदूरों का पंजीकरण

6285. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या कलकत्ता गोदी के सामान्य कार्य मजदूरों का कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत समस्त वित्तीय लाभ अर्थात् निम्नतम मजदूरी की गारंटी सहित पंजीकरण किया जायेगा, और;

(ख) यदि हाँ, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत सामान्य कार्य मजदूरों के पंजीकरण की जाँच की जा रही है।

उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को सुविधाएं

6286. श्री नरेन्द्रकुमार साँधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की मांग और उसकी उपलब्धि में अन्तर होने के कारण देश में, विशेषकर दक्षिण भारत में उर्वरक की खपत कम होती है ;

(ख) क्या उर्वरकों के सम्बन्ध में किसानों को राहत दिलाने में उर्वरक ऋण गारंटी निगम प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संगठन को सक्रिय बनाने तथा पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे किसान समय पर गारंटी देकर उर्वरक खरीद सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) विस्तृत अध्ययन के अभाव में उर्वरकों की कम खपत के कारणों को बताना संभव नहीं है।

(ख) किसी भी उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना नहीं की गई है। 1-4-71 से केवल एक सामान्य ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई है। यह निगम वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लघु ऋणों के लिये 75 प्रतिशत तक गारंटी प्रदान करता है। यह उर्वरक खपत तथा उर्वरक व्यापार के लिये दिये जाने वाले लघु ऋणों को भी आवृत करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश के सिधी जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण की उपलब्धियां

6287. श्री रणबहादुर सिंह : क्या इस्ताप और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में किये गये भूगर्भीय सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) उसकी खुदाई के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्ताप और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के सिधी जिले में मिट्टी,

फाल्स्पोर और क्वार्टज, बेरियल, बेराइट्स और ताम्र अयस्क के लघु प्राप्ति स्थल और लौह अयस्क, सिलिमेनाइट और चूना पत्थर के लघु निक्षेप पाए गए हैं।

(ख) चूँकि यह प्राप्ति स्थल कोई आर्थिक महत्व के नहीं हैं, अतः सरकार की इन निक्षेपों को समुपयोजन करने की कोई परियोजना नहीं है।

राज्य के उद्योगों के कर्मचारी राज्य बीमा के व्यय के कुछ भाग को केन्द्र द्वारा वहन किये जाने के बारे में तमिलनाडु का अनुरोध

6288. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत राज्य उद्योगों के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के कुछ भाग को वहन करने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 17 सितम्बर 1969 को हुई अपनी बैठक में यह फैसला किया कि चिकित्सा लाभ की लागत की कुल सीमा राज्य सरकार के अंश को मिलाकर प्रति कर्मचारी 50 रु० प्रति वर्ष होनी चाहिए और यदि वास्तविक खर्च इस सीमा से बढ़ जाता है तो फालतू खर्च केवल राज्य सरकारों द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सहित कुछ राज्य सरकारों ने, इस निर्णय के परिणामस्वरूप उनके सामने आई कठिनाइयों को बताया।

इस मामले पर निगम द्वारा अक्टूबर, 1970 में हुई अपनी बैठक में पुनः विचार किया गया, जब अंतिम निर्णय तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री पर, जो निगम के अध्यक्ष भी थे, छोड़ा गया। अध्यक्ष ने निर्णय किया कि चिकित्सा लाभ की सीमा में संशोधन किया जाना चाहिए और वह प्रति कर्मचारी परिवार इकाई के सम्बन्ध में “समिति” डाक्टरी देख-रेख के लिए 50 रु०, “विस्तारित” डाक्टरी देख-रेख के लिए 54 रु० और पूर्ण डाक्टरी देख-रेख के लिए, जिसमें अस्पताल के अन्दर इलाज शामिल है, 64 रु० होनी चाहिए।

(ख) और (ग): केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राजकीय बीमा योजना पर किए गए खर्च का कोई भी अंश वहन नहीं करती और इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय वहन करने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ लघु उद्योगों के ठेके।

6289. श्री सुबोध हंसदा : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ ठेके को पूरा किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उन पर कोई दण्ड लगाया गया था और यदि हाँ, तो लगाये गये दण्ड का व्यौरा क्या है और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) ऐसे कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें सप्लाई विलम्ब से हुई हो अथवा न हुई हो, पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के ठेकों को सामान्यतया पूरा किया है।

(ख) कुछ एक ठेकों पर सप्लाई में विलम्ब होने और सप्लाई न होने के कारण ये हैं—
(1) श्रमिक अशान्ति; (2) कच्चे माल का समय पर न मिलना; (3) फैक्टरियों में मशीनों की खराबी; और (4) विलम्ब तथा पूर्तिकर्ताओं के संविदागत दायित्वों से हटने का प्रयत्न करने के कारण ठेके की दरों का अमितव्ययी होना;

(ग) ठेके की व्यवस्था के अनुसार, सप्लाई न करने सम्बन्धी दण्ड के अन्तर्गत जमानत जमा का जब्त कर लेना, फर्मों के जोखिम तथा खर्च पर सामान को पुनः क्रय करना और सामान्य क्षति की वसूली करना सम्मिलित हैं। इस प्रकार के हिसाब में फर्मों से 15,00,000 रुपये (लगभग) की धनराशि लेनी है। उसमें से 80,000 रुपये की धनराशि अब तक वसूल की जा चुकी है।

Implementation of Lift Irrigation Scheme in Madhya Pradesh and Rate of Irrigation Cess Charged

6290. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the salient features of the scheme included in the Fourth Five Year Plan for making lift irrigation a success in Madhya Pradesh and whether the Central Government have provided any special facility to the State Government for this purpose;

(b) the amount of irrigation cess paid by the farmers of the areas where this scheme has been implemented so far in Madhya Pradesh;

(c) whether there is any difference between the rate of irrigation cess charged for the canal water and that for water supplied under the Lift Irrigation Scheme; and

(d) if so, the extent and the basis thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (d) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Lok Sabha on receipt of the same.

शिल्पियों के प्रशिक्षण के बारे में पंजाब के आर्थिक तथा सांख्यिक संगठन द्वारा अध्ययन

6292. श्री देवेन्द्र सिंह गरबा : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब के आर्थिक तथा सांख्यिक संगठन द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रम आर पुनवास मन्त्रा (श्री आर०क० खाडलकर) : (क) आर (ख) पंजाब सरकार स जानकारी इकठ्ठी की जा रही है, जो प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

वनस्पति कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस

6293. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किये जाने सम्बन्धी उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के विचारधीन है;

(ख) क्या मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कब विचार पूरा होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा में वनस्पति कारखाना स्थापित करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने उड़ीसा में वनस्पति कारखाना स्थापित करने के लिए कलकत्ता की एक गैर सरकारी पार्टी को औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए सिफारिश की है। विहित कार्यविधि के अनुसार प्रार्थनापत्र को शीघ्र ही लाइसेंसिंग समिति के सम्मुख विचारार्थ रखा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में गन्ना फैक्टरी और चीनी मिल के लिये वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध

6294. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वीरभूमि में अहमदपुर स्थान पर गन्ना फैक्टरी तथा चीनी की मिल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वहां चीनी मिल स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के कृत्य

6295. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के कृत्य क्या हैं;

(ख) समिति के अधिकार क्या हैं; और

(ग) समिति किस प्रकार की सिफारिश कर सकती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय

भूमि सुधार सामाजिक क काल तथा राज्य सरकारा की की जाने वाली समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

- (i) भूस्वामित्व, व्यवस्था, खेती तथा भूमि के वितरण से सम्बन्धित समस्याओं का लगातार अध्ययन करना;
- (ii) भूमि सुधार के कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना;
- (iii) वैयक्तिक खेती तथा भूस्वामित्व की सीमा को लागू करने, लगान को कम करने, पट्टे की सुरक्षा, चकबन्दी तथा इसके विखंडन को रोकने, आदि सहित भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वयन, प्रगति तथा प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा रिपोर्ट देना।
- (iv) भूमिहीन कृषि मजदूरों की भूमि पुनर्वास की योजनाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों सहित भूमिहीन कृषि मजदूरों को आवास भूमि या मकान के स्थानों के स्वामित्व अधिकार देना तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर सलाह देना।
- (v) संविधान में निर्धारित राज्य के नीति निर्देशक तथा पंचदशवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम एवं उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से भूमि नीति में आवश्यक ऐसे उपायों तथा व्यवस्था की सिफारिश करना;
- (vi) प्रस्तावों को तैयार करने, उचित कानून बनाने तथा कार्यान्वयन में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए राज्यों को सलाह देना तथा सहायता करना;
- (vii) अलग-अलग विशेषज्ञों को अध्ययन के लिये विशेष समरयायें तथा स्थापित किये जाने वाले भूमि सुधार केन्द्र को लम्बी अवधि की समस्याएँ सौंपना।

शेरों तथा चीतों की संख्या तथा उनके संरक्षण हेतु कार्यवाही

6296. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में शेरों और चीतों की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके संरक्षण के लिए तथा इन दुर्लभ जातियों को मारे जाने से रोकने के लिए कोई समान कानून नहीं है;

(ग) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के शरणस्थान अथवा राष्ट्रीय पार्क इनके लिए प्राकृतिक निवास की व्यवस्था करते हैं और वहां पर इनका आखेट निषिद्ध है;

(घ) यदि हां, तो इन की संख्या के कम होने के कारण क्या है; और

(ङ) पांच वर्ष पहले अर्थात् 1965 में और आज 1971 में राज्य-वार इनकी संख्या कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, देश में बाघों की संख्या तो घटती जा रही है, शेरों की नहीं।

(ख) जी नहीं, संविधान के अन्तर्गत वन्य पशु पक्षी राज्य के विषय हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव आश्रय स्थल नहीं हैं। राज्य सरकारों के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय उद्यानों तथा जीव आश्रय स्थलों में शिकार करना पूर्णतयः निषिद्ध है।

(घ) शेर अब केवल गिर वनों में ही उपलब्ध हैं अतः गिर-वनों को वन्य-जीव आश्रय स्थल घोषित कर दिया गया है। वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। परन्तु बाघ प्रायः राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव आश्रय स्थलों से बाहर ही पाये जाते हैं और जब वे पशुओं को मारते हैं तो लाइसेंस शुदा शिकारियों, शिकार चोरों अथवा किसानों द्वारा मार दिये जाते हैं। किसान या तो जहर (कृषि कीटनाशी दवाओं यथा फोलिडोल) का अथवा फसल सुरक्षा बन्दूकों का प्रयोग करते हैं। सभी राज्यों में, जंगलों की सीमा में बाघों के अवैध शिकार के मामलों को भुगताने के लिए यथोचित अधिनियम हैं परन्तु भोजन की खोज में जंगलों से बाहर निकले बाघों के शिकार को रोकने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ और मैसूर के अलावा और कहीं कोई कानून नहीं है।

(ङ) बाघों के विषय में इस मन्त्रालय के पास इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनकी कोई गणना नहीं की गई है। वर्ष 1968 में गिर वनों में शेरों की गणना की गई थी उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

शेर	शेरनी	शेर के बच्चे	योग
60	66	51	177

केरल में भूमि सुधार उपाय लागू करने लिए केन्द्रीय सहायता

6297. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृषि करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लिखापढ़ी की है जिसमें केरल में भूमि सुधार उपाय लागू करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) केरल में अब तक किस हद तक भूमि सुधार उपाय लागू किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 लागू करने के लिये भारत सरकार से 105 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। इस राशि का व्योरा नीचे दिया जाता है:—

	(रुपये करोड़ों में)
(क) कुदीकिदप्पू के मामले (रहने की झुगियों की भूमि के बारे में मालकाना हकूक देना)	1.50
(ख) अनुच्छेद 372 के अधीन क्षतिपूर्ति	75.00
(ग) वार्षिकी (धार्मिक खैरायती संस्थानों के अधीन भूमि के लिये अदायगी)	6.00
(घ) कृषक विस्थापन राशि	2.00
(ङ) अधिशेष भूमि के लिये क्षतिपूर्ति (अधिकतम सीमा लागू करने पर)	2.50
(च) नियतित व्यक्तियों को सहायता	10.00
(छ) कर्मचारी वर्ग	8.00
जोड़ : 105.00	

यह आवश्यकता राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिये है जिसके दौरान सब साधनों से लगभग 30 करोड़ रुपये की अनुप्राप्ति की आशा है। अतः ठीक वित्तीय वचनबद्धता लगभग 75 करोड़ रुपये के होगी।

(ग) केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 में झुगियों की कुदीकिदप्पूकरों को मालकाना हकूक देने की व्यवस्था की गई है। पट्टे पर भूमि के भूमिदारों से मालकाना हकूक राज्य द्वारा अधिप्राप्त करके पट्टे पर काश्त करने वालों को मालकाना हकूक देना और भूमि सम्पत्तियों पर अधिकतम सीमा लागू करके अधिशेष भूमि, का भूमि हीनों में वितरण करने की भी अधिनियम में व्यवस्था है। इस अधिनियम की समस्त धाराओं को 1-1-1970 से लागू कर दिया गया है। अधिनियम कार्यान्वयन के लिये तत्काल अपेक्षित नियम 1-1-1970 को जारी किये गये। भूमि बोर्ड, अपील प्राधिकरण और भूमि अधिकरण, जिनका अधिनियम में वर्णन है, स्थापित किये जा चुके हैं। कुदीकिदप्पू हकूक खरीदने के लिये कुल 2,28,053 आवेदन पत्रों में से 79,902 मंजूर कर दिए गए हैं और 1-6-71 तक 29,269 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। भूमिदारों और विचोलियों के अधिकारों की तबदीली के लिये प्राप्त 157936 आवेदन पत्रों में से 13756 आवेदन पत्र मंजूर कर दिये गये हैं। भूमि बोर्ड ने 1-6-71 तक अधिकतम भूमि सीमा की 3346 रीटनें प्राप्त की हैं और ये जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

मैसूर में माल्हे में मत्स्य पतन बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

6298. श्री पी० आर० शिनाय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में माल्हे के स्थान पर एक मत्स्य पतन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिव पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त मीन बन्दरगाहों की निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने मैसूर में मीन बन्दरगाहों के लिये संभाव्य रूप से उपयुक्त समझे जाने वाले स्थलों का व्यापक रूप से सर्वेक्षण तथा जाँच पड़ताल की। परियोजना की रिपोर्ट के सन्दर्भ में, मैसूर सरकार ने दिसम्बर, 1970 में माल्पे में एक मनीहरण बन्दरगाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्तावों पर परियोजना अधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण परियोजना द्वारा प्रस्तावों के तकनीकी पक्षों के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियों का अध्ययन किया जा चुका है और हाल ही में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं। योजना तथा अनुमानों को अन्तिम रूप देने के लिए मैसूर सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है। परियोजना से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर माल्पे में एक मीन बन्दरगाह की संस्वीकृति के प्रश्न पर परिवहन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जायेगा।

खनन तथा धातु विज्ञान में रूस का सहयोग

6299. श्री राम सहाय पांडे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में रूसी सहयोग के लिए रूस के साथ बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी, हां। कोरवा प्रद्रावक एवं गढ़ाई संयंत्रों के विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक एककों के विस्तृत इंजीनियरी के लिए मास्को (रूस) के मैसर्ग स्वेटमेटप्रोमेक्सपोर्ट से उनके लिए बातचीत की जा रही है।

Return of Defective Rs-09 Tractors and Payment of Compensation to Farmers

6300. Shri Ran Bahadur Singh. : Will the Minister of Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 478 on the 22nd, May, 1971 regarding the import of suitable tractors in replacement of Rs-09 defective tractor imported from G. D. R. and state :

(a) the number of tractors returned and the amount paid to the buyers as compensation per tractor;

(b) Whether immediate relief will be provided to the farmers by refunding the entire amount spent by them on those tractors through the State Trading Corporation; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasheb P. Shinde) : (a) Inspection of Rs-09 tractors offered for return in Gujarat has already been conducted, and the State Agro-Industries Corporation has confirmed that it has already received Rs 7.50 lakhs from the GDR authorities covering the cost of 84 modified Rs-09 tractors being returned to them. The Rajasthan State Agro-Industries Corporation has also intimate that 52 numbers of Rs-09 tractors were modified upto 21st February 1971. However, 24 farmers only have offered to return their tractors. The inspection of these tractors has already been carried out, and these are being returned to the GDR Suppliers representative, who has sent a cheque for Rs. 84,401.78 as an advance towards the cost of these tractors. to the Corporation. He has also promised to remit the balance amount immediately after receiving the formal bill from the Corporation. In the Punjab, out of 75 Rs-09 tractors which have been inspected so far by

the GDR representatives, agreement has been reached on the prices of 40 tractors up to 24-7-1971. Further inspection is in progress. Progress about the return of tractors in other States will be known as soon as the tractors are inspected there.

(b) & (c) The concerned State Agro-Industries Corporations were advised to replace Rs-09 tractors with other makes of tractors viz. Zetor and Ursus tractors to the extent possible. Additional allocations have also been made for this purpose. So far, 341 Nos. of popular makes of tractors have been delivered to the purchasers of Rs-09 tractors. Some 575 tractors now available with the Agro-Industries Corporations for being supplied to such farmers. Thus out of a total of 1299 Rs-09 tractors sold, 916 tractors are in the process of being replaced. In cases where the farmers do not wish to buy and tractor, the Corporations have been requested to consider the refund of money in cash.

The concerned Agro-Industries Corporations have offered to share the loss suffered by the farmers in the return of Rs-09 tractors, on a mutually agreed basis.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध ढाँचे का बदला जाना

6301. श्री एन० ई० होरो : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्टील स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध ढाँचे को बदलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Inclusion of Rural Works Programme of Pali and Udaipur Districts Regions Under Crash Programme of Rural Employment

*6302 Shri M. C. Daga : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether a list of the various works undertaken by Government in Pali and Udaipur Districts of Rajasthan under the Crash Programme for Rural Employment would be laid on the Table of the House;

(b) whether a large number of irrigation works are lying unfinished in Pali District and if so, whether Government have included these works under this Programme and if not, the reasons therefor; and

(c) whether the Crash Programme for Rural Employment is not chalked out in consultation with the local Member of Lok Sabha ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Proposals in respect of Pali and Udaipur Districts include work projects relating to minor irrigation, soil conservation, afforestation and roads. A list of works approved for these districts is laid on the Table of the House. (Placed in the Library. See No. L. T.—762/71)

(b) The number of irrigation works lying unfinished in Pali District is not known. A number of such works have, however, been included for execution under the Crash Scheme.

(c) The Rajasthan Government have stated that the programme for the current year

has been drawn up in consultation with Pramukhs of zila Parishads and Pradhans of Panchayat Samitis. The centre has recently advised the States to associate Members of Parliament with the Coordination Committees to be set up in connection with the Crash Scheme.

उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर में साइलो तथा अनाज के गोदामों का निर्माण

6303. श्री हरि सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर नामक स्थान पर साइलो तथा अनाज के गोदाम बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु भूमि अर्जित कर ली गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) : बुलन्दशहर में 10,000 मी० टन क्षमता के परम्परागत गोदाम बनाने का विचार है और वहाँ किसी साइलो के निर्माण करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) निर्माण की लागत 14,35,400 रुपये होने का अनुमान है जिसमें भूमि तथा अन्य सेवाओं की लागत शामिल नहीं हैं । तथापि, कुल परिव्यय लगभग 20 लाख रुपये के आस-पास होने का अनुमान है ।

(ग) भूमि अभिग्रहण की जा रही है ।

कृषि अनुसन्धान की भारतीय परिषद द्वारा किसानों की स्थिति का अध्ययन

6304. श्री रण बहादुर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी भारतीय परिषद देश में उत्पादक एककों के रूप में किसानों की समूची आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी भारतीय परिषद किसी निष्कर्ष पर पहुँची है; और

(ग) तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और अध्ययन किन क्षेत्रों में किया गया है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : किसानों की आर्थिक परिस्थितियों की सुधरी हुई कृषि तकनीक के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए हाल के वर्ष में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा कुछ अध्ययन किये गये हैं । इन अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक तकनीक को, जिसमें अधिक उत्पादनशील किस्म अल्पावधि फसल की किस्म उर्वरक का प्रयोग, कृषि-जलवायु की परिस्थितियों पर आधारित सुधरी हुई कृषि प्रणालियाँ उचित जल व्यवस्था तथा सिंचाई पर्याप्त वनस्पति-रक्षण उपाय तथा बहु एवं अविराम शास्यक्रम का अपनाना शामिल है, अपनाकर किसान की आय प्रति वर्ष प्रति हेक्টার 1000-1500 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है ।

परन्तु, विशेष क्षेत्रों तथा सारे देश में उत्पादक एककों के रूप में किसानों की सारी आर्थिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

**अखिल भारतीय सलाहकार तथा परामर्शदाता समितियों में
कृषिकों की नियुक्ति का मापदंड**

6305. श्री रण बहादुर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आधार पर सलाहकार तथा परामर्शदाता निकायों में कृषकों की नियुक्ति करते समय सरकार क्या मापदण्ड अपनाती है;

(ख) क्या इसमें ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गई हैं जिनके लिए कृषि आजीविका का एक साधन है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6306. श्री एस०एम० बनर्जी :

श्री एम०आर० गोपाल रेड्डी :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में नियोजकों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि 15 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसको वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस मामले में कितने नियोजकों पर मुकदमा चलाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है।

(क) और (ख) : दिसम्बर, 1970 के अन्त में, विमुक्ति-रहित प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 15.76 करोड़ रुपये की भविष्य निधि अंशदानों की राशि की अदायगी में चूक की गई। चूक-कर्ता विमुक्ति-रहित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन अभियोजनों तथा वसूली कार्यवाहियों के रूप में कानूनी कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायत दायर की जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-

ख के अधीन दांडित-हजाने भी लगाए जाते हैं। अधिकृत नियंत्रकों के अधीन प्रतिष्ठानों के बारे में बताया के शीघ्र भुगतान का प्रश्न राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के साथ उठाया जाता है।

(ग) 31-12-1970 तक कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन चलाए गए अभियोजनों की संख्या 40,641 थी।

उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में चीनी मिलों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की वसूली

6307. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में चीनी मिलों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूल करने के लिये आगे और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन बकाया राशियों का भुगतान करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों के संबंध में 1970-71 में खरीदे गये गन्ने के लिए देय मूल्य, भुगतान किया गया मूल्य और देय शेष मूल्य तथा पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य के बकायों की अद्यतन स्थिति नीचे दी जाती है :—

	बिहार	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
	जैसी कि 7-7-71 को थी	जैसी कि 30-6-71 को थी	जैसी कि 30-6-71 को थी
	(आंकड़े लाख रुपयों में)		
1970-71 में खरीदे गये गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	2415.29	2182.13	10019.76
गन्ने का भुगतान किया गया मूल्य	2164.35	1670.00	8655.75
गन्ने का देय शेष मूल्य	250.94	512.13	1364.01
पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य का बकाया	36.96	2.85	262.38

(ख) और (ग) : बिहार सरकार ने 17 चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध बिहार तथा उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी अधिनियम, 1914 के अधीन रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किये हैं और गन्ना (सम्भरण तथा खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1971 के अधीन छः के विरुद्ध दावा किया है। वे गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान करने के लिए राज्य के चूककर्ता कारखानों के कड़े अनुदेश भी जारी कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने तमिलनाडु में एक बैठक का आयोजन किया था जहाँ पर चीनी कारखानों और गन्ना-उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ बकायों के भुगतान के प्रश्न

पर चर्चा की गई थी। कारखानों ने अगस्त, 1971 के अंत तक बकायों को चुका देने का वचन दिया था। राज्य सरकार इस मामले में कड़ी निगरानी रख रही है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

- 1) भू-राजस्व के बकायों के रूप में गन्ने के मूल्य के बकायों की वसूली के लिए 47 कारखानों के बारे में प्रमाण पत्र जारी किया है लेकिन 13 मिलों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और स्थगन आदेश लिया था;
- 2) 8 चीनी मिलों के लिए रिसीवर नियुक्त किया है;
- 3) किस्तों में बकायों के भुगतान करने के लिए दो चीनी मिलों के साथ करार किया है;
- 4) एक मिल के मालिक को गिरफ्तार करवाया है;
- 5) कलक्टरों ने कई मिलों के मामले बैंक द्वारा दी गई पेशगियों का भुगतान करने के बाद चीनी की बिक्री की प्राप्तियों में से बची राशि को जब्त कर लिया है;
- 6) 12 चीनी मिलों को अभिग्रहण करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया है जिससे बकायों को भी खत्म करने में सहायता मिल सकती है लेकिन उनमें से सात ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

केरल स्थित बेयोर मत्स्य बन्दरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

6309. श्री एम०के० कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बेयोर मत्स्य बन्दरगाह के बारे में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार ने वयेपुर बन्दरगाह विकास के लिये परियोजना रिपोर्ट की प्रतिलिपि अक्टूबर, 1970 में भेजी।

(ख) बन्दरगाह के निर्माण का उद्देश्य 300 मशीनी नौकाओं और 80 बड़े जहाजों के लिये सुविधा की व्यवस्था करना है। इन जहाजों और अन्य बिना इंजन की नौकाओं से, जो इस बन्दरगाह से चलती हैं, लगभग 1,34,000 मीटरी टन माल उतरेगा। आनुसंगिक औद्योगिक प्लांट, उपकरणों और सुविधाओं के अतिरिक्त बन्दरगाह के निर्माण पर लगभग 418.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी।

(ग) और (घ) : रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना को, केरल में छोटे बन्दरगाहों पर अतिरिक्त मीन पत्तनों के लिये स्थानों के सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में मीन हरण पत्तनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण के लिये विचारार्थ भेज दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सर्वेक्षण

परियोजना ने केरल साहिल परपत्तन स्थानों के अध्ययन के लिये कार्यक्रम बनाया है। कोचीन पर अनुमानतः 272.00 लाख रुपये की लागत के साथ और बिशनजोम, पोनावी, वालीपटनम और अन्य बन्दरगाहों पर मीन पत्तनों का निर्माण पहले ही मंजूर कर दिया गया है। अतिरिक्त मीन पत्तन सुविधाओं के लिये अग्रतायें केरल सरकार की सलाह के साथ परियोजना द्वारा निर्धारित की जायेंगी। तत्पश्चात् परियोजना विस्तृत अध्ययन करेगी और चुनिन्दा पत्तनों के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वयेपुर पर मीन पत्तन मंजूर करने के प्रश्न पर सर्वेक्षण परियोजना द्वारा किये मूल्यांकन के संदर्भ में विचार किया जायेगा।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये दिये जाने वाले राशन की चोर बाजारी

6310. श्री समर गुह : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1971 के "मुर्शिदाबाद समाचार" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया कि एक व्यापारी ने, जो शरणार्थियों को राशन सप्लाई करना चाहता था, चोर बाजारी की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यापारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : आवश्यक जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Effect Dry Farming Scheme on Production

6311. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Agriculture be pleased to refer to the reply given to Starred-Question No, 117 on the 27th May, 1971 and state :

(a) the extent to which production can be increased by the application of dry farming;

(b) whether Government have tried this scheme anywhere so far; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) Confirmed results regarding the extent of increase in crop production per hectare due to adoption of dry farming technology are yet to be come available from the different Centres under the All India Coordinated Research Project on Dryland Agriculture. However, 25 to 50% increase in crop yield per hectare over the years may be expected due to adoption of dry farming technology. The yield could be doubled in some cases depending upon the rainfall and other weather conditions.

(b) Yes, Sir. The results of research on dry farming carried out at the above Research Centres will be tried in 24 Pilot Projects to be taken up under the Centrally Sponsored Scheme of 'Integrated Dry Land Agricultural Development' during the Fourth Plan period. 9 such Pilot Projects were undertaken, one each in Andhra Pradesh, Gujrat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore; Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh in 1970-71. The remaining 15 Pilot Projects are being started from the current financial year.

(c) It is too early to assess the results.

जून और जुलाई, 1971 वर्षा के कारण फसलों को हुई हानि का अनुभव और उसके लिए केन्द्रीय सहायता

6312. श्री एस० सी० जनार्दनन :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई, 1971 में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में खड़ी फसलों को भारी हानि पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अनुमानतः कितनी हानि पहुंची है;

(ग) क्या किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य कोई सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उठाये गये राहत के उपायों पर व्यय करने की दिशा में केन्द्रीय सहायता की नीति के अनुसार राज्यों को ऐसे मामलों में उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सामान्य तौर पर कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती। राज्य सरकारों से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने और एक केन्द्रीय दल आदि द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने के उपरान्त राहत के अन्य उपायों के लिये सहायता प्रदान की जाती है। केरल सरकार ने सहायता के लिये अनुरोध किया है और स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल राज्य का दौरा करेगा। बिहार सरकार से भी अभी अभी केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस राज्य में भी एक केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय किया गया है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले लौह अयस्क के निक्षेप पाया जाना

6313. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में दुर्लभ किस्म के लौह अयस्क के निक्षेप बड़ी मात्रा में पाये गये हैं जिसका प्रयोग रसायन और वनस्पति उद्योगों में हाइड्रोजन के उत्पादन में औद्योगिक स्तर पर किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये इस किस्म के अयस्क का पहले आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा बचा सकती है जो कि इस किस्म के अयस्क के आयात में कम की जा रही थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) प्रश्न में निर्देशित खनिज सिदेराइट अथवा धात्विया लौह अयस्क से जाना जाता है। इसके प्रातिस्थल कच्छ जिले के पानन्ध्रो लिग्नाइट क्षेत्र में पाए गए हैं। निक्षेप पानन्ध्रो लिग्नाइट क्षेत्र के 8 वर्ग-किलो मीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और अनुमानित उपलब्ध राशियां 0.46 करोड़ टन तक है।

(ग) 1969 और 1970 के दौरान इस किस्म के लौह अयस्क का आयात क्रमशः 169 और 153 टन था जिसका प्रयोग मुख्यतः हाइड्रोजन की निर्मुक्ति के लिए हिन्दुस्तान लीवर्स लि० द्वारा किया जाता था।

(घ) ऊपर निर्देशित निक्षेप में पाए गए अयस्क के उपयोजन की लगभग एक लाख रुपये की वार्षिक बचत में परिणित होगी।

पंजाब में बारानी खेती के लिए एक अनुसंधान परियोजना की स्थापना

6314. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बारानी खेती के लिये एक अनुसंधान परियोजना स्थापित की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान परियोजना का व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् बारानी खेती की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत 147.50 लाख रुपये के परिव्यय से एक उप-केन्द्र पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय, लुधियाना में स्थापित किया गया है।

बारानी खेती की परिस्थितियों के अन्तर्गत नई तकनीक के विकास तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहु-क्षेत्रीय अनुसंधान करने का विचार है। इस कार्यक्रम में गहरी जुताई, जल उपयोग तथा छिड़काव से पूरक सिंचाई ड्रिप सिंचाई मलय बनाना तथा आर्द्रता का परिरक्षण, सूखे की प्रतिरोधी तथा सूखे को सहने वाली किस्में, व्याप्त जलवायु तथा मृदा परिस्थितियों के लिये उचित फसल प्रतिमान शामिल हैं।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

6315. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री निहार लास्कर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादक संघ ने केन्द्र सरकार से वर्ष 1971-72 के लिए

गन्ने के मूल्य 100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 के लिए गन्ने का मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादक संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश के एक कारखाने के गन्ना उत्पादक संघ ने ऐसा अनुरोध किया था।

(ख) चीनी के विनियंत्रण के बाद पैदा हुई स्थिति, राज्य सरकारों, सम्बन्धित हितों के अन्य प्राधिकारियों और संघों की सिफारिशों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 1971-72 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

वन बाहुल्य राज्य में वन का विकास

6316. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वन बाहुल्य राज्यों में वन का विकास बहुत कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं, अनुवर्ती पंचवर्षीय वनिकी विकास योजनाओं के दौरान सभी राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश जैसे सघन वन राज्य अपेक्षाकृत विस्तृत वन प्रदेश वाले राज्य भी सम्मिलित हैं; तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनेकों उपयोगी तथा उत्पादन योजनाएं लागू की गई हैं। कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

- (1) शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौधे लगाना;
- (2) औद्योगिक और व्यापारिक प्रयोगों के लिए मितव्ययी बागान लगाना;
- (3) वानिकी कृषि और ईंधन की लकड़ी के पौधे लगाना;
- (4) संचार व्यवस्था का विकास

इन राज्यों द्वारा विभिन्न वनिकी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर वर्ष 1951-69 के दौरान किये गये व्यय तथा चौथी योजना (1969-74) के दौरान परिव्यय का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संग्रह है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

वर्ष 1951-69 के दौरान राज्य और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर किये गये व्यय तथा चौथी योजना 1969-74 के दौरान परिव्यय का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण।

वन समृद्ध राज्यों का नाम	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	रु० लाखों में		योग 1951- 1969	चौथी योजना के लिए आवंटन 1969-70
			तृतीय योजना 1961-66	तृतीय योजना के बाद 1966-69		
1. आन्ध्र प्रदेश	26.46	97.13	149.69	176.50	449.78	225.00
2. असम	47.40	110.00	112.39	91.37	361.16	337.00
3. केरल	*	51.35	216.22	146.01	413.58	440.00
4. मध्य प्रदेश	122.61	196.00	472.55	347.73	1138.89	950.00
5. महाराष्ट्र	22.91	124.00	452.77	459.67	1059.35	750.00
6. मैसूर	8.52	106.00	324.65	356.26	795.43	400.00
7. उड़ीसा	13.29	49.38	252.91	202.67	518.25	325.00
8. उत्तर प्रदेश	138.82	246.00	675.20	438.18	1498.20	1500.00
अखिल भारतीय	749.78	2022.76	4530.30	3896.94	11199.78	9000.00

*में वन संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए आवंटन सम्मिलित नहीं है।

औद्योगिक केन्द्रों में कोयले का संकट

6317. श्री रामसहाय पांडे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में कोयले के भंडार की स्थिति शोचनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने और देश के औद्योगिक केन्द्रों में कोयले की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार को रिपोर्ट मिली है कि उत्तरी भारत में कतिपय औद्योगिक केन्द्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति नाजुक है।

(ख) और (ग) इसका प्रमुख कारण बंगाल-बिहार क्षेत्र में कोयले के संचालन के लिए वेगनों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता, वेगन के पुर्जों, ऊपरी तारों, सिगनल देने वाले और अन्य रेलवे उपकरणों की वृहद मात्रा में चोरी; रेलवे कर्मचारियों पर प्रहार तथा उसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था में क्षय है। भारत सरकार स्थिति से पूर्णतया अवगत है और राज्य सरकार के परामर्श से विधि और व्यवस्था में सुधार लाने और रेल-संक्रियाओं को पूर्व स्थिति में लाने के लिए कदम उठा रही है।

उत्तर से अनाज के लदान को नियमित करते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा कोयला लदान को गतिशील करने के लिए 16-7-71 से विशेष व्यवस्था की गई है, अब उपाप्त रबी फसल के प्रचूर

भण्डार की निकासी हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार क्षेत्रों से कोयले का लदान 5700 मालडिब्बे प्रतिदिन वर्धित हो गया है।

**1969-70 के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने में हड़ताल के लिये जिम्मेदार
राजनैतिक दल**

6318. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में 1969-70 में हड़ताल के लिए कर्मचारियों को उकसाने में किसी राजनैतिक दल का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो उस राजनैतिक दल का नाम क्या है; और

(ग) उस दल के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, नहीं। सरकार को इस बारे में मालूम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हजारीबाग में अभ्रक की खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम

6319. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हजारी बाग जिले में अभ्रक की खानों में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का ब्यौरा खान अधिनियम, 1952 के अधीन बनाए गए विनियमों में दिया गया है। सुरक्षा के इन उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। फिल्मों तथा अन्य दृश्य-अव्यक्त रीतियों आदि के माध्यम से और विशेष सुरक्षा सप्ताह आयोजित करके श्रमिकों में सुरक्षा-जागृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास सतत जारी हैं। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को सुरक्षा सम्बन्धी कार्य-प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग जिले में चार प्रशिक्षण केन्द्रों ने पहले से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

**पश्चिम बंगाल स्थित बज बज क्षेत्र के लिये राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल
का खोला जाना**

6320. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित बज बज क्षेत्र के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के निकट भविष्य में खुल जाने की सम्भावना है; यदि हां, तो यह कब खुल जायेगा ?

(ख) क्या इसके लिए भवन तीन वर्ष से भी अधिक पहले निर्मित हो गये थे; और

(ग) यदि हां, तो अस्पताल को उपकरणों से सुसज्जित करने तथा उसे पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राजकीय बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी हां। निर्माण-कार्य तथा अन्य आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात् अस्पताल खुल जाएगा।

(ख) भवन अभी निर्मित हो रहे हैं।

(ग) प्रायोजना का निर्माण कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वह परियोजना को जल्दी पूर्ण न करने के कारणों से अवगत कराए। इस अवस्था में सुसज्जित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार प्रशिक्षित व्यक्ति

6321. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रशिक्षुता निदेशक, भारत सरकार द्वारा 24 जून, 1971 को जमशेदपुर में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 75000 प्रशिक्षित व्यक्ति अभी भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपने निर्दिष्ट उद्देश्य में असफल हो गया है और इसका पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है, तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उल्लिखित विवरण ऐसे प्रशिक्षित दस्तकारों से सम्बन्धित है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण हैं और जिनके नाम देश के रोजगार कार्यालयों में लिखे हैं। यह उन प्रशिक्षित दस्तकारों से संबन्धित नहीं है जिन्होंने शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) : रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षुओं की संख्या से मालूम होता है कि शिक्षु कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षित दस्तकारों की कार्य-कुशलता तथा नियुक्ति सम्भावनाएं बढ़ी हैं। अस्तु जिस लक्ष्य को लेकर शिक्षु कार्यक्रम को चलाया गया था उसे काफी हद तक पा लिया गया है। फिर भी शिक्षु योग्य व्यवसायों तथा पाठ्यक्रमों के मापदंडों में वांछनीय परिवर्तन करने हेतु उद्योगों के परामर्श से कार्यक्रम का सतत सिंहावलोकन किया जाता है।

खाद्यान्नों का आयात बन्द करके धन राशि का बचाया जाना

6322. श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों के आयात को बन्द करने के परिणामस्वरूप लगभग कितनी धनराशि बचायी जा सकती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : 1970 में खाद्यान्नों का आयात करने से औसतन 572 रुपये प्रति मीटरी टन के आसपास लागत तथा भाड़े पर खर्च हुआ था और यदि हम खाद्यान्नों का आयात बन्द कर देते हैं तो इसी धनराशि को प्रति मीटर टन बचत के रूप में लिया जा सकता है। तथापि यदि ऐसे आयात उपहार के रूप में अथवा सहायता प्रबन्धों के प्रति प्राप्त होते, जिन पर लदान के अलावा विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का खर्च नहीं पड़ता है तब उस हद तक बचत में कमी हो जाती है। इसके अलावा, जहाँ तक यू० एस० पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्नों के आयात का सम्बन्ध है यदि यह परिकल्पना भी की जाय कि परिवर्तनीय मुद्रा में पूरा भुगतान करना पड़ेगा, तब भाड़े को छोड़कर विदेशी मुद्रा का तत्काल कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे आयातों के लिए वित्तीय प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण लेकर किया जाता है जोकि 40 वर्ष की अवधि में चुकाना होता है। वर्ष 1970 में भारत ने कुल लगभग 36 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात किया था जिस पर अनुमानित लागत तथा भाड़ा 208 करोड़ रुपये के आस-पास बैठता था।

मनीपुर में वन्य क्षेत्रों को झूमिया खेती क्षेत्रों में बदलना

6323. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के पहाड़ी जिलों में दूसरी तथा तीसरी योजना की समयावधि में कितने वन्य क्षेत्रों को झूमिया खेती के क्षेत्रों में बदला गया;

(ख) क्या इस प्रकार के परिवर्तन सरकार की अनुमति से हुए;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई 'सुस्पष्ट' नीति है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी नीति कब निर्धारित की गई तथा उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिया खेती के लिये वनों का अंधाधुंध विनाश किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) किसी भी सरकारी वन भूमि को झूमिया खेती क्षेत्र में नहीं बदला गया है।

(ख) से (ङ) : भारत की 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में यह प्रतिपादन किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में विवर्ती खेती से होने वाली हानि से वनों की रक्षा की जाय। उन आदिवासी जातियों को, जोकि अपने पुश्तों के पुराने स्थान को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए कुल्हाड़ी से वन काट कर जीविकायापन करते हैं, वनों को काफी हानि पहुँचाते हैं। सही रास्ते पर लाने के लिये दबाव की अपेक्षा बहला फुसलाकर तथा रौब-दाव की अपेक्षा सेवा-भाव से मनाना चाहिए। वनों के पुनरोपण से सम्प्रक्त करके दोनों के ही लाभ के लिए विवर्ती खेती को नियमित करने की संभावना की पूर्ण खोज की जाए। इस दिशा में सफलता, किसानों से प्राप्त होने वाले सहयोग, उनकी आवश्यकता और इच्छाओं के प्रति आदर उनका विश्वास जीतने आदि पर निर्भर करती है।

पहाड़ी प्रदेशों की समस्त भूमि का प्रशासन आदिवासियों द्वारा किया जाता है। पहाड़ी

उन क्षेत्रों में जहाँ कि उनकी आदिवासी परम्परा के अनुसार झूमियाँ प्रथा प्रचलित हैं। भू-राजस्व नियम लागू नहीं होते। फिर भी, टैक्सेसिंग को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे कि आदिवासी जनता अपनी अवैज्ञानिक भूमियाँ प्रणाली को त्याग दें।

मनीपुर में श्रमिक कल्याण विभाग

6324. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में श्रमिकों की बढ़ती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मनीपुर सरकार ने एक प्रभावशाली श्रमिक कल्याण विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कौन से कदम उठाये हैं;

(ख) वे विभाग कौन से हैं जिनमें पूरे समय के लिए श्रम-अधिकारी नियुक्त किए गये हैं अथवा नियुक्त किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पहले कदम के रूप में क्रमायुक्त के कार्यालय में एक श्रम अधिकारी नियुक्त किया जाने वाला है। श्रम निरीक्षक का एक पद बनाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(ख) मनीपुर राज्य के परिवहन विभाग में एक श्रम अधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

6325. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर चलाए गए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं;

(ख) पहली तीन योजनाओं के दौरान प्रत्येक योजना काल में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो पहली जैसी ही स्थिति बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मणिपुर सरकार द्वारा चलाया जा रहा सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, इम्फाल, सरकार तथा सहकारी संस्थानों के कनिष्ठ सहकारी

कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। ये पाठ्यक्रम जाब-ओरिएण्टेड हैं, जिनमें सहकारी प्रबन्ध तथा पद्धति पर बल दिया जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, वहां पर 423 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) मणिपुर की द्वितीय योजना में पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय की गई 1.33 लाख रुपये की कुल राशि में से 63,463 रु० द्वितीय योजना के दौरान तथा 69,620 रु० तृतीय योजना के दौरान व्यय किये गए थे।

(ग) और (घ) : चतुर्थ योजना अवधि में संस्थान के सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक विस्तार पर अधिक बल दिया जाएगा। प्रशासन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नए कार्यकलापों का भी आयोजन किया जाएगा। संस्थान के कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए 0.7 लाख का योजना प्रावधान किया गया है। सहकारी प्रशिक्षण संस्थान को अब मणिपुर पंचायती राज और सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया है और यह सहकारी समितियों और साथ ही ग्राम सभाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है।

मनीपुर में मसालों की खेती सम्बन्धी प्रयोग

6326. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर में विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती सम्बन्धी प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन मदों के नाम क्या हैं तथा इससे कितना लाभ हुआ है और प्रयोग के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे उत्पादन के लिए मनीपुर के उपजाऊ क्षेत्रों का उपयोग करने के विचार से ऐसा कर रही है;

(घ) क्या मनीपुर में दालचीनी का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसी कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Supply of Gram-Seeds to Farmers of Bihar for Next Rabi Crop.

6327- Shri G.P. Yadav : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been made to supply gram-seeds to the farmers of Bihar for the next Rabi crop; and

(b) if so, the time by which these seeds will be supplied to them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :
(a) and (b) It is the responsibility of the State Governments to make arrangements for

supply of seeds. The Government of India arrange supplies in case of shortages but have so far received no request from the State Government of Bihar for arranging supply of gram seeds for Rabi, 1971-72.

**Improvement of Cattle Breeds in Haryana and Rajasthan and its Effect
on Supply of Milk and Ghee**

6328. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to improve the breeds of cattle in Haryana and Rajasthan;

(b) whether the report of a Scientist is true that If the breed of cattle is improved in Haryana and Rajasthan, they can supply milk and ghee to the whole country; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) Government are setting up a Central Cattle Breeding Farm at Suratgarh in Rajasthan at an estimated cost of Rs. 89.87 lakhs for the improvement of Tharparkar Cow and distribution of progeny tested bulls. A Centrally Sponsored Project for the reorganisation of Govt. Livestock Farm, Hissar, at an estimated cost of Rs. 138 lakhs was taken up in the Third Five Year Plan for improvement of Haryana Cow. This project has been transferred to the State Govt. from the Fourth Five Year Plan.

(b) Govt. have not seen any such report.

(b) Does not arise.

Supply of Improved Variety of Seeds to Farmers

6329. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether any scheme has been forwarded to the States to supply improved variety of seed to the farmers on instalment basis; and

(b) if so, the rate at which it will be supplied to them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) No. Sir

(b) Does not arise.

Sheep Imported and There Utility

6330. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Agriculture be pleased to state;

(a) whether india purchased sheep from Isreal or other countries two years ago and whether they proved to be useful ;

(b) if so, the number of sheep brought in Rajasthan and the value thereof; and

(c) the number out of them still surviving ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) No sheep was purchased two years ago, from Israel or any other country.

(b) and (c) ; Question does not arise.

**Availability of Urea and Di-Ammonium Potash
to Farmers at Cheap Rates**

6331. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether farmers do not get fertilisers like urea and di-ammonium potash in time; and

(b) the action being taken by Government to make these fertilisers available to them in time and at cheap rates ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) The position regarding the requirements given by the State Governments for Urea and Di-ammonium Phosphate (presumably the reference to Di-ammonium Potash in the Parliament question is actually to Di-ammonium Phosphate) as the allotments made by the Government of India the despatch instructions received from the State Governments and the supplies made during 1970-71 and 1971-72 is given below :—

Year	Kind of ferti- liser	Total requi- rements.	Total allot- ment.	(Figures in tonnes)	
				Total despatch instructions given	Total Supplies made.
Upto 30-3-71					
1970-71	Urea	7,47,816	13,21,681	3,52,170	6,13,351*
	Di.A/ Phosphate,	1,27,810	1,80,033	1,43,400	1,10,055
Upto 30-6-71					
1971-72	Urea	6,04,650	7,05,530	1,71,945	1,47,384
(April- Sept. 71)	Di-A Phosphate.	1,36,800	1,07,776	18,275	5,812

*excess supplies made against previous year's allotments.

It will be seen from the above that the supply of Urea has been completely satisfactory and sufficient stocks have throughout been available.

As far as D. A. P. is concerned, the supplies in the current year have been affected as Andhra Pradesh and Tamil Nadu Governments were not able to release some of their surplus D.A.P. to the Pool, which had been agreed to earlier. Since heavy accumulations of D. A.P. had developed with those States and they did not expect their cultivators to take up D. A. P. use extensively they requested the Government of India that the surplus D.A.P. should be taken over by the Pool. In view of this, the imports of D. A. P. were slowed down. Subsequently, however, the cultivators in the South responded to this fertiliser more than what was anticipated and the State Governments were not able to return any of their stocks of D. A. P. to the Pool. However, sufficient stocks of Superphosphate are available in the country and these can be used in place of A. D. P.

(b) There is no difficulty in respect of supply of Urea and even the price of Urea has recently been reduced by Rs. 20/- per tonne. As regards D. A. P., supplies are expected in August and September, 71 onwards. With regard to the price of the Pool fertilisers in general, it is the policy of the Government of India to keep the prices of fertilisers as low as possible and as such the Central Fertiliser Pool works on no-profit-no-loss basis. During 1969-70 the price of coloured variety of Ammonium Sulphate was reduced by Rs. 100 per

tonne and during 1970-71 the price of Urea was reduced by Rs. 20 per tonne. It is hoped that with the establishment of larger fertilisers factories and the expansion of the existing units, the cost of domestic production and hence the prices of fertiliser would come down.

आंध्र प्रदेश में उर्वरकों तथा पौधों के लिए कीटनाशक औषधियों

की खपत तथा खाद्यान्न के उत्पादन पर उनका प्रभाव

6332. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उर्वरकों तथा पौधों के लिए कीटनाशक औषधियों की कुल कितनी खपत हुई है; और

(ख) उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों के प्रयोग के प्रत्यक्ष परिणामों के रूप में खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों का कितना अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उर्वरकों तथा कीटनाशकों की कुल खपत निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	खपत (मीटरी टनों में)			
	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी ₂ ओ ₅)	पोटाश (के ₂ ओ)	कीटनाशी *
1968 69	180,000	38,000	4,800	1,316
1969-70	280,000	92,700	6,300	869
1970 71	200,000	70,000	15,900	3,554

(इ) अनुमानित

(ई)

* विभिन्न सूत्रीकरणों में कीटनाशी रसायनों की लगभग 29 विभिन्न मदें शामिल हैं।

(ख) उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। उन्नत पद्धतियों और आदानों के पैकेज से उपज में वृद्धि होती है। अनुपूरक आदान डालने से उनमें से किसी की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और उनके अभाव में उपज कम हो सकती है।

आंध्र प्रदेश में बसे बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय

6333. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री 19 नवम्बर, 1970 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक कुल कितने व्यक्ति बर्मा से वापस आ चुके हैं;

(ख) अब तक उनमें से कितने आंध्र प्रदेश में बसाये गये हैं; और

(ग) उनको दी गयी सहायता में राज्य सरकार तथा केन्द्र का अंश कितना-कितना है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) : 9-6-1971 तक 1,88,436

(ख) 31-3-1971 तक बर्मा से आये लगभग 26760 प्रवासियों में से जो आंध्र प्रदेश गये हैं, लगभग 16,000 व्यक्तियों को, विभिन्न रूपों में, पुनर्वास सहायता प्राप्त हो चुकी थी।

(ग) सहायता प्रदान करने पर किया जाने वाला कुल खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

चीनी जांच आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

6334. श्री एम० एम० हाशिम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश श्री सिन्हा की आकस्मिक मृत्यु को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति करने का है ताकि आयोग का प्रतिवेदन अगस्त 1971 तक पेश किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो नये अध्यक्ष का क्या नाम है; और

(ग) आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कितना समय और दे दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) : स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री सिन्हा के स्थान पर चीनी उद्योग जांच आयोग के नये अध्यक्ष के चयन का मामला विचाराधीन है। शीघ्र ही नियुक्ति की जाने की सम्भावना है।

(ग) सरकार ने आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 29 फरवरी, 1972 तक बढ़ा दिया है।

भारतीय वन्य सेवा की केन्द्रीय समिति द्वारा उड़ीसा का दौरा

6335. श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य सेवा की केन्द्रीय समिति ने वर्ष 1970 से उड़ीसा राज्य का दौरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसी समिति ने वर्ष 1970 में उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों का दौरा किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त समिति से उड़ीसा का दौरा करने का अनुरोध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके उड़ीसा के दौरे पर कब जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) (क) : भारत सरकार द्वारा राज्यों का दौरा करने के लिए 'भारतीय वन सेवा समिति' नामक कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (ड) : प्रश्न ही नहीं होता।

Recognition to Central Labour Organisation

6336. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the criteria adopted for according recognition to the Central Labour Organisation;

(b) whether any Central Labour Trade Union Organisation has applied to Government for recognition; and

(c) if so, when request to this effect was made and action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The criteria, as laid down by the 17th Session of the Indian Labour Conference held in 1959 for recognition as a Central Trade Union Organisation for the purpose of representation on the tripartite consultative bodies like the Indian Labour Conference, are that the organisations should have ;—

(i) an all-India character;

(ii) a minimum membership of one lakh spread over a number of States; and

(iii) a sizeable membership at least in the majority of industries.

(b) Yes, Sir. Several organisations have made requests for such recognition.

(c) The requests have been made from time to time. The question of recognition of certain organisations as Central Trade Union Organisations was considered by the 24th Session of the Standing Labour Committee held in February, 1966. It was agreed that the status-quo in respect of this matter should be maintained. However, the National Commission on Labour has also made some recommendations in this regard.

Loss incurred by Bhilai Steel Plant

6337. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Steel and Mines be please to state :

(a) the total amount of loss suffered by Bhilai Steel Plant during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 separately;

(b) the reasons for the losses; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Bhilai Steel Plant suffered a loss of Rs. 11.35 crores during the year 1968-69. During 1969-70, the Plant earned a profit of Rs. 3.64 crores and in 1970-71 it is expected to improve upon the profits earned during the previous year.

(b) The loss sustained by the Plant during 1968-69 was mainly due to :—

(i) labour unrest and a major accident in the power House which affected production; and

- (ii) increase in capital related charges, raw material prices, freight charges, social overheads and export losses.
- (c) Losses have since been eliminated by improved working of the Plant.

मत्स्य क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिये योजना

6338. श्री भोगेन्द्र भा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत में मत्स्य क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिये एक योजना की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) और (ख) मीन उद्योग के विकास की गति तो तीव्र करने के लिये हाल ही में कोई योजना मंजूर नहीं की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, मीन उद्योग के विकास के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेकों योजनाओं के लिये 83 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था है। केन्द्रीय योजनाएं, बन्दरगाहें बनाने, मीन संसाधनों के समन्वेषी सर्वेक्षण गहरे समुद्र में मीनहरण करने वाले स्टील के बने स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग की सहायता, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसन्धान से सम्बन्धित हैं। यन्त्रीकृत बोटों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिये विभिन्न आकार के मीनहरण बन्दरगाहों की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक मद्रास, तूतीकूरिन, विभिन्नफोम (केरल), कोचीन, रोमचोक (पश्चिम बंगाल), बम्बई और पोर्टब्लेअर प्रत्येक में एक एक गहरे समुद्र में मीनहरण करने वाले जहाजों को स्थान प्रदान करने में समर्थ सात बड़े मीनहरण बन्दरगाहों की व्यवस्था की गई है। अपेक्षाकृत छोटे बन्दरगाहों और मीनहरण जलयानों के लिये घाटों तथा जलमार्ग और मुहानों को गहरा करने के रूप में तटीय सुविधाएं प्रदान करने के लिये 71 स्थल संस्वीकृत किये गये हैं। इन पत्तनों पर गहरे समुद्र में मीनहरण बन्दरगाहों के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये विशाखापत्तनम तथा प्रादीपपत्तन ट्रस्टों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एक परियोजना में अनेक राज्यों में सर्वेक्षण किये हैं और अनेक अतिरिक्त स्थलों पर मीनहरण बन्दरगाहों की इंजीनियरी योजनाओं सहित परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गहरे समुद्र में मीनहरण के लिये जहाजों की आवश्यक संख्या को उपलब्ध कराने के लिये स्वदेशी जहाज निर्माण की कमी को जहाजों के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मीन उद्योग को सीमित संख्या में जहाजों का आयात करने की अनुमति तो दे दी गई है परन्तु साथ ही स्वदेशी जहाज निर्माताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे गहरे समुद्र में मीनहरण करने वाले जहाजों के निर्माण के लिये निपुणता का विकास करें। गहरे समुद्र में मीनहरण के लिये स्टील के स्वदेशी निर्मित जहाजों पर उपदान देने की एक योजना भी लागू की गई है। 1968-69 के दौरान केन्द्रीय तथा (राज्य सरकारों) द्वारा स्वदेशी जहाज निर्माण याडों को 40 गहरे समुद्र में मीनहरण जहाजों के क्रय आदेश दिये जा चुके हैं। अब तक इनमें से 26 जहाजों का निर्माण पूरा हो चुका है। चालीस जहाजों में से बीस जहाज गहरे समुद्र में मीनहरण संगठन, जो कि तट के आस पास मीन संसाधनों का समन्वेषी सर्वेक्षण करता है, के बेड़े में लगाए जा रहे हैं। समन्वेषी सर्वेक्षणों के लिये आठ नये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में तलप्लावी के

मीन संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से इस साल के शुरु में एक परियोजना लागू की गई थी। गहरे समुद्र में मीनहरण जहाजों के परिचालन के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है। स्थलीय तथा समुद्री मीनहरण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान कार्य को भी अधिक सघन बनाया जा रहा है। राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत यन्त्रीकृत नौकाओं द्वारा तटीय मीनहरण कार्यक्रम लागू करने का कार्य जारी रखा जा रहा है। राज्यों में चौथी योजना की अवधि के दौरान 5500 यन्त्रीकृत नौकाएं और लगाने की व्यवस्था है जब कि पिछली योजनाओं की अवधि के दौरान 8000 यन्त्रीकृत नौकाएं चालू की गई थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समुद्रीय क्षेत्र के उत्पादन में प्रति वर्ष 4.4 लाख टन वृद्धि करने का लक्ष्य है। निर्यातित समुद्रीय उत्पादों का मूल्य जो कि 1960-61 में 4.62 करोड़ रु० और 1965-66 में 7.06 करोड़ रु० था 1970-71 में बढ़कर 35.07 करोड़ रु० हो गया। चौथी योजना के अन्त में समुद्रीय उत्पादों के निर्यात वार्षिक लक्ष्य 61 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। स्थलीय क्षेत्र में मीन-बीजों के उत्पादन में वृद्धि मीन-फार्मिंग की सुधरी तकनीकों के प्रयोग जलाशयों के विकास और क्षार्य जल मीन विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारें इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर अनेकों योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थलीय मीन उद्योग के विकास के लिये 17 करोड़ रु० की व्यवस्था है। चौथी योजना के लक्ष्यों में 900 हैक्टर क्षेत्रफल की एक अतिरिक्त नर्सरी का निर्माण 6000 हैक्टर क्षेत्र में खारा-पानी मीन फार्मिंग शुरू करना और मीन-बीजों के वार्षिक उत्पादन में 30,000 लाख स्पान और 5000 लाख फ्राई और फिंगरलिंग की वृद्धि करना है।

पश्चिम बंगाल में नये भूमि सुधार के अन्तर्गत भूमि के अधिकारों के रिकार्ड की पूर्ति

6339. श्री बी के० दास चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के नये भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार भूमि के अधिकारों के रिकार्ड को पूरा करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के नये सर्वेक्षण की आवश्यकता है और यह कार्य कितना शीघ्र पूरा हो जाएगा।

(ग) अब तक कुल कितनी निहित भूमि पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई तथा कितनी और अतिरिक्त निहित भूमि के पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में आने की आशा है;

(घ) भूमिहीन मजदूरों और किसानों को अब तक कितनी निहित भूमि बांट दी गई है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में भूमिहीन मजदूरों और किसानों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 के और उसके अधीन बनाये नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक रैयत भूमि सम्पत्तियों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम तिथि 31-7-71 रखी गई थी वह अब बढ़ाकर 15-10-71 कर दी गई है। अधिकतम भूमि सम्पत्ति

सीमा के नये कानून को लागू करने के लिये अधिनियम की व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए यथा आवश्यक सर्वेक्षण करने के पश्चात भूमि सुधार अधिनियम के अधीन रैयत की दस्तावेजों को बड़े पैमाने पर ठीक करना होगा।

(ग) और (घ) भूमि सुधार कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को 8.97 लाख एकड़ क्षेत्र का अधिपत्य प्राप्त हुआ है जिस में से 6.30 लाख एकड़ का कब्जा ले लिया गया है और अधिनियम में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर 3.5 लाख एकड़ भू-क्षेत्र भूमि हीन श्रमिकों और काश्तकारों में वितरित कर दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1971 की जनगणना के अस्थाई अनुमानों के अनुसार राज्य में गैर-कृषि श्रमिकों सहित कुल श्रमिकों का भूमि हीन कृषि श्रमिक 25.75% हैं।

ई० पी० डी० पी० कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लेटों का आवंटन

6340. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी, नई दिल्ली स्थित ई०पी०डी०पी० कालोनी में अब भी विभिन्न क्षेत्रफलों के कितने प्लेटों का आवंटन किया जाना शेष है;

(ख) कितने पात्र आवेदक ऐसे प्लेटों के आवंटन की प्रतीक्षा में हैं;

(ग) आवंटित किये गये प्लेटों की अपेक्षा बड़े प्लेटों की मांग करने के कारण कितने प्रार्थियों के मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के प्रार्थियों के दावों पर निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कालकाजी पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में विभिन्न क्षेत्रफलों के खाली प्लेटों की संख्या नीचे दी गई है :—

(i)	320 वर्ग गज की श्रेणी के प्लेट	5
(ii)	233 वर्ग गज की श्रेणी के प्लेट	79
(iii)	160 वर्ग गज की श्रेणी के प्लेट	3
(iv)	समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) के लिए निर्धारित प्लेट	55
योग		142

इनमें से 40 प्लेटों के बराबर के क्षेत्रफल के बारे में मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा अनधिकृत कब्जे से खाली किए गए 160 वर्ग गज श्रेणी वाले 70 प्लेटों का विकास किया जा रहा है।

(ख) (i) 320 वर्ग गज श्रेणी के प्लेट—14

उपलब्ध प्लेटों में से 5 प्लेट 14 पात्र प्रार्थियों को 233 वर्ग गज के प्लेटों के बदले

लाटरी द्वारा दिए जाएंगे। उक्त सभी 14 व्यक्तियों को 233 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट एलाट किये गये थे क्योंकि उस समय 320 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट उपलब्ध नहीं थे।

(ii) 233 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट—20

ये प्लॉट 20 प्रार्थियों को लाटरी द्वारा एलाट किये जाएंगे। इनमें से 12 प्रार्थी 320 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट पाने के हकदार हैं परन्तु उन्हें 233 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट दिये गये हैं क्योंकि 320 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट उपलब्ध नहीं हैं।

(iii) 160 वर्ग गज की श्रेणी के प्लॉट—24

लौटाये जाने तथा विकसित किए जाने के परिणामस्वरूप जैसे ही काफी संख्या में प्लॉट उपलब्ध हो जाएंगे वैसे ही उनके लिए लाटरी डाली जाएगी।

(ग) और (घ) बहुत से प्रार्थी अपने मामलों के बारे में बार-बार लिख रहे हैं यद्यपि प्लॉटों का क्षेत्रफल बढ़ाने के उनके अनुरोधों पर बहुत बार विचार किया गया है और उन्हें नामंजूर किया जा चुका है।

दिल्ली नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से वसूल किया गया भूमि किराया

6341. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में उनके पुनर्वास के समय से 3 प्रतिशत वार्षिक दर पर भूमि किराया वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में क्षेत्रवार पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से कितनी राशि वसूल की गई तथा इसी अवधि में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों से कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) यदि वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से 3 प्रतिशत की दर पर भूमि किराया वसूल नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ई०पी०डी०पी० कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में नगर निगम के शुल्क

6342. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम कालकाजी स्थित ई०पी०डी०पी बालोनी के निवासियों को सामान्य दरों की अपेक्षा कहीं अधिक दरों पर भवन कर तथा पानी शुल्क भुगतान करने के लिये नोटिस जारी कर रहा है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम एक ऐसी कालोनी, जिसे अभी तक पुनर्वास विभाग ने उसे नहीं दिया है, जहां निगम ने, कोई नागरिक सुविधा प्रदान नहीं की है के निवासियों को ऐसे नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पुनर्वास विभाग इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुये कालोनी के निवासियों तथा निगम दोनों को कोई निदेश जारी करेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आती है और खाली भूमि तथा भवनों पर शुल्क और कर निगम द्वारा, दिल्ली नगर निगम के अधिनियम, 1957 में की गई व्यवस्था के अनुसार लगाए जाते हैं ।

**Memorandum to Managing Director of National Coal Development Corporation
by Secretary of Sudamdih Branch of Coal Workers Union.**

6343. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether the Secretary of the Sudamdih Branch of the Coal Workers Union has submitted a memorandum to the Managing Director (Administration) of National Coal Development Corporation on the 28th May last;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Yes, Sir.

(b) The memorandum contained allegations to the effect that some unsocial elements, at the instance of some officers at the Sudamdih Project were indulging in objectionable activities and creating differences between the workers on the basis of casteism and provincialism for advancement of their own selfish and personal end. Some of the alleged incidents quoted in the Memorandum are given below :—

- (1) The unsocial elements actually organised the quarrel with the project officer on 26-2-70 and put the blame on the members of the coal workers union and misled the project officer were standing that they were Supporting the projects officer and had gone there to rescue him.
- (2) On 30-10-70 Shri Ramchandra Yadav, river, was attacked with lathis and knife in front of the project Office at Sudamdih as a result of which his hand was broken. He was, however, rescued by some workers and the matter was also reported to the Police and the management.
- (3) On 6-5-71 at six AM at the instance of the Security-in-charge and Labour Officer, one cow-shed and Gumti were demolished by a dozer without any information to anybody and those who had opposed this act were threatened that the dozer would be run over them and twenty goondas were also brought to indlge in violence. The Police arrived on the scene and took steps to see that the situation did not take a serious turn.
- (4) On 13-5-71 Shri Anant Sethi had assaulted Shri Naizamuddin by throwing a stone while he was on duty so much so that he was injured and was admitted

in the Hospital. Shri Anant Sethi was recruited by the management about one year ago and there was dissatisfaction among the workers on account of this incident.

- (5) On 30-3-71 and 31-3-71 there was an interview for selection of persons for employment at Sudamdih and there were several irregularities in connection therewith. The list of selected candidates was prepared in advance in collusion with the Mukhya of local village. There was delay in issuing letters of appointment to the selected candidates and actually the names of selected candidates were announced two weeks later instead of the results being announced immediately.
- (6) On 22-5-71 Shri Baleshwar Badani, a Mazdoor was assaulted by four or five persons on the road near the cheap houses, with a view to disturb the place in the project at the instance of some officers. The matter was reported to police.
- (c) On investigation, these allegations against the local management were found to be incorrect.

Application of Labour Laws to Brick Kiln Workers

6344. Shri. Ramavatar Shastri : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

- (a) whether lakhs of workers working in brick-kilns are scattered all over the country;
- (b) whether no labour law is applicable to them;
- (c) whether Government propose to enact any legislation or make the existing laws applicable to them in regard to their wages and other facilities; and
- (d) if so, when ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri. R. K. Khadilkar) : (a) The provisional figure of estimated average daily employment in factories producing bricks and tiles was 68,000 in 1969 (Indian Labour Statistics, 1971).

(b) and (c) : The various Central Labour Laws, like the Industrial Disputes Act 1947, the Trade Unions Act, 1926, the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946, the Factories Act, 1948, the Payment of Wages Act, 1936, etc. apply to workers in brick kilns. Workers in brick kilns fall within the State sphere and it is not proposed to enact any special legislation centrally for them. With regard to wages, some of the State Government, namely, Bihar, Maharashtra and Tamil Nadu and the Delhi Administration have in exercise of the powers conferred on them by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 extended the provisions of the Act to "Brick Manufactories" and fixed minimum wages for such labour.

- (d) Does not arise.

Application of Mines Act to Nandini Stone Quarry

6345. Shri. Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

- (a) whether the depth of the Nandini Stone Quarry is more than 20 feet and that as such, the Mines Act can be made applicable there;
- (b) if so, the time by which this Act is likely to be made applicable there; and
- (c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri. R.K. Khadilkar) : (a) to (c) : It is not possible to make any statement about this enquiry in the absence of particulars about its location and ownership.

**हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा प्राप्त किए गये
एल्युमीनियम का वजन किया जाना**

6346. श्री धन शाह प्रधान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया को अमरकण्टक और बेलाडिला से प्राप्त एल्युमिनियम का वजन किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो वजन किस स्थान पर किया जाता है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो वजन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एल्युमिनियम निगम, रेणुकूट के अपने प्रद्रावक में एल्युमिनियम धातु के उत्पादन के लिए अमरकण्टक और बेलाडिला में अपनी खानों से बौक्साइट प्राप्त कर रहा है न कि एल्युमिनियम, निगम ने यह रिपोर्ट दी है कि बौक्साइट का उनके खनन स्थलों पर वजन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम

6347. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने ब्लकों में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) क्या पोषाहार क्षेत्र में महिलाओं और स्कूल अवस्था से छोटे बच्चों के लिए एक नई 'कम्पोजिट प्रोग्राम' आरम्भ किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में उक्त कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में आरम्भ किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम अब तक 157 खण्डों में आरम्भ किया गया है।

(ख) और (ग) : चतुर्थ योजना अवधि में महिलाओं तथा बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम योजना में इसे 64 खण्डों में आरम्भ करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, योजना के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पुनर्वास बोर्ड

6348. श्री राजदेव सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदगठित पुनर्वास बोर्ड का विभाग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इसने आवतकों तथा बाहर से वापिस आने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु गैर सरकारी उपक्रमियों को विशेष प्रोत्साहन और सुविधायें देना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1968 में गठित किया गया पुनर्वास बोर्ड, पुनर्वास विभाग को पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों और बर्मा तथा श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों को उद्योग तथा अन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों में बसाने से सम्बन्धित नीतियों और उपायों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या के समाधान में सामने आने वाली कठिनाईयों के बारे में सुझाव देता रहा है।

बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप :

- (i) एक अन्य एजेंसी के रूप में मद्रास में प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक स्थापित कर दिया गया है जो कि व्यापार तथा उद्योग में प्रत्यावासियों को बसाने के लिए ऋण देने के कार्यक्रम की देखभाल करेगा।
- (ii) गृह निर्माण, व्यापार और कारोबार के लिए दिये गये ऋणों के भुगतान की शर्तें उदार कर दी गई हैं;
- (iii) यह निश्चित किया गया है कि प्रत्यावासियों को दिए गए जिन ऋणों की वसूली नहीं हुई है उनकी हानि का (50 प्रतिशत की अपेक्षा) 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला ऋणों का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यावासियों से की जाने वाली वसूलियों से सम्बद्ध कर दिया जायेगा और
- (iv) दक्षिण क्षेत्र में पुनर्वास सम्बन्धी क्रियाकलापों में समन्वय करने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास विभाग का एक कार्यालय मद्रास में स्थापित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : बोर्ड एक सलाहकार निकाय है और प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य नहीं करता है। इसलिए, प्रवासियों और प्रत्यावासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता। बोर्ड द्वारा प्रवासियों/प्रत्यावासियों को रोजगार देने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देने के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं जिनकी जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स, कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में काम करने वाले कर्मचारियों का नियमित किया जाना

6349. श्री माधुर्य हालदर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, सिल्विल और कन्स्ट्रक्शन सेक्शनों में काम कर रहे एन० एम० आर० कर्मचारियों को स्थायी करने की मांगों पर सरकार का विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मांगों का व्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कब निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) यह मामला हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रबन्धकवर्ग ने भविष्य में कम्पनी के काम को यथोचित ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी के कर्मचारियों यथावश्यक सीमा तक स्थायी करने का पहले ही निर्णय कर रखा है।

(ख) कम्पनी व्यौरे तैयार कर रही है।

(ग) इस मामले पर "बोकारो स्टील वर्क्स यूनियन" जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, से बातचीत हो रही है और यदि कोई समझौता न हो सका, तो मांग को पंच निर्णय के लिए भेजने का विचार है।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक

6350. श्री निहार लास्कर :

श्री एस० एस० कृष्ण :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) केन्द्रीय श्रम मंत्री ने तीन केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की एक बैठक 1 जुलाई, 1971 में बुलाइ थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और उक्त बैठकों में किन किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) उन में क्या निर्णय किए गए ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केन्द्रीय श्रम और पुनर्वासि मंत्री ने ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता में इस्पात मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति किया जाना

6351. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड ने इस्पात मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन एक निर्माण एकक है। इस लिए उनके मामले में मजूरी बोर्ड पंचाट लागू नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ टिन करार के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद द्वारा टिन के मूल्य का निर्धारण

6352. श्री एस० एम० हाशिम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ टिन करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद् ने टिन के वर्तमान मूल्य को बनाए रखने का निर्णय किया था।

(ख) क्या परिषद् ने टिन का उत्पादन करने वाले देशों से रक्षित भण्डार के लिए अपना आरम्भिक अनिवार्य अंशदान देने को कहा है; और

(ग) भारत में टिन का वर्तमान मूल्य क्या है और रक्षित भण्डार में उसने कितना अनिवार्य अंशदान किया है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित चतुर्थ टिन करार के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद ने यह विनिश्चय किया है कि तत्समय वर्तमान कीमत सीमा को बनाए रखा जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान कीमत-सीमा निम्न प्रकार से है:—

	पौंड मेट्रिक टन
शिखर मूल्य	1,650
उच्च सेक्टर	1,540—1,650
मध्य सेक्टर	1,460—1,540
निम्न सेक्टर	1,350—1,460
निम्नतम मूल्य	1,350

टिन परिषद का उपभोक्ता सदस्य के रूप में, भारत से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह बफर-स्टॉक में आवश्यक योगदान दे।

(घ) टिन करार प्रारम्भिक वस्तु के मूल्य के स्थिरीकरण के लिए प्रधानतः, एक करार है। भारत के पास टिन का कोई स्वदेशीय उत्पादन नहीं है और अपनी सभी अपेक्षाओं की पूर्ति वह आयात से करता है। टिन के मूल्य का स्थिरीकरण, जो कि करार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, इस प्रकार भारत के हित में है। यह करार ही अब टिन की अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति स्थिति को व्यवस्थित पद्धति से रखने के लिए एक मात्र उपलब्ध उपाय है, इस लिए चतुर्थ करार में जो कि 1 जुलाई, 1971 से लागू हुआ, देश की सदस्यता बनाए रखने की आवश्यकता हुई।

हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

6353. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या वहां उत्पादन गत दो वर्षों में बढ़ा है या घटा है; और
- (ग) गत दो वर्ष में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड को कुल कितना लाभ हुआ अथवा हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड की वार्षिक उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:—

वार्षिक उत्पादन क्षमता टनों में	
I जस्ता प्रद्रावक	
इलेक्ट्रोलिटिक जस्ता	18,000
उपोत्पाद	
(i) कैडमियम	75
(ii) गन्धकीय अम्ल	29,000*
(iii) सिंगल सुपरफास्फेट	76,000
(*मुख्यतः सिंगल सुपरफास्फेट के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है)	
II सीसा प्रद्रावक	
सीसा	5,400
उपोत्पाद	
रजत (कि०ग्रा०)	5,046

(ख) संकेन्द्रको की कम आपूर्ति, डिजाइन की कमियां और उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा में घटाव-बढ़ाव के कारण प्रद्रावकों में उत्पादन निर्धारित क्षमता तक नहीं हुआ है। तथापि 1970-71 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ वस्तुओं विशेषतया जस्ता, सुपरफास्फेट और रजत के उत्पादन में, अभिवृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है:—

वर्ष	1969-70	1970-71
	(टनों में)	
जस्ता	9,925	10,735
कैडमियम	32	23
सिंगल सुपरफास्फेट	42,650	51,054
सीसा	1,892	1,719
रजत (कि०ग्रा०)	2,137	2,302

(ग) 1969-70 वर्ष के दौरान कम्पनी को 135.27 लाख रुपये की हानि हुई। कम्पनी के 1970-71 के लिए लेखे संकलनाधीन है।

Damage to Foodgrains and Scheme for their Protection from Exposure of Rains

6354. Dr. Laxminarain Pandey :
Shri Narendra Singh:

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) the value of foodgrains damaged in each State due to untimely rains in April, May and June last;

(b) whether Government have formulated any scheme to protect foodgrains in barns from exposure to rains;

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha,

(b) Grain stored in barns is not exposed to rain. The dictionary meaning of the word "barn" is a 'covered building for the storage of grain'

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलन का प्रभाव

6355. श्री सुबोध हंसदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलन सफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कौन सी समितियाँ सफल रही हैं; और

(ग) औद्योगिक और श्रमिक समितियों के कार्य को सक्रिय करने और उनको विशेष प्राथमिकता देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया : (क) से (ग) : आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Dispersal of Refugees From Mana Camp

6356. Shri R.V. Bade : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state the places where the refugees of Mana Camp would be sent in future?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : The refugees have been accommodated in the Central Camps near Mana temporarily pending their return to East Bengal as soon as normal conditions are restored there.

दिल्ली को अधिक उपज देने वाले बाजरे के बीजों की सप्लाई में विलम्ब

6357. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने 6 जुलाई, 1971 तक दिल्ली को अधिक उपज देने वाले

बाजरे के बीजों की सप्लाई नहीं की थी जबकि निगम ने हरियाणा और पंजाब को इनकी सप्लाई कर दी है;

(ख) क्या बीजों की सप्लाई में विलम्ब अथवा सप्लाई न करने का कारण यह है कि गत वर्ष दिल्ली प्रशासन ने घटिया किस्म के बाजरे के बीजों, जो कि वास्तव में अधिक उपज देने वाले नहीं थे, की सप्लाई करने के बारे में शिकायत की थी; और

(ग) यदि हाँ तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान 700 क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में कोई सप्लाई की गई है तो उसकी वास्तविक मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन का कार्यक्रम खरीफ, 1971 में अधिक उपज देने वाले बाजरे के अन्तर्गत 35,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का था। इस कार्यक्रम में अप्रैल, 1971 में संशोधन किया गया और लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 एकड़ कर दिया गया। एक किलो प्रति एकड़ की दर से बीज की माँग 350 से 400 क्विंटल थी और डेढ़ किलो प्रति एकड़ की दर से 475 से 600 क्विंटल थी। दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के विक्रेताओं या निगम के काउन्टरों से 6 जुलाई, 1971 तक 325 क्विंटल अधिक उपज देने वाले बाजरे के बीज बेचे गये थे। चूँकि अधिक उपज देने वाला बाजरा जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बोया जा सकता है, अतः दिल्ली प्रशासन की शेष माँग निगम के काउन्टर या उसके विक्रेताओं के माध्यम से जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक उपलब्ध किया गया। बीज उत्पादन में कुल मिलाकर कमी होने से राष्ट्रीय बीज निगम हरियाणा सरकार की 2,200 क्विंटल की माँग की तुलना में लगभग 1600 क्विंटल और पंजाब सरकार की 1,400 क्विंटल की माँग की तुलना में लगभग 600 क्विंटल बीज ही सप्लाई कर सका।

(ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि गत वर्ष बाजरे की फसल को रोग लगने का कारण राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसी प्रकार के खराब बीज सप्लाई करना नहीं था।

(ग) 6 जुलाई से दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम ने 135 क्विंटल प्रमाणित बीज बेचा। इसके अतिरिक्त इस मौसम में दिल्ली में 65 से 75 प्रतिशत अंकुरण वाले 200 क्विंटल 'सत्यापित लेबल' के बीज भी बेचे गए। राष्ट्रीय बीज निगम के पास अब भी कुछ और प्रमाणित बीज थे, परन्तु दिल्ली में इसकी और माँग न होने के कारण इसे हरियाणा भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश में गोदाम की सुविधाओं के अभाव में खाद्यानों की क्षति

6358. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण लगभग 200 करोड़ रुपये के मूल्य का खाद्यान नष्ट हुआ है, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है;

(ख) क्या योजना आयोग का तीन-सदस्यीय दल स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वहाँ भेजा गया था और यदि हाँ, तो उनका मूल्यांकन क्या है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षति वहाँ गोदाम की पर्याप्त सुविधाओं के

अभाव के कारण हुई और यदि हाँ, तो राज्य में गोदाम की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) यह अनुमान राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है ।

(ख) तथा (ग) : स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल राज्य में भेजा गया था । दल ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 26 जुलाई, 1971 को प्रस्तुत किया जो सरकार के विचाराधीन है ।

Benefit to Small Farmers From Cooperative Development Schemes

6359 Shri Narendra Singh : will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the extent and nature of benefit likely to accrue to small farmers from the Cooperative Development Schemes for which financial assistance is to be provided by the National Cooperative Development Corporation; and

(b) the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : The programmes financed by the National Cooperative Development Corporation relate to the development of cooperative credit for agriculture, cooperative processing, storage and marketing of agricultural produce, provision of modern inputs for increasing agricultural production and custom hiring of tractors etc. besides other agro-services. The policies and procedures in all these programmes are directed towards assisting particularly the small farmers. These programmes are being further intensified in the areas covered by the new schemes of small Farmers' Development Agency and Agency for Marginal Farmers and Agricultural Labourers.

Agricultural Land Acquired in Delhi and Compensation Paid Therefor :

6360. Shri Ram Chandra Vikal : will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the total acreage of land acquired by the Delhi Administration from the agriculturists upto the 30 th June, 1970;

(b) the maximum compensation paid per acre to these agriculturists; and

(c) the other facilities provided to these agriculturists whose land was acquired ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the sabha.

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों को परिवहन आवासीय सुविधाएं

6361. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के सिविल मैकेनिकल और निर्माण अनुभागों में कार्य कर रहे एन० एम० आर० कर्मचारियों को परिवहन/आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) के सिविल, मैकेनिकल और निर्माण अनुभागों में कार्य कर रहे नोमिनल मस्टर रोल के कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जहां तक आवास का सम्बन्ध है, एच० एस० सी० एल० ने इन कर्मचारियों के लिये पहले ही 500 श्रमिक मकान दिये हुए हैं तथा 500 और मकान निर्माणाधीन है।

(ख) एच०एस०सी०एल० द्वारा अस्थायी कर्मचारियों के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं है और न प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी को मकान देना संभव ही है।

(ग) चूंकि दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है अतः एच० एस० सी० एल० अपने कर्मचारियों को अधिक संख्या में मकान देने के लिये और मकान बना रही है।

तमिलनाडु के चीनी कारखानों में चीनी के भंडार का निपटान

6362. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि महाराष्ट्र में चीनी कारखानों ने फरवरी 1971 के मध्य तक 1969-70 का पूरे भंडार का निपटान कर दिया है तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य के कारखानों के पास उनके 1969-70 के उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक सरकार द्वारा मुक्त किये बिना अभी तक उनके गोदामों में पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) महाराष्ट्र के कारखानों के पास 15 फरवरी, 1971 को 1969-70 मौसम के उनके कुछ उत्पादन का 1.7 प्रतिशत स्टॉक था जबकि उसी तारीख को तमिलनाडु के कारखानों के पास 23.9 प्रतिशत स्टॉक पड़ा था। 1969-70 के सारे उत्पादन की निर्मुक्ति की जा चुकी है और 30 जून, 1971 को तमिलनाडु के कारखानों के पास 1969-70 मौसम के स्टॉक की प्रतिशतता 0.7 थी।

(ख) आन्तारिक खपत के लिए चीनी की नियुक्ति देश के सभी कारखानों को, समय-समय पर, एक सी की जाती है। इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। महाराष्ट्र के कारखानों के पास चीनी के कम स्टॉक का कारण आन्तरिक खपत के लिए बेहतर निकासी और उनकी न्यूनतम कीमत होने से चीनी की अधिक मात्रा में निर्यात होना था।

Request for Survey of underground water in States

6363. Shri Phool Chand Verma : will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Central Government have acceded to the request of the state Governments to conduct survey for underground water in the famine-hit areas ;

(b) if so, the names of those States; and

(c) whether Madhya Pradesh Government have suggested any programme to the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Share Singh) : (a) No request has been received by the Central Government from any of the States to conduct survey for ground-water in the famine-hit areas. In fact, the primary responsibility for undertaking surveys to cover all parts of the States including drought and famine hit areas rests with the State Governments, and the programme of surveys comes under the purview of the state plan schemes. The State Governments are in the process of gearing up their organisations for undertaking these surveys on a wide scale. The Central Ground water Board, under the Central Government is expected to assist the Governments in the form of providing broad technical guidance, building up experience and state evolving methods and techniques of surveys suited to various regions, by undertaking comprehensive pilot projects for resource evaluation studies in limited representative areas covering different types of formations.

(b) and (c) : Do not arise.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में रोजगार के अवसर

6364 श्री मोहम्मद इस्मइल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दुर्गापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जनता को, कारखानों के निर्माण के लिए जिनकी भूमि अर्जित की गई थी, रोजगार के उचित अवसर दिये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां। नीति के अनुसार उन लोगों को जिनकी भूमि कारखाने के निर्माण के लिए प्राप्त की गई थी और जो योग्यता आदि की निर्धारित शर्तें पूरी करते थे, प्रबन्धक स्तर से नीचे के पदों की भर्ती के लिए प्राथमिकता दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अलौह धातुओं के लिए सर्वेक्षण

6365 श्री के०सी० चन्द्रधन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलौह धातुओं के सर्वेक्षण के कोई ठोस परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अलौह धातुओं का सर्वेक्षण तेज करने के लिए अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार को आज कल अलौह धातुओं के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करनी पड़ती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) देश में अलौह धातुओं के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य संगठनों द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में बौक्साइट के 22.7 करोड़ टन ताम्र अयस्क के 24.4 करोड़ टन, सीसा अयस्क के 1.7 करोड़ टन और सीसा-जस्ता के 9 करोड़ टन स्थापित किए गए हैं। हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने खेतड़ी राखा नाल्लाकोण्डा, ताम्र निक्षेप और

बन्दाला मोटर सीसा निक्षेप और सुकिन्दा निकल निक्षेप के लिए; भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी ने अमरकंटक, फुटका पहाड़ और धांग-खाडी बाक्साइट निक्षेप के लिए; और हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड ने मोचिया (पूर्व व पश्चिम) बलारिया, ज़ावारमाला, दरीवा राजपुरा और अम्बामाता देरी सीसा-जस्ता निक्षेप और सार्गीपल्ली सीसा निक्षेप के लिए पहले ही विकास करवाही आरम्भ की है।

(ख) देश में आधार धातुओं की तुरन्त खोज को सुनिश्चित करने के लिए अभिज्ञात खनिजीकृत पट्टियों के समन्वेषण कार्य को उच्चतम अग्रता दी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भूवैज्ञानिक मानचित्रण और व्ययन की परस्परगत पद्धतियों के द्वारा और भू-रसायनिक, और भूभौतिकीय पद्धतियों के प्रयोग द्वारा भी भूतल पूर्वक्षण को तीव्र किया गया है। आधार धातुओं के निक्षेपों वाले क्षेत्रों को शीघ्रता से अवस्थापित करने के लिये देश के विस्तृत भाग को अनाच्छादित करने के अतिरिक्त सरकार विदेशी सहायता से देश के विभिन्न चयित भागों में हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने के लिए भी कार्यक्रम बना रही है।

(ग) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान अलौह धातुओं और उनके मिश्र-धातुओं के आयात और उनके मूल्य को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 763/71]

गैर सरकारी चीनी मिलों को अधिकार में लेने के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

6366. श्री सी० के० चन्द्रपन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-सरकारी चीनी मिलों को अधिकार में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और कितनी सहायता के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ग) क्या राज्य को इस बीच कोई सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से 2 जुलाई 1971 को उनके द्वारा लागू किये गये उत्तर प्रदेश चीनी प्रतिष्ठान (अभिग्रहण) अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत 12 चीनी प्रतिष्ठानों के अभिग्रहण के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के जिला बीरभूम में चावल की मिलों से वसूल किया गया चावल

6367. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जिला बीरभूम में, क्षेत्र-वार, चावल की कितनी मिलें हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं; और

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में प्रत्येक मिल से, वर्षवार, चावल का कितना कोटा वसूल किया गया था और वर्ष 1971-72 में कितना वसूल करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पशुपालन योजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय

6368. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन योजनाओं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डेयरी उत्पादों और उनकी बिक्री तथा पोषाणिक कार्यक्रमों के लिये कितने वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है; और

(ख) योजना अवधि के पहले दो वर्षों में इस सम्बन्ध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पशुपालन, डेरी उद्योग तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये किये गये वित्तीय परिव्ययों को प्रदर्शित करने वाला विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 764/71]

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण अनुबन्ध II के रूप में संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 764/71]

डेरी परियोजनाएं और दुग्ध उत्पादन संयंत्रों की क्षमता

6369. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से डेरी परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है;

(ख) दुग्ध उत्पादों संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वे प्रति वर्ष कितनी मात्रा में दूध प्राप्त करती है; और

(ग) प्रत्येक मौसम में संयंत्रों के लिए दूध की सप्लाई कितनी फालतू होती है और कितनी कम हो जाती है और फालतू सप्लाई और फालतू उत्पादन क्षमता का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में सरकारी, सहकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में संगठित डेरी परियोजनाओं की संख्या तथा नामों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-765/71]

(ख) दुग्ध उत्पादी संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और वर्ष 1970 के दौरान उन्हें प्रति वर्ष कितनी मात्रा में दूध मिलता है, के विषय में जानकारी नीचे दी गई है :-

क्रम सं०	दुग्ध उत्पादो संयंत्रों का नाम	दैनिक अधिष्ठापित क्षमता (लाख लिटर में)	दुग्ध की अनुमानित वार्षिक आवक (लाख लिटर में)
1.	अमृतसर	0.65	115
2.	राजकोट	0.45	44
3.	महसाना	1.00	435
4.	आनन्द	5.00	1186
5.	विजयवाड़ा	1.25	229
6.	मुरादाबाद	1.00 नवम्बर, 1970 में चालू हुआ।	
7.	जींद	0.50 दिसम्बर, 1970 में चालू हुआ।	
8.	अलीगढ़	0.20	77
9.	बारौनी	0.20	22
10.	जूनागढ़	0.20	6

(ग) सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में संगठित डेरी संयंत्रों की कुछ अधिष्ठापित क्षमता लगभग 31.70 लाख लिटर दूध प्रतिदिन थी। दिसम्बर, 1970 के दौरान, जोकि अधिशेष दुग्ध अवधि के अन्तर्गत आता है, उन डेरी संयंत्रों में लगभग 21.50 लाख लिटर दूध प्रति दिन प्राप्त होता है और मई, 1970 महीने में, जोकि दूध की कमी वाली अवधि के अन्तर्गत आता है, लगभग 14.20 लाख लिटर दूध प्रति दिन प्राप्त होता है। अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में, इस प्रकार दूध की कोई अधिशेष मात्रा नहीं थी। अधिकांश डेरियां आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी से सुसज्जित हैं। मक्खन, घी, पनीर और सूखा दूध जैसे दुग्ध उत्पादन बनाने में अधिशेष दूध का उपयोग करने में इनका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है।

बंगला देश शरणार्थी राहत निधि

6370. श्री जी० भुवाराहन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थी राहत, निधि के लिए प्रत्येक राज्य से अब तक राज्यवार, कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) राज्य से प्राप्त उस राशि में से अब तक कितनी राशि वितरित और खर्च की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Official Language Implementation Committees

6371. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the Official Language Implementation Committee have since been constituted in the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training, Office of the Labour Commissioner, Office of the Director-General of Employees States Insurance Corporation and in their Regional Offices;

(b) the action being taken to constitute such Committees in those Subordinate Offices of the Ministry where they have not been constituted so far; and

(c) whether the meetings of these Committees are being held quarterly in a regular manner, if not, the reasons therefore ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) Official Language Implementation Committees have been constituted in both the department of the Ministry of Labour and Rehabilitation and in the Directorate General of Employment and Training. Meetings are being held every quarter as far as possible.

All offices in the Hindi speaking areas have been instructed to constitute such Committees and some have done so. Steps are being taken to constitute such Committees in the offices of Chief Labour Commissioner(C) and Director General Employees State Insurance Corporation.

अहमदपुर (पश्चिम बंगाल) की गन्ना फैक्टरी

6372. श्री सरोज मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल) में अहमदपुर गन्ना फैक्टरी की मशीनों के बहुत पुर्जे चोरी चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो चोरी गये पुर्जों का मूल्य क्या है; और

(ग) उन किसानों को कितना रुपया अभी देना है जिन्होंने फैक्टरी को गन्ना बेचा था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

इंजीनियरिंग परामर्शदाता मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी

6373. श्री शशि भूषण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग परामर्शदाता मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के मालिकों और भागीदारों के नाम तथा उनकी शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं क्या हैं;

(ख) मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं तथा इस सहयोग की मांग कितने समय के लिए की गई थी;

(ग) मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी का पूंजी-ढांचा क्या है तथा यह फर्म कब पंजीकृत की गई थी; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा इस फर्म को दिये गये सभी ठेकों को समय पर पूरा किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) दस्तूर एण्ड कम्पनी में भागीदारी नहीं है । यह एक प्राइवेट लि० कम्पनी के रूप में निगमित है। कम्पनी द्वारा

दी गई जानकारी के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—766/71]

(ख) मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने बताया है कि उनके कोई विदेशी सहयोगी नहीं हैं।

(ग) कम्पनी का पूंजी-ढांचा इस प्रकार है :—

(1) अधिकृत पूंजी : 0,000 इक्विटी शेयर—एक शेयर का मूल्य 100 रुपए 10,00,000 रुपए।

जारी तथा स्वीकृत पूंजी : 6771 इक्विटी शेयर—एक शेयर का मूल्य 100 रुपए—6,77,100 रुपए।

कम्पनी 31-5-1955 को बनाई गई थी।

(घ) जी, नहीं।

राजस्थान जे० के० कर्मचारी यूनियन की रसायन उद्योग में सम्मिलित किये जाने की मांग और रसायन उद्योग मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

6374. श्री राजा कुलकर्णी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान जे० के० कर्मचारी यूनियन, कोटा ने यह अभ्यावेदन दिया है कि नायलन, सिन्थेटिक्स, एक्रोटिक फाइबर ग्लास फाइबर, रेयन और टायरकोर्ड जैसे कृत्रिम रेशे बनाने वाले उद्योगों को भी रासायनिक उद्योग समूह में सम्मिलित कर लिया जाये और रसायन उद्योग मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को इस समूह पर लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) भारी रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिए अप्रैल 1965 में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया था। इसकी सिफारिशों को, जो नवम्बर, 1968 में अधिसूचित की गई थीं ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं किया जा सकता जो “भारी रसायन”, या “उर्वरक” का निर्माण न करते हों।

पूर्व बंगाल से आकर नेफा क्षेत्र में बसे विस्थापित व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी

6375. श्री सी० सी० गोहाइन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान और तिब्बत से आये कितने व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को नेफा क्षेत्र में बसाया गया है या बसाये जाने का विचार है;

(ख) उन स्थानों का नाम क्या हैं जहां उनको बसाया गया है अथवा बसाया जायेगा;

(ग) इन व्यक्तियों को सरकार का क्या सुविधाएं देने के विचार है और वर्ष 1971-72 में उनके पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों को वही सुविधाएं दी जायेंगी जो नेफा के स्थानीय आदिवासियों को दी जाती हैं, यदि हां तो उसके लिये सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) परिवारों, और उन स्थानों का ब्यौरा, जहां ये परिवार बसाये गए हैं, नीचे दिया गया है :—

पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी	तिब्बत के शरणार्थी	भूतपूर्व सैनिक
तिरप जिले की नोआ-देहिग घाटी, सुबनसिरी जिले का निचला पहाड़ी क्षेत्र और लोहित जिले के चौखाम क्षेत्र में 2,902 परिवार ।	तिरप जिले के चांगसांग क्षेत्र और लोहित जिले के तिडोलों । जिले में 499 परिवार ।	तिरप जिले के विजय नगर क्षेत्र में 200 परिवार और कामेंग जिले के सीजुसा क्षेत्र में 130 परिवार ।

और व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) पुनर्वास कार्यक्रम में आवास की व्यवस्था, कृषि भूमि का एलाटमेंट, कृषि कार्यों में सहायता और शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, शामिल है । 1971-72 के बजट अनुमानों में की गई व्यवस्था निम्नलिखित है :—

पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी	10.23 लाख रु०
तिब्बत से आये शरणार्थी	4.00 „ „
भूतपूर्व सैनिक	31.56 „ „

(घ) नए बसने वालों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं । जो सुविधाएं नेफा के आदिवासियों को दी जाती हैं और विशिष्ट आदेशों के अधीन विशेष रूप से इनके लिए मंजूर की गई हैं, इन परिवारों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं । तिब्बत के शरणार्थियों को विदेशी पंजीकरण नियम के अधीन पंजीकृत किया जाता है ।

तुमकुर, मैसूर में बारानी फार्म नारियल का विकास

6376. श्री के० लक्ष्मण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में बारानी फार्म नारियल का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस जिले में नारियल का विकास करने के लिए क्या काम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इस समय मैसूर राज्य के तुमकुर ज़िले में नारियल विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, इस जिले में नारियल के उत्पादन के सुधार के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है:—

- (1) नारियल के अच्छे किस्म के पौधों का वितरण।
- (2) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से नये क्षेत्रों का विकास।
- (3) नारियल के बागानों में पैकेज प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिये उर्वरक तथा वनस्पति-रक्षण उपायों का प्रदर्शन करना।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को केन्द्रीय सहायता देने के लिए केरल का अनुरोध

6377. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता पाने के लिये भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या प्रस्ताव भेजे हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार ने मार्च, 1971 में, गहरे समुद्र में मीन हरण के लिए विदेशी सहयोग की एक परियोजना रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को भेजी थी। परन्तु राज्य की ओर से इस परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत कोचीन तट को आधार मानकर 4 बड़े तथा 6 मध्यम मीन हरण जहाजों द्वारा मीन हरण की व्यवस्था है। जहाजों तथा तटीय उपस्करों की पूंजीगत लागत 185 लाख रुपये तथा उनके रख-रखाव का वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख रुपये होने का अनुमान है। इससे प्रति वर्ष लगभग 3600 टन मछली की प्राप्ति जिसका मूल्य लगभग 64 लाख रुपये है, प्रत्याशित है। प्रस्ताव के कुछ पहलुओं के विषय में केरल सरकार से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

केरल में बारानी खेती योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक परियोजना

6378. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में बारानी खेती योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी और कितनी प्रायोगिक परियोजनाओं का चयन किया गया है; और

(ख) उस क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बारानी खेती योजना के अधीन केरल के लिये कोई परियोजना नियत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

पोलीथीन से ढक कर खाद्यानों की बोरियां रखना

6879. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोलीथीन से ढक कर खुले में रखी खाद्यानों की बोरियां हानि से सुरक्षित हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : ऊंचे पलैटफार्म अथवा लकड़ी के क्रेट/स्लीपर्स पर खुले में रखी गई और पोलीथीन की चादरों से ढकी खाद्यान की बोरियां सामान्यतः हानि से सुरक्षित रहती हैं।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए विशाल शिविर की स्थापना

6380. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए 50 बड़े शिविर स्थापित करने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने शिविर स्थापित किये जा चुके हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी हाँ। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शरणार्थियों के लिये केन्द्र द्वारा प्रशासित किए जाने वाले विशाल शिविरों की सूची के सम्बन्ध में विवरण, जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका है या पूर्ण होने वाला है।

राज्य	शिविरों की संख्या	स्थान
त्रिपुरा	4	उपताखली बागमा अम्बासा मनु
आसाम	2	सोरभोग बहालपुर
पश्चिम बंगाल	8	पण्यरदोबा सलबोनी ब्रिन्दावनपुर धुवलिया कूपर्स कैम्प

राज्य	शिविरों की संख्या	स्थान
मध्य प्रदेश	3	नौगांव माना भाटा केन्द्री (माना के निकट-रायपुर)
बिहार	1	पंचनपुर
उत्तर प्रदेश	1	इरादतगंज

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a Matter of urgent Public Importance

आसाम और त्रिपुरा सीमा पर भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हाल में गोलाबारी किये जाने के समाचार

Shri. Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Home affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

'Reported recent Pakistani shelling into Indian territory on Assam and Tripura border'

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 26 जुलाई, 1971 की रात को एक और साढ़े तीन बजे के बीच पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के सोनापुरा इलाके में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से तोपखाने द्वारा गोलाबारी की जिसके फलस्वरूप नगर में गिरे चार पाकिस्तानी गोलों से दो भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई और चार घायल हुए।

उसी दिन लगभग उसी समय पाकिस्तानी सेना ने सोनापुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में नवदीप चन्द्रनगर और मोतीनगर बोप में भारतीय सीमा पर तोपखाने से गोलाबारी की जिसके फलस्वरूप सात गोले भारतीय क्षेत्र में गिरे। बताया जाता है कि एक मवेशी की मृत्यु हो गई।

26 तारीख को ही, बहुत सवेरे बिसालगढ़ के पुलिस थाने में हरिहरडोला पर भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी तोपखाने के लगभग 20 गोले गिरे जिसके फलस्वरूप बंगला देश के एक शरणार्थी की मृत्यु हो गई और अन्य चार शरणार्थी घायल हो गये।

उपरोक्त सभी मामलों में सीमा-सुरक्षा बल ने सीमा के उस पार से हुई गोलाबारी को शान्त करते हुए प्रभावशाली ढंग से गोली का जवाब दिया। हमने ऐसे प्रत्येक मामले में पाकिस्तानी सरकार को कड़े विरोध पत्र भी भेजे हैं।

हमें 26-27 जुलाई, 1971 की कच्छार जिले के सुतार्कखण्डी इलाके में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार से पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा की गई तथाकथित गोलाबारी के बारे में कोई सूचना नहीं है। 25

जुलाई को सुतार्कखण्डी के दक्षिण में आधा मील दूर गंडक ग्राम में एक मकान में हुए एक विस्फोट के फलस्वरूप बताया जाता है, चार नागरिक मारे गये हैं। आगे तहकीकात की जा रही है।

सीमा सुरक्षा बल अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग है और उसको सीमा पार से पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ अथवा गोलाबारी द्वारा भारतीय क्षेत्र के उल्लंघन के किसी प्रयत्न का कारगर रूप से जवाब देने के लिए स्पष्ट हिदायतें हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is apparent from the statement of the minister of State, Ministry of Home Affairs that Pakistan is increasing its aggressive activities on the entire border. In his reply he has denied that there is no information about the reported shelling by Pakistani forces across the international border in the Sultarkandi area of caher district on the 26-27th July, 1971. He added that some people were killed in an explosion on 25th July. Is it a fact that Pakistan is continuing its aggressive activities on our borders in order to distract the world attention from the happening in Bangla Desh.

The following news item appeared in the 'Hindustan standard' :

"Pak helicopters are flying daily over this border area. On Monday one such Helicopter flew close to Gede once in the morning and next in the afternoon. On Tuesday noon two one helicopter hovered Bhanpur, Toengi and Bhajanghat areas of Nadia district."

If this is true, why were these helicopters allowed to fly over our territory. The defence Minister, in his statement the other day in other sense declared that the aircraft violating our air space would be shot down. Are not helicopters included in that statement.

The Minister has stated in his statement that the Border Security Force has clear instructions to reply effectively to any attempt by Pakistani Army to violate Indian territory. Here I would again like to quote Hindustan standard.

"It is understood the Indian Border Police are restraining themselves in retaliatory firing to maintain normalcy and peace on the border."

So I would like to know from the hon. Minister as to whether the orders to reply effectively are only on paper or these are meant for implementation.

Is not it the proper time for our Armed forces to deal with Pakistani armed forces? This House and the country needs an assurance from the Government that any aggression on our borders by Pakistan Army would be stress fully met with.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बंगला देश के साथ लगी अपनी सारी सीमा पर हमने बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत कर दिया है। सेना भी वहाँ पर तैनात है। और जब परिस्थिति मांग करेगी उचित कार्यवाही की जायेगी। पाकिस्तान सरकार आरम्भ से ही बंगला देश के मामले को भारत-पाक मामला बनाने का प्रयास कर रही है किन्तु हम उसके इस षडयन्त्र को विफल करते रहे हैं।

पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्तारी एवं पाकिस्तानी हेलीकाप्टरों द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों से उद्धरण दिये हैं। टाइम्स आफ इण्डिया और इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचारों में कहा गया है कि बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आक्रमण का उत्तर प्रभावशाली ढंग से दिया है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (कागड़ा) : इस समय हमारे देश पर महान संकट है। अभी 20 तारीख को समाचार छपा था। कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के मिन्फर क्षेत्र में गोलाबारी की थी। बीकानेर जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 8 नागरिकों को जिनमें 3 महिलायें भी हैं, मार दिया। एक सप्ताह में छः ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। यह मामला हमारे लिए चिन्ता का विषय बन गया है और अब हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए रास्ता निकालें।

ऐसी स्थिति में सत्याग्रह आदि जैसी आंतरिक कार्यवाहियां भी हमारे लिये घातक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शासक दल ने स्वयं ही 9 अगस्त को रैली बुलायी है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : मैं रक्षा मन्त्री से आश्वासन चाहता हूँ कि पाकिस्तानी आक्रमणों का दृढ़ता से मुकाबला किया जायेगा तथा उसे उचित सबक सिखाया जायेगा।

क्या पाकिस्तानियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है ? क्या सरकार देश में शान्ति स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री समर गुह कन्टाई : आप बंगला देश को मान्यता दें। सारा देश सरकार के साथ रहेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बोर्डर सिक्वोरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी हमलों का दृढ़ता से सामना किया है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या हमने किसी भी पाकिस्तानी आक्रामक अथवा गुसपैठियों को मारा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभा को ऐसी सूचनाएं देना कठिन है। पाकिस्तान से उचित क्षति-पूर्ति का दावा कर दिया गया है।

जहां तक स्थानीय जनता को राहत देने का मामला है, त्रिपुरा सरकार ने उन्हें वहां पर अस्थायी रूप से बसाया है।

सीमाओं पर संकट की स्थिति देखते हुये मैं आशा करता हूँ कि देश में सभी क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूच बिहार) : मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह वैसा ही है जैसा कि प्रायः दे दिया जाता है। पिछली बार भी वक्तव्य में यह बताया गया था कि सीमा सुरक्षा बल की संख्या काफी बढ़ा दी गई है और साथ ही यह दावा भी किया गया था कि अब विदेशी नागरिकों के लिए भारत में अवैध रूप से घुस आना सम्भव न होगा। किन्तु 17 जून को माननीय मन्त्री ने सीमा पार से पाकिस्तानियों की गोली से मरे या घायल हुए भारतीयों की संख्या बताई थी। पहला प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अब तक इस प्रकार की घटनाओं में मारे गये भारतीयों की कुल संख्या क्या है ? संक्षेप में, मैं यह कहूंगा कि वर्तमान स्थिति भारत की कमजोर और डरपोक नीति के कारण पैदा हुई है।

वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि 25 जुलाई को गंडक गाँव में एक घर में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण 5 ग्रामीण मारे गये। सरकार ने विस्फोट का कारण नहीं बताया किन्तु 28 जुलाई के कलकत्ते से प्रकाशित हुए "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में इसकी ओर कुछ संकेत किया गया था। उसमें लिखा था कि कुछ पाकिस्तानी रानीबाड़ी चाय बागान में घुस आये थे और वहाँ उन्होंने स्वेच्छा से गोलियाँ चलाई। जाने से पूर्व वे वहाँ तीनों पर बम दाब गये। यदि हमारा सीमा सुरक्षा बल सुदृढ़ स्थिति में है तो पाकिस्तानी लोग हमारी सीमा में किस प्रकार घुस आते हैं? ऐसे घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है? क्या बंगला देश की समस्या सहित वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार सम्पूर्ण सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के स्थान पर सेना तैनात करने का विचार करेगी?

श्री कृष्णचन्द पन्त : जहाँ तक भारतीय सीमा सुरक्षा बल के स्थान पर सेना तैनात करने का सम्बन्ध है इसका उत्तर मैं श्री बाजपेयी जी के प्रश्न उत्तर में दे चुका हूँ। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में आयी गोलियों की संख्या एक घटना में 4, दूसरी घटना में सात और तीसरी घटना में 20 थी। घर में हुए विस्फोट के बारे में अभी जाँच-पड़ताल चल रही है।

हां, सुतरखंडी में कुछ पाकिस्तानी सैनिक घुस आये थे। इसके बारे में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन सीमा सुरक्षा बल की एक यूनिट का उस स्थान से स्थानान्तरण किया गया था और उसके स्थान पर दूसरी यूनिट आने वाली थी। इसी बीच उक्त घटना घटी। अन्यथा, सीमा सुरक्षा बल के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मनोबल बहुत ऊँचा है। उनके ड्यूटी पर होने के समय पाकिस्तानियों का यह साहस नहीं होता कि वे हमारी सीमा में घुस आयें। जहाँ तक ऐसी घटनाओं में मरे भारतीयों का सम्बन्ध है, यह संख्या 25 मार्च से 27 जुलाई 1971 के बीच 50 थी।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि एक कस्बे पर चार पाकिस्तानी गोलिआं आकर पड़ी थीं। यह कस्बा सोनमरा है, जो सीमा से पांच मील दूर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तानियों ने ये गोलियाँ भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद चलाई थी? त्रिपुरा में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा चलाई गई गोलियों से प्रायः व्यक्ति मरते रहते हैं, हालांकि प्रधान मन्त्री और रक्षा मन्त्री ने अगरतल्ला के लोगों को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया था। उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। त्रिपुरा तीन ओर से पूर्वी पाकिस्तान जो आजकल बंगला देश कहलाता है, से घिरा है। वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक बार-बार गोली चलाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह अधिक निरीक्षण-चौकियां स्थापित करे जहाँ से भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की गत विधियों पर निगाह रख सकें।

बंगला देश से दस लाख शरणार्थी त्रिपुरा में आ चुके हैं। वे सरकार ने उन शिविरों में बसाये हैं जहाँ सीमा पार से आसानी से गोली आ सकती है। सरकार ने ये शिविर सीमा के पास क्यों लगाए हैं? क्या सरकार इन शिविरों को वहाँ से हटाकर सीमा से कुछ अधिक दूर लगायेगी। चूंकि पाकिस्तान से मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा मिलने वाला नहीं है इसलिए क्या सरकार उन्हें अपनी ओर से राहत के रूप में कुछ सहायता देगी?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : जहाँ तक पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा अतिक्रमण का सम्बन्ध है, वह भारतीय सीमा के इस पार पांच मील तक घुस आई थी। किन्तु हमारी सेना ने सीमा पार नहीं की थी। जहाँ तक मृतकों की संख्या का सम्बन्ध है उसमें सीमा सुरक्षा दल के जवानों की संख्या सम्मिलित नहीं है। जहाँ तक निरीक्षण-चौकियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था विद्यमान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या सरकार गोली चलाये जाने या सीमा-अतिक्रमण की इन घटनाओं को सरकार मामूली या आकस्मिक समझती है? क्या ये घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं हैं? प्रश्न यह नहीं है कि कुछ गोलियां पाकिस्तानी सीमा से हमारी ओर आई हैं। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी घटनाएं जानबूझकर की जाती हैं? मेरे विचार से ये घटनाएं पूर्व-नियोजित हैं क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक शासक इनका यह कहकर समर्थन करते हैं कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित लोगों को भेज रहा है। अमरीका में पाकिस्तानी राजदूत ने भी ऐसा ही वक्तव्य दिया है। यदि सरकार ने बंगला देश को मान्यता दे दी होती तो बंगला देश के सम्बन्ध में पाकिस्तानी सरकार ऐसे तर्क की आड़ नहीं ले सकती थी। जब तक भारत बंगला देश की मुक्ति फौज को मान्यता नहीं देती और यह नहीं कहती कि उसे भी अपने मित्र देशों से सैनिक सहायता लेने का पूरा हक है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव ने परिचालित किया है, क्या वह अमरीका की नीति का समर्थन नहीं करता है। क्या उससे यह सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की गई है कि विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य है। क्या उन्हें यह स्मरण कराया जायेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा बचाने के लिये भारत ने कांगो कोरिया आदि में अपनी सेवाएं भेजी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह मामले मंत्री महोदय से संबन्धित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या मंत्री महोदय इन तथ्यों की ओर ध्यान देते हुए बंगला देश को मान्यता देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारत पाकिस्तान के मध्य सीधा संघर्ष पैदा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल संगत प्रश्नों के उत्तर की अनुमति दूंगा।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : हम सदा ही चेष्टाशील रहे हैं कि बंगला देश के मामले को भारत पाकिस्तान का विवाद न बनाया जाये। पाकिस्तान जानबूझकर परिस्थिति को गम्भीर बना रहा है।

जहाँ तक गोलाबारी का प्रश्न है हमें उसका जवाब उचित रूप से देना ही पड़ता है। हम पाकिस्तान की ऐसी किसी भी कार्यवाही को सहन नहीं कर सकते।

Shri. Hukam Chand Kachwai (Morena) : About 170 students of Dehli with about 68% marks could not get admission in Madical colleges.

Mr. Speaker : I have not allowed it.

Shri Hukam Chand Kachwai : After all where could the student go.....**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the table

पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अध्यादेश, 1971

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अध्यादेश, 1971 (1971 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या 1) की एक प्रति, जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 3 जून, 1971 को प्रख्यापित किया गया था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 757/71]
- (2) उपर्युक्त अध्यादेश के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 758/71]

कोयला बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कोयला बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 759-71]

भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूँ [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 760/71]

दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1971 में कतिपय संशोधन करने सम्बन्धी अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं श्री शेरसिंह की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2544 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1971 में कतिपय संशोधन किये गये हैं जो अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1911 दिनांक 3 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 761/71]

राज्य सभा से सन्देश

Message from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं :

- (एक) कि लोक-सभा द्वारा 23 जुलाई, 1971 को पास किए गए मैसूर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि लोक-सभा द्वारा 26 जुलाई, 1971 को पास किए गए पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी चट्टोपाध्याय) : मुझे श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

वित्त (संख्या 2) विधेयक—जारी

Finance (No 2) Bill Contd.

Shri N. K. Sharma (Dansa) We intend to do away with unemployment, discrimination and social injustice in the country. The Finance Bill has been criticized in the context of 'Garibi Hatao' comfortes. The Finance Minister said :

"It is hardly possible to claim that a new socialist and economic order can be ushered in through budgetary policies and also not at least through a single budget."

Looking at the budget with this angle we find that this is a good start. The Government has taken certain steps to acheive the desired goals. Two constitution (Amendment) Bills have been introduced.

But is not it a fact that the prices have risen after the presentation of the budget. There has been 1.1 percent increase in whole sale price in one month. If we compare it with the prices of the previous year the rise has been 5.5 per cent. This has happened in spite of assurances of the Finance Minister to the contrary. All our economic policies and statements have proved false, cannot you create a situation wherein the people may get employment and initiate steps to check prices. The prices of commodities required by the farmers may be fixed. Even the prices of the commodities on which no duty has been imposed have increased. By merely expressing a hope we cannot check the prices. It can only be checked if we take strong action in the matter.

Deficit financing is the one of the reasons for price increase. Our economic structure allows sale tax evasion on large scale.

I would like to urge upon the Government to stop giving bank advances against the commodities of common use because it leads to hoarding. The speculation taking place is illegal. It should be stopped.

The figures of deficit financing are admitted by wrong. Definitely it has considerably risen due to the situation created by Pakistan,

There is provision of Rs. 6 crores for the displaced persons. This together with the foreign aid received for the purpose would not suffice. A sum of Rs. 500 crores to Rs. 600 crores is needed for the purpose. To meet with that you can stop unnecessary expenditure on non-plan items. It is not necessary to build beautiful buildings in the cities like Delhi and Calcutta. Pakistan has created a sanctions situation before us. We should create environments for sacrifice before our people.

The Government will have to initiate economy by reducing furniture, electric & Water expenses for the ministers. Let us create an air of savings and superfluous expenditure. A reference was made to Shri Raj Bahadur also in this connection.....

Shri Raj Bahadur : Let me submit no explanation, First of all, I have no objection for any sort of luxury. I am a man who can sleep on a mat also. Secondly, however, a minister gets only that what has been fixed by the Government. If the standard is deemed high, let it be reduced to any lower scale. Let all subsidies be stopped, I have no objection. However, it has to be kept in mind that a Minister is visited by VIPS like Ambassadors, Members of Parliament etc. and he has to maintain the desired dignity and respect.

Shri N. K. Sharma : Let the hon. Minister not misunderstand me. I do not talk of a particular Minister, but I speak of the entire system. My point is that all the Ministers, officers, Members of Parliament all the citizens of India should understand the seriousness of the matter.

The amounts allocated in the Budget for rural employment and urban employment are quite inadequate. Timely speaking, we need a basic change in our way of thinking. We have about 20 million people jobless in our country and this number is steadily increasing. How can this little amount of Rs. 50 crores and Rs. 25 crores can do anything significant? The need is to change the present education system and have a new education policy which may remove the difference between the rural and urban areas. At present every educated village rushes towards city; this tendency should be stopped by developing the rural areas. We have done enough for the cities; let's now look towards villages where we have no roads, no drinking water facilities. It is a matter of shame that on one hand we waste lakhs of gallons of water on fountains in Delhi whereas, on the other hand, people in Rajasthan do not get water even to drink. Let new canals be constructed there. You are giving money for fountains; then why can't you give for Rajasthan Canal?

Besides agriculture, you will have to stress on cottage industries also. Rajasthan has all resources for woollen industry. Let this industry be developed there.

With these words, I thank you for the time upon save to me.

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : Prices always fluctuate in a capitalistic economic system and that is only the British economist Koines discovered the deficit Budgeting systems. On the other hand in socialistic economics system the prices should come down whereas in our country those are increasing steadily. This all is due to our defective economic system. Despite the fact that our Railways, aircraft, shipping transports, electricity and posts & telegraphs are under the Public Sectors, still the prices are on the increase in these fields also. This shows that on economic system is neither capitalistic nor socialistic; it is something in between.

The burden of foreign loan on our nation is measuring day by day. The hon. Finance Minister has not indicated as to how does he propose to lesson this burden. Every year this burden is increasing by about Rs. 650 crores and the question is whether we would ever be able to getrid of it! Such a burden should always decrease under a socialistis economic system. In this context China's economy should be studied and also, followed. It is a point to note that although China got freedom one seen after we did, yet they do not have to pay even single pie to any foreign country. So, when we talk of socialism, we should then ensure that we are not under any foreign debt.

In the conctect of black money I should say that although the letin of Rajas and Maharajas has some, still me find those kings and Rajas in our Ministers who are, otherwise, representatives of our democracy and socialism. I want to quote the example of a particular Minister viz Shyi Vasant Rao Naik, The Chief Minister of Maharashtra. In his earlier days he was not so rich but now.....(interruptions)

Shri B. P. Maurya : The hon. Member cannot put allegations on the person who is not present here to defend himself.

Mr. Speaker : If any hon. Member desires to put allegations on any Minister etc., he has to first give in writing to me. Secondly, regarding a Minister of State, he should raise such a matter in the House of that state only.

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : On a point of order. Sir. The hon. Member cannot say any thing regarding person particularly a Chief Minister who is not present have to defend himself against such allegations.

Shri J. B. Dhote : Well, I shall not mention his name in particular. By the way, I know that Rajas have now become Raj Bahadurs.....(intruptions)

Shri Raj Bahadur : Please do not say about Rajas. Through out my life I have been fighting with Rajas. My name is Raj Bahadur because I fight against Rajas.

Shri J. B. Dhote : I will give the details of the property of the person who is not Raj Bahadur.

Mr. Speaker : Mr. Dhote, please follow the prescribed procedurs. I have pointed out to you that matters reporting Chief Ministers and State Ministers shall be raised in the respective House of those States. How can you raise that matter here ?

Shri J. B. Dhote : Anyway regional uniform development is impossible in large states, that is why there has been a constant demand to have small States in the country. Quite a number of movements are going on in the country in this report, and many have yet to start. Unfortunately we have been merged in Maharashtra and our economy has been completely remired. The great Vidarbha, whose culture and awakeness had found special mention in the Mahabharat, Puranas and history, has been included in Maharashtra. Since 1905, we have been demanding a separate State of Vidarbha. When we were in old Madhya Pradesh, a resolution was unanimously adopted in the these Madhya Pradesh Legislative Asse.mbly to the effect that there should be as separate state or Vidarbha with Nagpur as its Capital. Thereafter, there had an S.R.C., and Fazal Ali Commission, the Fazal Ali also stated that there should be a separate state of Vidarbha. Then the J. B. P. committee consisting of late Sarvershri Jawahar Lal

Neharu, Vallabhbhai Patel and Puttappa Sitaramaya also said that it would be in the good interest of people of Vidarbha to have a separate Vidarbha State with Nagpur as its capital. This Parliament bears testimony to this fact. The reports of Dass Commission, J. B. P. Commission and other reports are the proof thereof. Now we request our Prime Minister Smt. Indira Gandhi to materialise this long Resting dream of her father and create a separate Vidarbha State. We have stressing upon this demand since long and in quite a democratic and constitutional way. Thousands of our people have been locked up in Jails, many have been shot dead and many families have been received. Why our demand is not being fulfilled. All the Commissions set up in this connectives have supported this demand.

Ours is a federal system of Government and we should have small state for regional development, and progress and also for setting rid of regional unemployment and the reign of red-tapism. For this, there should be small states e.g. Vishal Haryana, Telengana, Saurashtra, Caranatak etc.

At present our movement is peaceful but the Government of Maharashtra are trying to put down this movement by force which might prove more explosive.

Now, my humble question is whether you would like to accept our demand only after a shed number of sacrifices and blood shed. But it will be for better if you could accede to this demand by setting this problem on a table.

This bill under consideration is a financial Bill and I have to submit this much only that there is always a price-rise phenomenon in capitalist economic set up and our Bill comes in that category. Therefore, Let us know what sort of economy should be adopted to suit our poor country. No doubt China is our enemy and we should fight her in battle field, but certainly we can learn something from her in regard to economic system.

डा० बी० के० आर० बी० राव (बेतलरी) : मेरे विचार में काले धन का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी धन के कारण देश में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाये परन्तु अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं यह कहूंगा कि 100 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण से भारत में विद्यमान काले धन का कोई हल नहीं निकल सकेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr Deputy Speaker in the Chair]

वास्तव में भारतीय मुद्रा का 50 प्रतिशत भाग 100 रुपये के नोटों के रूप में है। किसी भी प्रकार के विमुद्रीकरण में 100 रुपये के नोटों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। 1000 रुपये तथा 5000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण करने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

काला धन एकत्र होने के चार कारण हैं। सब से बड़ा कारण कर अपवंचन है। जब तक कर अपवंचन होता रहेगा तब तक काले धन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को यह पता लगाना चाहिये कि वसूली करने वाले तंत्र की कार्य कुशलता किस प्रकार बढ़ाई जाये। हम सरकारी वक्तव्य की प्रतीक्षा में हैं कि वे कर अपवंचन की समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहते हैं।

इसका दूसरा प्रमुख कारण मकानों का क्रय-विक्रय है। इस प्रकार के लेन देन में कुछ भुगतान बैंक से किया जाता है तथा कुछ नकद रूपों में। जो राशि नकद दी जाती है वह काला

धन होता है। जिसके पास काला धन होता है वह मकान खरीद कर उससे मुक्ति पाता है और इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि होती है।

इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण वह तरीका है जिससे नियंत्रित वस्तुयें अनियंत्रित मूल्यों पर बेची जाती हैं। सभी को पता है कि इस्पात तथा लोहा नियंत्रित वस्तुयें हैं। परन्तु जब कभी किसी को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो वह बाजार में बहुत अधिक मूल्य पर इन वस्तुओं को खरीदता है। इन वस्तुओं के लिये नियंत्रित मूल्य से अधिक दिया गया मूल्य काला धन है।

अन्तिम कारण डाक्टर, वकील तथा अन्य व्यवसायिक व्यक्ति हैं जो अपनी फीस नकद लेते हैं। परन्तु जब वे अपनी फीस नकद वसूल करते हैं तो किसी को यह पता नहीं होता कि नकद रकम की कितनी राशि उनकी लेखा पुस्तकों में है और कितनी काले धन के रूप में।

अतः काले धन को केवल विमुद्रीकरण से दूर नहीं किया जा सकता बल्कि इससे अर्थ-व्यवस्था में जटिलतायें तथा कठिनाईयाँ उत्पन्न होंगी। हमें समस्या की जड़ तक पहुँचना चाहिये।

सर्वप्रथम हमें कर वसूल करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये कदम उठाने होंगे। सरकार आयकर की सभी विवरणियों को प्रकाशित क्यों नहीं करती है। इन्हें प्रकाशित करने से किसी भी मोहल्ले अथवा वर्ग विशेष में कोई भी नागरिक आकर आय विवरणियों को देख कर उस व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में पता लगा सकता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जो सूचना दें प्रश्न पूछें और यह बतायें कि विवरण में दी गई सूचना गलत है और किसी व्यक्ति विशेष की आय अधिक है। हमें कर अपवचन का पता लगाने के लिये जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। स्वीडन में ऐसा ही किया जाता है।

जहाँ तक मकानों के क्रय-विक्रय का सम्बन्ध है हमें इसके लिए एक बाजार की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक विक्री तथा खरीद लाइसेंस प्राप्त व्यापारी के मध्यम से की जानी चाहिए। इस व्यापारी को उद्युक्त हिसाब रखना होगा। वित्तमन्त्री को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए।

इसके पश्चात नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य देने का प्रश्न आता है। सामान्यतया अधिक मूल्य, व्यापारियों निर्माण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, कच्चेमाल, ईटें, सीमेंट, इस्पात आदि व्यापारियों द्वारा दिये जाते हैं। कर निर्धारण के लिए जब वे उत्पादन लागत प्रस्तुत करते हैं तब क्या होता है? क्या वे वही मूल्य बताते हैं जो उन्होंने भुगतान किया है अथवा वे नियंत्रित मूल्य ही बताते हैं? इन विवरणियों के बारे में आयकर विभाग का क्या दृष्टिकोण है? क्या आयकर विभाग सामग्री की लागत नियंत्रित मूल्य के अनुसार मानता है अथवा वह उन्हें अनियंत्रित मूल्यों पर, जिनसे काला धन पैदा होता है, कटौतियाँ प्राप्त करने की अनुमति देता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जाँच की जानी चाहिए। सरकार को इस क्षेत्र में कर अपवचन को रोकने के लिए कर एकत्र करने वाली व्यवस्था के उपयोग करने का कोई ढंग ढूँढ़ना ही होगा।

व्यवसायिक शुल्कों के बारे में भी कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। आयकर विवरणियों में लोगों को डाक्टरों तथा वकीलों आदिपर किये गये व्यय को दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए और इस पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें इन खर्चों पर कटौती मिलनी चाहिए। इस प्रकार व्यावसायिक शुल्कों के अपवचन को समाप्त करने के लिए कोई न कोई मार्ग निकालना चाहिए।

यदि उपरोक्त चारों बातों की ओर ध्यान दिया जाये तो हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और काले धन की समस्या का कोई न कोई हल निकाला जा सकता है।

वित्तमन्त्री ने उस दिन बताया था कि उन्हें मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि की आशा नहीं है। परन्तु मूल्यों में वृद्धि हो रही है और उनमें और भी अधिक वृद्धि होगी। यह सब घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण है। हमें घाटे की अर्थव्यवस्था विरोधी नीति अपनानी चाहिए क्या सरकार के पास घाटे की अर्थव्यवस्था विरोधी कोई नीति है? क्या सरकार दुर्लभ वस्तुओं का नियंत्रित वितरण करेगी? क्या उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ायी जायेगी? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तीन चार वर्ष तक स्थिर रहेंगे। भारत के लिए यह कोई नई समस्या नहीं है। युद्धकाल में भी ऐसी ही स्थिति थी। आज लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और यदि ऐसा हो गया तो घाटे की अर्थव्यवस्था के और भी बुरे परिणाम होंगे।

वित्तमन्त्री ने बताया है कि ग्राम्य निर्माण कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये और शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 करोड़ रुपया नियत किया गया है। हम जानते हैं यह बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। सभा को बताया जाना चाहिए कि रोजगार के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, जो काम करना चाहता है जो सम्मान पूर्वक जीवित रहना चाहता है बेरोजगार होने से बड़ी और कोई लज्जा की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में नक्सलवादी गति-विधियों के बढ़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हमें कोई नीति बनानी चाहिए। जो धनराशि इसके लिए आवंटित की गई है उससे कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। आज देश में बेरोजगार स्नातकों की संख्या लगभग दो लाख है। यह बहुत जटिल समस्या है। हमें रोजगार में लगे व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्तियों के लिए तब तक कोई न कोई कर लगाना चाहिए जब तक कि बेरोजगारों को रोजगार न मिल जाये। वित्तमन्त्री को बताना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए देश में कौन सी नीति अपनाई जा रही है।

आज की परिस्थितियों में ग्रामीण आय को कर से मुक्त नहीं रखा जा सकता। देश की 50 प्रतिशत आय ग्रामों से प्राप्त होती है। ग्रामों में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे बहुत काफी आय होती है और जिन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों को छोड़कर वकीलों, डाक्टरों, व्यापारियों तथा प्रोफेसरों जैसे अनेक ऐसे शहरों में रहने वाले हैं, जिन्हें ग्रामों में भूमि से आय होती है। परन्तु गैर-कृषि आय पर कर लगाते समय उनकी इस आय को भी नहीं जोड़ा जाता है। इसके क्या कारण हैं? मेरा तात्पर्य यह है कि ग्रामीण आय को कर से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए और कृषि की आय पर भी कर लगाना चाहिए। हमें ग्रामों में रहने वाले धनी वर्ग को कर मुक्त नहीं रखना चाहिए। अतः मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते हुये अन्य बातों के साथ साथ नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में विद्यमान बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर करने सम्बन्धी सरकार के ठोस कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी प्रकाश डालेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन (पेडक) : वित्त विधेयक तथा बजट में प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर वाद विवाद किया गया है। विभिन्न मन्त्रालयों की अनुदानों की मांगों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। अब इन मन्त्रालयों के समक्ष यह प्रश्न है कि वे जनता की गरीबी हटाने के लिए तथा उनकी प्रगति के लिए किस सीमा तक कार्य करती हैं। 397 करोड़ रुपयों के घाटे से यह आवश्यक हो गया है कि सरकार करों में वृद्धि करे तथा जनता की आव-

शक्तियों को पूरा करे। राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता उत्पादक शक्तियों पर आश्रित है अतः यह आवश्यक है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि पर विचार किया जाये।

जहां तक देश के लघु उद्योगों का प्रश्न है कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण उनमें पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। मध्यम स्तर तथा बड़े उद्योगों के लिए सहायक उद्योगों का पूरा विकास नहीं किया गया जिससे बड़े उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस ओर भी ध्यान देना होगा कि तकनीकी डिग्री प्राप्त लोगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उद्योगों के सम्बन्ध में अनुभव है। अतः ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है।

तेलंगाना क्षेत्र की पिछले 14 वर्षों से उपेक्षा की गई है जिसके कारण वह क्षेत्र कृषि तथा उद्योग की दृष्टि से पिछड़ गया। वर्ष 1956 में आंध्र क्षेत्र का तेलंगाना क्षेत्र में विलय किया गया था तथा उसी समय एक करार भी किया गया था किन्तु उस करार का पालन नहीं किया गया तथा तेलंगाना का शोषण होता रहा। तेलंगाना के पिछड़े रहने का एक मूल कारण यह भी है।

आज मेरे क्षेत्र में भी पृथक् तेलंगाना की मांग की जा रही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी तेलंगाना को पृथक् राज्य बनाने की सिफारिश की थी किन्तु स्वर्गीय पण्डित नेहरू तथा पंडित पंत के रवैये के कारण उस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया। उसी के कारण तेलंगाना क्षेत्र की स्थिति दयनीय हो गई है।

देश में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता लाने के लिये उत्पादक शक्तियों में तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। हमारी विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य तो सराहनीय हैं किन्तु उनके परिणाम शुभ नहीं निकलते। जिनके लिये एक दूसरे पर आरोप लगाये जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि गरीबी, बेरोजगारी आदि की समस्याओं को सभी के सहयोग से सुलझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया है। प्रजातांत्रिक समाजवादी धर्म निर्पेक्ष समाज के लिये आज देश के प्रत्येक नागरिक को ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। जनता कर का अपवंचन करना चाहती है।

अतः सरकार को यह प्रयत्न करना होगा कि इस भावना को दूर किया जाये तथा जनता की आशाओं को पूरा किया जाये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं वर्ष 1971 के लिये वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ वित्त विधेयक का बहुत महत्व होता है क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था बजट प्रस्तावों पर आश्रित होती है। लाखों व्यक्ति इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। पाकिस्तानी रवैये तथा देश में आये शरणार्थियों के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में नया मोड़ आया है।

इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कर सम्बन्धी

कानूनों में कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम 1860 में पहली बार लागू किया गया था तथा तब से इसमें कई बार आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं। 1944 में यह पुरानी पद्धति से कर वसूल करना कठिन समझा गया तथा “आय के अनुरूप कर” की पद्धति लागू की गई। इस सम्बन्ध में जान मथाई समिति, प्रत्यक्ष कर जांच समिति आदि कई समितियां भी नियुक्त की गई। अब वांचू समिति इसी मामले की जांच कर रही है।

श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता वाली प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश पर जब 1961 में नया अधिनियम लाया गया था तो उसकी बड़ी सराहना की गई थी क्योंकि पुराना कानून बहुत जटिल हो गया था। किन्तु उस नये कानून में भी अब लगभग 400 संशोधन किये जा चुके हैं और अब वह भी बड़ा जटिल हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें देश में अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना होगा क्योंकि अब कर की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। ऐसी स्थिति में जब जनता से 95.5 प्रतिशत तक कर वसूल किये जाने हैं हमें जनता में यह विश्वास पैदा करना होगा कि सरकार सब कुछ उनकी भलाई के लिये कर रही है जिससे जनता कर देने में कोई आपत्ति न करे।

मैं यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि सरकार तथा विभिन्न विभाग इन समितियों की आवश्यक सिफारिशों का भी पालन नहीं करते। भूतालिगम समिति की इस सिफारिश को भी नहीं माना गया कि 7,500 रुपयों की आय पर कर नहीं लगना चाहिए। सरकार ने 5,000 रुपयों पर कर की छूट दी है तथा कहा है कि अन्य 3,000 रुपयों पर भी छूट मिलेगी बशर्ते इस राशि की बचत की जाये। इस व्यवस्था से उन्हीं लोगों को लाभ होगा जो बचत करेंगे और उस राशि को किसी कार्य में लगायेंगे जिसके फलस्वरूप उनको और आय होगी। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें कर की कोई छूट नहीं होगी।

एक लाख रुपयों की आय वाले व्यक्ति के पास कर देकर केवल 52,000 रुपये बचते हैं तथा इससे आगे एक लाख रुपयों पर उसे 92,000 रुपये का कर देना होता है और उसके पास उसमें से केवल 8,000 रुपये बचते हैं। इसी प्रकार तीसरी एक लाख की आय पर उसे 97,500 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं तथा उसमें से उसके पास केवल 2,500 रुपये बचते हैं। यह सच है कि आज नयी आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है।

वांचू समिति काले धन और लेखा बाह्य धन की जांच कर रही है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि काला धन वह है जिस पर कर नहीं दिया गया तथा लेखा बाह्य धन वह है जिसपर कोई कर नहीं है जैसे कि कृषि से प्राप्त आय। कृषि से अतिरिक्त देश को कुल आय का अनुमान 15,000 करोड़ रुपया लगाया गया है तथा इस आय पर 780 करोड़ रुपयों का कर है। कृषि से प्राप्त आय का अनुमान 17,000 करोड़ रुपये है जिससे केवल 11 करोड़ रुपयों का कर वसूल किया गया है। इस प्रकार देश में कर सम्बन्धी असंतुलन विद्यमान है। आज हरित क्रांति पर बल दिया जा रहा है। देश में कुछ ऐसे कृषक भी हैं जिन्हें वर्ष में 5-7 लाख रुपयों की आय है तथा जिन्होंने मकान बनाये हैं और अन्य उद्योग भी स्थापित किये हैं।

अतः इस समय इस बात की आवश्यकता है कि कृषि से प्राप्त आय पर भी किसी न किसी प्रतिशत से कर वसूल किया जाये। सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कृषि क्षेत्र के लेखा बाह्य धन का पता लगाया जा सके। ये लोग बैंकों में अपना धन जमा नहीं कराते क्योंकि उन्हें

भय है कि कहीं कर अधिकारी उनसे इस धन का लेखा जोखा न मांग लें। आज कर दाता और कर मुक्त व्यक्ति की आय में बहुत अन्तर होता जा रहा है। अतः सरकार के लिये लेखा बाह्य धन तथा काले धन का पता लगाना अनिवार्य है। मेरे कहने का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई सीमा है तथा उस सीमा को जानना अनिवार्य है यह आवश्यक है कि जनता से वसूल की गई कर की राशि का उचित उपयोग हो।

वित्त मंत्री महोदय ने कल बताया था कि विकास सम्बन्धी छूट के कारण बड़े बड़े एकाधिकार प्राप्त उद्योगपतियों को बहुत लाभ हुआ है जिसके कारण इस छूट को 1974 से बन्द करने का प्रस्ताव है। बड़े उद्योगपतियों के सम्बन्ध में तो यह तर्क उचित है किन्तु छोटे उद्योगपतियों को यह छूट मिलनी चाहिये क्योंकि वे इस छूट के बिना अपना कार्य आरम्भ नहीं कर सकते।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस कारखाने में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती है उनको विकास सम्बन्धी छूट देकर बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल की जा सकती है।

इस छूट को बन्द करने से हमारे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश में बहुत से कारखाने बन्द हो गए हैं और बहुत बन्द होते जा रहे हैं। आज ब्रिटेन ने हमारे निर्यात पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा नौवहन उद्योग अभी ठीक से पनपा भी नहीं है। इस उद्योग से सब से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतः इस उद्योग को विकास सम्बन्धी छूट मिलनी चाहिये।

अन्य बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण कर दाता और कर वसूल करने वाले अधिकारियों के बीच में सौहार्द नहीं रह पाता। घाटा 40 रु०, नियम 6डी० के अन्तर्गत 2,500 की राशि को क्रॉस चैक के बिना वसूल करना मना है। मैंने सलाहकार समिति में इस बात को उठाया। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि मैं कुछ करूंगा। वर्तमान नियम इतने जटिल हैं कि ग्रामीण लोग उनको समझ नहीं सकते।

कर के अग्रिम भुगतान के विषय में मेरा अनुरोध है कि उस बारे में ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कर दाता अपने लेखे बन्द करने पर कर का भुगतान कर सके, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उसे लेखे बन्द करने से 15 दिन पहले कर का भुगतान करना होता है जिससे वह अपनी आय का सही सही हिसाब किताब नहीं कर सकता। अतः यह तिथि 15 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल कर देनी चाहिये।

व्यापारी को पिछले वर्ष के अनुमानित लाभ पर भी कर देना होता है। यदि उसके गत वर्ष के लाभ में कुछ वृद्धि हुई है तो उसे कर के अग्रिम भुगतान को पुनरीक्षित करने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये क्योंकि इस कार्य के लिये उसे बहुत औपचारिकता करनी पड़ती है तथा उसमें काफी समय लगता है।

वित्त मंत्रालय के गठन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कर वसूली सम्बन्धी विभिन्न विभागों और कार्यालयों को एक स्थान पर रखा जाना चाहिये तथा उनके लिये इमारतों का उचित प्रबन्ध भी होना चाहिये। कई मामलों में इन कार्यालयों के लिये भूमि खरीदी जा चुकी है किन्तु उन पर इमारतें नहीं बनाई गई हैं। यदि सरकार इस भूमि का उपयोग नहीं करेगी तो राज्य सरकारें इन्हें अधिग्रहीत कर सकती हैं।

वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : क्या सदस्य महोदय विशेष रूप से जयपुर का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जयपुर और जोधपुर में, आज करों की चोरी की बात की जाती है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ नियमित रूप से कर देते हैं। परन्तु ऐसे लोगों के लिए हमने अधिनियम में क्या व्यवस्था की है ? हमने स्थान स्थान पर उनके ऊपर भारी जुर्माने की व्यवस्था की हुई है। यह जुर्माने की व्यवस्था आय छिपाने के लिए नहीं, अपितु समय पर विवरणी पेश न करने के लिए है। अनेक ऐसे लोग हैं जो अग्रिम कर देना चाहते हैं, परन्तु किसी कारण वश ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें जुर्माना कर दिया जाता है। जब तक कराधान प्रक्रिया और प्रशासन में सुधार नहीं किया जायेगा, तब तक इस प्रकार की अनेक शिकायतों को दूर नहीं किया जा सकेगा।

आज आयकर विभाग के अधिकारियों से घोर निराशा देखने को मिल रही है। सीधे भरती द्वारा आये अधिकारियों और पहले से सेवा में लगे पदोन्नत अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने के मामले के फलस्वरूप अधिकारियों में कटु भावना पैदा हो रही है और इस प्रकार के अनेक मामले उच्चतम न्यायालय में हैं। सरकार को इन लोगों से बातचीत कर, इस समस्या का कुछ उचित हल निकालना चाहिये।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आयकर छूट की सीमा 7,500 रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिये। धारा 271(1) (ग) में जुर्माने को घटाकर 80 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये और न्यूनतम जुर्माना तो पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जिन कर-दाताओं पर अब तक कर निर्धारित किया गया है, उनसे अपने गत कर निर्धारण के अनुसार, कर देने के लिए कहा जाना चाहिये। उनसे अधिक कर देने के लिए कहना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त फर्मों पर कर निर्धारण का कार्य कर निर्धारण वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिये क्योंकि साझेदारों पर कर-निर्धारण का कार्य कई वर्षों तक चलता रहता है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिरिक्त अपील सम्बन्धी व्यय, जुर्माने आदि की राशि में भी कमी करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि प्रशासन सम्बन्धी ऐसे अनुदेश जारी किये जाने चाहिये कि यदि कुल लाभ गत वर्ष के लाभ की अपेक्षा कम हो तो, जुर्माने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

हमारा आयकर अधिनियम कई हजार पृष्ठों का एक ऐसा लम्बा और जटिल पोथा है कि कई बार अध्ययन करने के बाद भी उसको समझना कठिन है अतः इसे सरल बनाया जाना चाहिये ताकि यह सभी लोगों की समझ में आ सके।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक के अनुमोदन का समर्थन करता हूँ।

श्री पी० के० देव (कालाहाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अभाव के कारण ही आज-ऐसे लोग भी अपनी सरकार बनाये बैठे हैं जिन्हें कि केवल 24 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुये हैं। फिर भी हम अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं। परन्तु इन लोगों को जो भारी भरकम बहुमत प्राप्त हुआ है उसे प्राप्त करने के बाद भी सरकार द्वारा "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम को पूरा न करने का कोई भी कारण हमारी समझ में नहीं आता। वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें गरीब लोगों की स्थिति सुधारने, विकास कार्यक्रम बढ़ाने, और

रोजगार के अवसर पैदा करने और मूल्य स्थिर करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अगितु वित्तमंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह विकास विरोधी, मुद्रा स्फीतिकारी और प्रति क्रिया वादी है यह बजट राष्ट्र की शक्ति को दुर्बल कर देगा, लोगों का विश्वास उठ जायेगा और इससे सम्पूर्ण आर्थिक विकास रुक जायेगा। आज स्थिति यह है कि बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व ही, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री एल० एन० झा ने कहा है कि इस समय मूल्य सूचकांक सत्रसे आगे है। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि निवेश में जो कमी हुई है वह भी एक चिंता की बात है।

श्रीमान जी, वित्तमन्त्री ने सभी मदों पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिये हैं। वास्तविकता यह है कि आज सामान्य व्यक्ति ही पीसा जा रहा है। पेट्रोल पर कर लगाने और डाक तार प्रशुल्क में वृद्धि होने के फलस्वरूप सड़क यातायात अब बहुत खर्चीला बन गया है और संचार में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। परन्तु इतना सब कुछ करने के बाद भी, प्रस्तुत बजट में 220 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। आज हमारे देश के समक्ष शरणार्थियों की जो समस्या आ खड़ी हुई है, उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को भारी धक्का लगेगा और हमारे बजट के घाटे में और वृद्धि होगी।

दूसरी बात यह है कि आज विभिन्न राज्यों द्वारा सिद्धान्त के प्रतिकूल जमा धन राशि से अधिक धन निकलवाने की प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। यह निश्चय ही एक चिंता की बात है इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि उसने, भूतपूर्व स्वतन्त्र दल के मुख्य मंत्री की सही वित्तीय व्यवस्था के कारण एक बार भी जमाधन राशि से अधिक धन नहीं निकलवाया। कांग्रेस के इस कोटा लाइसेंस राज में आज स्थिति यह है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय कांग्रेस दल को जितना अधिक धन दे देता है, उसे उतने ही अधिक कोटे परमिट दे दिये जाते हैं।

राजनीतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव कोष के लिये संसाधन कैसे जुटाये हैं? यह धन किन साधनों से प्राप्त किया गया? वित्तमंत्री महोदय को इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। यह सारा धन काला धन होगा। आज तक हमारे देश में जो गलत आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई हैं, उन्हीं के परिणामस्वरूप यहां निरन्तर काले धन की उत्पत्ति हो रही है। जब तक पर्याप्त विकास नहीं होगा, जब तक मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय नहीं किये जायेंगे, जब तक उत्पादन और बचत में वृद्धि नहीं की जायेगी, तब तक इस काले धन की समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव प्रचार के कार्य में जो विदेशी धन का प्रयोग किया जाता है, वह निश्चय ही हमारे लिए चिंता का विषय है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई गई थी परन्तु अभी तक इसका प्रतिवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ। मेरा यह निवेदन है कि यह प्रतिदिन प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि हम सभी को यह मालूम हो सके कि विदेशी धन हमारी आन्तरिक राजनीति में क्या भूमिका निभा रहा है?

जहां तक कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रियों को, अपने वेतनों में

कटौती कर, उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर एक आदर्श स्थापित करना चाहिये। कुल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ाये बिना एक अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। आज जहाँ विश्व के अन्य देश भारी प्रगति कर चुके हैं, वहाँ हमारा देश वही का वही है। मैं समझता हूँ कि इसका दायित्व हमारे देश द्वारा अपनाई गई गलत आर्थिक नीतियों पर ही है।

“गरीबी हटाओ” का जो नारा लगाया गया है, इसे कार्यान्वित करने के लिए हम सब को अधिक काम करने, अधिक बचत करने और अधिक धन लगाने की आवश्यकता है। परन्तु हमारे बजट में इस प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नहीं है। हमारा पूंजी निर्माण कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 12 प्रतिशत की बहुत कम दर तक रहा है। आज निरन्तर रुपये के मूल्य और इसकी क्रय-शक्ति में हो रही कमी, निश्चय ही चिंता की बात है। हमारे विचार से भारत का सब से बड़ा धन उसकी जनशक्ति है और इसका सृजनात्मक उपयोग करने के लिए सभी संभव प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की छोटी राशि की व्यवस्था करने तथा शिक्षित बेरोजगारी के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने से इस समस्या का कुछ भी समाधान संभव नहीं है। जहाँ तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात है सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। स्टेट बैंक से, श्रीनागरवाला द्वारा 60 लाख रुपया निकलवाना, इस शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा धड़ी का मामला है परन्तु सरकार ने इस मामले को असाधारण जल्दबाजी से निपटवा दिया है। इस मामले में क्योंकि प्रधान मंत्री का नाम आया है, अतः इसकी और जाँच की आवश्यकता है।

वर्ष 1974 से विकास छूट को समाप्त करने और लम्बी अवधि के लिए ऋण यंत्रों के ऊपर लगी हुई पूंजी में शामिल न करने से सभी विकासशील उद्यमकर्ताओं के लिए बाधाएँ उत्पन्न हो जायेंगी। इसी प्रकार भारत की विदेशी ऋण की स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय है। जहाँ तक रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों का सम्बन्ध है, हमें उन देशों से प्राप्त कुल सहायता नहीं के बराबर है। सरकार को हमारे मित्र देश रूस से बातचीत करके उसे ऋण के ब्याज की अदायगी को स्थापित करने अथवा उसे पुनः निर्धारित करने के लिए सहमत करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें राजस्व बढ़ाने के लिए, प्रगतिवादी देशों द्वारा अपनाई जाने वाली आधुनिक राजकोषीय नीति का अनुगमन करना चाहिये। कार्यकुशलता को गवाये बिना ही हमें मितव्ययता बरतनी चाहिये और इसके साथ साथ हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य संचालन में भी सुधार करना चाहिये।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir The Finance Bill is a concrete step towards the fulfilment of the goal for establishing a socialistic pattern of society. The supporters of the capitalist pattern of economy have criticised this bill very bitterly and have alleged that the present bill would spoil the Indian economy.

I would like to congratulate the Finance Minister for removing the levy on maida and Coarse cloth, but the common man still has not got full relief. The resultant loss of Rs. 15 crores could be bridged by raising the revenue by other means. The Finance Minister has also announced certain concessions in Foreign Travel Tax. He has also exempted pilgrims travelling by ship for approved religion pilgrimages like the Haj. This concession should also be applicable to Shia muslims, who go abroad on pilgrimages to their religious places such as Iran, Iraq and Syria.

The Foreign Travel Tax would adversely affect the inflow of foreign tourists into our country. The big air companies may also cut down passenger traffic. It would have been better if the Foreign Travel Tax is completely withdrawn.

The Finance Minister has exempted income from income Tax upto Rs. 3000/- annually to those who deposit their money in Banks or invest it in Government securities. It would certainly strengthen the economy of the country and stop wasteful expenditure. But the inclusion of company shares with it would create many difficulties. Tax on wealth upto one lakh rupees for an individual and upto Rupees two lakh for a Hindu Undivided Family is a concrete step towards the socialism.

Some Members has criticised that all the public sector enterprises are incurring losses and these losses are mounting year after year. The fact remains that certain public sector undertakings are also incurring profits, if certain undertakings are incurring losses. The public sector undertakings do not allow black money, black marketing and smuggling to play their role. These undertakings have a very important place in the socialist pattern of society. It has also been stated during the discussion by some of the members that heavy taxation on the corporate sector would wipe out this sector, but it is far from the truth. The increased burden on corporate sector was very nominal, as the tax has been increased from 66.25% to 68.5%.

So far as evasion of taxes are concerned, the Government have to keep a special watch on leaders, capitalists, Industrialists, lawyers, Doctors and Artists. These are the people who evade the payment of taxes. In the Income Tax Department special vigilance all should be created for each of these categories to check all type of tax evasion. There are member of persons who own cars, trucks and motor buses, but they do not pay any taxes. A person with an income less than Rs. 1000/- p. m. can not maintain a car. The income tax department should keep a special watch on these tax evaders.

The condition in the people living in country-side is still miserable and pitiable. The big agriculturists are amassing big wealth, whereas the condition of agriculture labourer is very poor. The agriculture is the biggest industry in our country. The Government should impose tax on the rich agriculturists.

In the matter of taxation, we should not always be guided by sentiments alone. Gandhiji had opposed imposition of salt tax in certain set of circumstances. Now the Government should impose a tax on salt also. The sentiments have to be sacrificed for the sake of national development.

If we want to achieve the goal of socialistic pattern of society, the Government should impose a ceiling on individual property. The property of an individual beyond the ceiling of Rs. 25 crores should be nationalised. After five years the ceiling could be reduced to Rs. 5 crores and later on to Rs. 1 crore and so on.

There is no difference between gambling and State lotteries. These lotteries are spoiling our economy. The Government should do away with these state lotteries.

Many good steps have been taken in this budget, but the prices of essential commodities have gone up considerably after the presentation of the Budget. The Government have not been able to check the rising prices. The Government have to ensure that the common man is able to get the necessities of life.

It is provided in the constitution of India that we would not give any encouragement to casteism, even then our defence forces have been organised on the basis of various castes. There

are regiments like Jat Regiments, Rajput Regiments etc., but it is a matter of great regret that people belonging to scheduled castes are not recruited to the Defence forces. When our Defence Minister could be a person from the scheduled castes, there seems to be no reason why the people of these castes are not considered fit for being recruited to the armed forces.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabna) : It has been stated that the Finance Bill would help in removing the unemployment, property and inequality of incomes in the country.

The Government have made a provision of Rs. 50 crores and Rs. 25 crores for tackling the problem of rural and urban unemployment respectively, but I think that this amount is too meagre to solve the problem. The Government should check wasteful expenditure and allocate more funds for solving the problem of unemployment. Unless this problem is solved, it would not be possible to remove poverty in this country.

There are wide disparities of wealth in our country. If we want to help the poor in the real sense, these disparities would have to be removed. We say that ex-rulers and Princes spend huge sums of money on their routine necessities. The Government have to incur heavy expenses on the Ministers who are modern Maharajas. A ceiling should be fixed for an expenditure on a Minister, otherwise all talk of socialism is meaningless.

It is good that the levy on maida and Coarse cloth has been withdrawn. But after the announcement of these taxes in the budget, the middle men had already earned huge profits.

Unless the development takes place in the rural areas, it is next to impossible to abolish poverty in the rural areas. Small scale industries should be established in the rural areas of the country so that people may get some sort of employment there as well. In my own constituency there are inadequate rail facilities and no industries. More and more industries should be established in the rural areas.

श्री एस० एस० महापात्र (बालासोर) : मैं माननीय श्री चव्हाण द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही श्री चव्हाण ने करों में 15 करोड़ रुपयों की छूट दी है। 5 लाख रुपये की कीमत तक सिले सिलाये कपड़ों का उत्पादन करने वाले उत्पादन केन्द्रों को भी वित्तमंत्री ने कर मुक्त कर दिया है। मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब इस लोक सभा में एक भी सदस्य प्रतिक्रियावादी नहीं होगा।

हमारे देश में शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो रही है। किसी भी समाजवादी देश में किसी भी नेता को इतना व्यापक समर्थन अब तक नहीं मिला है जितना समर्थन श्रीमती इन्दिरा गांधी को गत चुनावों के दौरान मिला है। रूस, इटली, जर्मनी और चीन आदि देशों में खूनी क्रान्ति होने पर ही समाजवाद आ सका है। अब जनता के समर्थन से भारत की 50 करोड़ जनता समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठसीन हुए]
Shri K. N. Tiwari in the chair

सरकार ने ऐसी अर्थ व्यवस्था अपनाई है जो देश को समाजवाद के लक्ष्य की ओर ले जा रही है। गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी। वह गांवों को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे जिससे बेरोजगारी न हो तथा लोग भूखे न रहें। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को भी अपनाया जा सकता है।

यदि हमने नौकरशाही पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया तो हम अपने समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने में बुरी तरह असफल होंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी द्वारा प्रगति के लिये पैदा किया गया जोश हमारे तकनीकी लोग इन्जीनियर आई० ए० एस० और आई०सी०एस० के अधिकारी निष्फल बनाना चाहते हैं।

कुछ दिन पूर्व रूरकेला इस्पात कारखाने में 10,000 वर्ग मीटर की छत गिर जाने से एक भारी दुर्घटना हुई थी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में सभा में बताया था कि ऐसा वर्षा के कारण हुआ। तकनीकी लोगों का भी यही कहना है कि ऐसा वर्षा के कारण हुआ। इस दुर्घटना से एक अरब रुपये की हानि हुई है। इस दुर्घटना की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इस बात में संदेह है कि ये अधिकारी उक्त समिति को स्वतन्त्रतापूर्वक जांच भी करने देंगे अथवा नहीं।

यह मामला हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तक ही सीमित नहीं है ऐसा उन प्रत्येक क्षेत्रों में हुआ है जिनका राष्ट्रीयकरण करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रकृत बैंकों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। एजेंट प्रत्येक ऋण पर 10 प्रतिशत शेयर लेता है। इसमें एजेंट से लेकर चपरासी तक सबका हाथ होता है। समूची व्यवस्था ही भ्रष्टा हो गई है। आज देश को एक उच्चतम प्रशासन की आवश्यकता है।

नकसलवादियों को मारने से नकसलवादी विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें लोगों को इसके विकल्प से अवगत करना चाहिये।

रूस में भी शत प्रतिशत समाजवाद नहीं है। स्टालिन ने प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त रोटी देने की कल्पना की थी लेकिन रूस में आज प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त रोटी नहीं मिलती। श्री चव्हाण का बजट बड़े पैमाने पर परिवर्तन लायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरकपुर) : जहां तक बजट सम्बन्धी प्रस्तावों का सम्बन्ध है। मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अमीर व्यक्तियों और निहित स्वार्थी व्यक्तियों को अप्रसन्न न करने की वही पुरानी नीति का पालन किया गया है।

गत दो वर्षों में सरकार ने 443 करोड़ रुपये के कर लगाये हैं। लेकिन निगमित क्षेत्र और गांवों में रहने वाले समृद्ध व्यक्ति वित्त मंत्री के कर-जाल से बच गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर 4 प्रतिशत से अधिक कर भार नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को छुआ तक नहीं गया है। गांव के सम्पन्न व्यक्तियों और गरीब तथा भूमिहीन लोगों की आय में असमानता और अन्तर बहुत अधिक हो गया है। इसको दूर किया जाना चाहिये।

जनसाधारण द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर भारी कर लगाने और बजट में 235 करोड़ रुपये के घाटे से स्वतः ही मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और हमारी अर्थव्यवस्था के सब पहलुओं में मुद्रा स्थिति सम्बन्धी भीषण दबाव भी उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस सरकार अमीर लोगों को और अमीर बनाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है जिसके परिणामस्वरूप गरीब व्यक्ति और गरीब होते जा रहे हैं।

आयकर की 900 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के वसूल करने के लिए सरकार द्वारा

कोई कार्यवाही नहीं की गई है। काले धन का, जो अनुमानतः 2,000 करोड़ प्रतिवर्ष होता है, पता लगाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं।

विकासेतर व्यय का अधिकतर भाग नौकरशाही, पुलिस और सेना पर खर्च होता है। इस वर्ष सेना पर 1242 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा यह कुल 5983 करोड़ रुपये के बजट का 1/5 भाग है। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को भी कई गुना बढ़ाया गया है। केन्द्रीय सचिवालय के खर्च में भी अनुपात से अधिक वृद्धि की गई है। इसके परिणामस्वरूप विकास योजनाओं की तुलना में योजना से भिन्न व्यय में असाधारण वृद्धि हुई है।

कांग्रेस सरकार ने जो भी प्रयास किये हैं वे सब पूंजीवाद के निर्माण के लिये किये हैं, जिसके कारण गरीब जनता पिसती जा रही है। समाजवाद की बातें कोरा दिखावा और धोखा है। देश की अर्थव्यवस्था अभी भी विदेशी सहायता और ऋण पर ही निर्भर है।

विदेशी कम्पनियां हमारे देश को लूट कर खूब धन कमा रही हैं।

जनसाधारण में गरीबी बढ़ रही है। औद्योगिक नीति में पूर्ण परिवर्तन किया गया है। सरकार द्वारा आवश्यकता के आधार पर मजूरी देने की जो बात की गई थी उसे भी त्याग दिया गया है और अन्न वेतन के स्थिरीकरण की बातें की जा रही हैं। इसके साथ-साथ हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में सरकार दमन की नीति अपना रही है। वहां लोग श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही के सामने आत्म समर्पण नहीं करना चाहते। राज्य में पुलिस राज और आतंक राज को समाप्त किया जाना चाहिए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना को वापस बुला लिया जाना चाहिए। चुनाव की तारीख घोषित की जानी चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता में विश्वास की भावना पुनः पैदा की जानी चाहिए।

केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्धों में सुधार किये जाने चाहिए और राजमन्तार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के शासन में समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सरकार को रोक लगानी चाहिए जिससे कम्पनियां लाभ को विदेशों को न भेज सकें। सब विदेशी कम्पनियों जिसमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लाभ तथा सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये। करों को सख्ती से वसूल करना चाहिये और कर न देने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। निगमित लाभ पर भारी कर लगाना चाहिए। रक्षा व्यय तथा नौकरशाही पर किये जाने वाले खर्च में कमी की जानी चाहिए।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) वित्तीय प्रस्तावों की दो दृष्टियों से आलोचना की गई है। पूंजीपतियों का कहना है कि उच्च आय वाले लोगों पर बहुत अधिक कर लगाया गया है जबकि अन्य लोगों का यह कथन है कि गरीब लोगों पर कर का भार अधिक पड़ा है।

निगमित क्षेत्र पर बहुत कम कर लगाया गया है। बड़ी फर्मों की गत 10 या 15 वर्ष की

पूँजी और सम्पत्ति को देखा जाये तो विदित हो कि उनकी पूँजी और सम्पत्ति में 4 या 5 गुना वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी लेकिन कीमतों में वृद्धि हुई है। उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा इसका गरीबों पर प्रभाव पड़ेगा और वह पिसेंगे।

वित्त मंत्री ने करों में कुछ छूट दी हैं और कुछ वस्तुओं पर कर के भार में कमी की है। लेकिन साबुन तथा अन्य घरेलू वस्तुओं पर लगाये गये कर से गरीब लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेश यात्रा पर कर कम करने के बजाय वित्त मंत्री को साबुन तथा अन्य ऐसी वस्तुओं पर कर कम करना चाहिए।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि लगाई है। लेकिन इससे केवल 53 करोड़ रुपये आय होती है। इनसे कम से कम 250 करोड़ आय होनी चाहिये। फिजूल खर्ची रोकने और अच्छे प्रबन्ध करने से इतनी आय प्राप्त की जा सकती है। निर्धन जनता पर अधिक भार डालने की बजाय सरकार को सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार करना चाहिए और अधिक लाभ कमाना चाहिए।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि बहुत कम है। वित्त मंत्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाये जिससे प्रत्येक गांव में यह धारणा बन जाये कि सरकार शिक्षित लोगों को रोजगार देने के बारे में कार्यवाही कर रही है। यदि बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया तो हमारा लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा।

एक राज्य तथा दूसरे राज्य में भारी असमानता है। एक राज्य के ही विभिन्न भागों में भारी असमानता है। देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 400 रु० है परन्तु देश के कुछ भागों की जनता की औसत आय 125 रुपये है। यह असमानता बुरी बात है। पिछड़े राज्य यह समझते हैं कि उनकी उपेक्षा की जाती है अतः जब तक वह विकसित नहीं हो जाते उनके अनुदान दुगुने कर दिये जाने चाहिए। इसका निर्णय मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुला कर किया जाये। उत्तर बिहार के क्षेत्र की जनसंख्या 2 करोड़ है। उस क्षेत्र की बिजली की औसत खपत 8 यूनिट है जबकि देश की औसत खपत 86 यूनिट है। उक्त क्षेत्र की प्रति वर्ग मील जनसंख्या 1000 है। वहां की रहन सहन की दशा इतनी पिछड़ी हुई है कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

उत्तर बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गन्धक परियोजना 10-12 वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी परन्तु अभी तक भी उसका निर्माण नहीं हो पाया है और न ही आगामी 2-3 वर्ष में होने की कोई आशा है। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या देश की जनसंख्या का पच्चीसवां भाग है। यदि वहां के लोगों को आय का पचासवां भाग भी मिल पाये तो वे संतुष्ट हो जायेंगे।

कुछ लोगों ने कृषि आय पर कर न लगाने के लिए सरकार की आलोचना की है। कृषि भूमि की पहले ही सीमा 10-12 एकड़ निर्धारित कर दी गई है। इसमें से वे लोग अपने बच्चों की कालेज की शिक्षा का व्यय कैसे पूरा करेंगे? वहां पर रबी की फसल उगाई गई है जो वर्षा में नष्ट हो गई। बाद में मकई की फसल उगाई गई और वह भी वर्षा से नष्ट हो गई। वे लोग

कर कहां से दे सकते हैं। उन्हें बीज के मूल्य भी वापस नहीं मिले हैं। सरकार को उन्हें समय पर अच्छे बीज भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे अपना निर्वाह कर पायें।

Shri Bibhuti Mishra (Matihari) : While welcoming the finance Bill N. 2, I would like to stress on the Government to make endeavour to realize outstanding taxes worth 500 crores of rupees.

You have invested 3000 crores of rupees on big factories and crores of rupees are invested on railways even the socialist countries expect return of their invested money. You should at least be able to repay the interest for the borrowed money invested there on.

I request Shri Vajpayee to cancel all the proposed demonstrations and strengthen the lands of the Prime Minister.

Our foreign policy has not proved to be effective. Our Ambassadors in the foreign countries have not proved effective.

A secrecy has been kept in regard to our Military preparedness. You may not disclose the policy but you should take the people into confidence regarding our military preparedness. We should equip ourselves with nuclear weapons.

The Government should try to have understanding with Naxalites. There are our citizens and should be persuaded to come to the right path. The financiers who advance money against purchase of automobiles, you can raise tax upto 18 to 20 percent.

An under-developed country cannot progress without development of agriculture.

The Communist countries developed themselves by killing their population and by under feeding them. We have spent our sterling balances and have also taken loans worth 10000 crores of rupees.

By using English language we have been cheated by English and American people. Please start working in your own language and save the country. When persons who live in air conditioned buildings and travel by air, raise the slogan of socialism it looks amusing.

The vast majority of the people in our country are farmers and thus the Finance Minister should look to their welfare.

When I entered politics most of the leaders of the present day were nowhere.

So long as we maintain our present foreign policy, we cannot succeed.

I would like to stress on the Government to work for the prosperity of the nation.

श्री याज्ञनिक (अहमदाबाद) : मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सम्पन्न सदस्यों ने निर्धन व्यक्तियों के साथ सहानुभूति प्रकट की है। हम लोग 'गरीबी हटाओ' के नारे पर चल कर आये थे। परन्तु मुझे इस बजट से अत्यन्त निराशा हुई है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि वित्त मन्त्री के पास इन करों के लगाने के अतिरिक्त अब कोई चारा नहीं था।

आज हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। श्री जवाहर लाल जी ने बड़े बड़े सरकारी कारखाने स्थापित किये थे परन्तु उनका प्रबन्ध सरकारी अधिकारी करते हैं जबकि इन उद्योगों को पूंजीपतियों का मुकाबला करना पड़ता है। क्या यही समाजवाद है तथा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। वास्तव में हमारे देश में या तो पूंजीवाद है अथवा राज्य-पूंजीवाद है जिसका प्रबन्ध वैसे ही लोगों द्वारा किया जाता है जो निजी उद्योगों के प्रबन्धक हैं।

श्री नेहरू जी के नेतृत्व में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, तथा कम्पनी अधिनियम तैयार

हुआ और उसमें विभिन्न संशोधन हुये हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि कम्पनी अधिनियम में प्रबन्ध निदेशक के लिए अधिकतम लाभ के 10 प्रतिशत की सीमा बाँधी गई है। परन्तु वह भी तो लाखों रुपये बैठती है।

योजनाओं के वर्षों चालू रहने के पश्चात् जब उनका लाभ सामान्य व्यक्तियों को नहीं पहुँचा तो श्री नेहरू जी ने एक आयोग नियुक्त किया था। उक्त आयोग ने भारत में विकसित हो रहे नये एकाधिकारों पर प्रकाश डाला। तब एक एकाधिकार आयोग की नियुक्ति हुई परन्तु उससे पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये अतएव अपेक्षित कार्य नहीं हो पा रहा है।

समाजवाद का वास्तविक अभिप्राय यही है कि सभी उद्योगों, व्यापारों और कृषि उपक्रमों पर समाज का अथवा राज्य का अधिकार हो। आज हम निकृष्ट पूँजीवाद और एकाधिकार पूँजी के शिकंजे में फँस गये हैं।

जैसा कि प्रो० राव ने कहा है इन वर्षों में मुद्रा-स्फीति होती रही है। हम घाटे की वित्तीय व्यवस्था से काम चलाते रहे हैं जिसका परिणाम काला धन है। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे कस्बे में खेती तथा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उद्योगपतियों द्वारा करोड़ों रूपयों का हेर फेर किया जाता है।

यदि मूल्य बढ़े हैं तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या वित्तमन्त्री इसके लिए उत्तरदायी हैं? इस वर्ष गुजरात में मूंगफली की काफी अच्छी फसल हुई थी परन्तु साहूकारों ने क्या किया? उन्होंने मूंगफली के सारे तेल को दिल्ली भेज दिया जिसके कारण गुजरात में तेल के मूल्य बढ़ गये।

यह समाजवाद कब आ रहा है? सरकार बड़े बड़े साहूकारों और उद्योगपतियों की शक्ति छीनने के लिए कब कार्यवाही करेगी? मैं समझता हूँ कि जब तक बड़े बड़े उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में नहीं लिया जायेगा तब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते? आज आर्थिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं है। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में है। इस सभा के हाथ में तो केवल राजनीतिक शक्ति है। इस शक्ति को सरकार को अपने हाथ में शीघ्र लेना चाहिए।

श्री वाई०एस० महाजन (बुलडाना) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह खुशी की बात है कि वित्त विधेयक के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पेश करते समय वित्त मन्त्री ने कर-ढाँचे का सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण करने का जो प्रयास किया है वह स्वागत योग्य है। वित्त विधेयक में राज्य की वित्तीय नीति के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाया गया है और इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि इसमें निवेश की दर में वृद्धि करने के लिए और संसाधन जुटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। वर्ष 1965-66 से गत पाँच वर्षों में—देश में सरकारी क्षेत्र में निवेश की वास्तविक दर में कमी हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रतिकूल बनाने के लिए गत वर्ष काफी प्रयास किया गया था परन्तु व्यय में कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। इस वर्ष निवेश की वास्तविक दर में वृद्धि करने का निश्चित प्रयास किया गया है और जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक हम देश में विकास की दर में वृद्धि नहीं कर सकते अथवा चौथी योजना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं कर सकते अथवा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। वित्त मन्त्री ने इस वर्ष निवेश का प्रस्ताव पेश करने में असाधारण साहस दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष जो निवेश होगा वह गत वर्ष के वास्तविक परिव्यय की अपेक्षा 600 करोड़ रुपये अधिक होगा और यदि वह व्यय की कमी को टाल सके तो यह एक असाधारण उपलब्धि होगी।

वित्त मन्त्री ने हमारी आर्थिक और वित्तीय नीति के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। पहला उद्देश्य यह है कि आय और धन में जो गंभीर असमानतायें व्याप्त हैं उन्हें कम किया जाये और दूसरा करों में जो अपवंचन होता है उसे रोका जाये। उनके प्रस्तावों के परिणामस्वरूप यह माना जा सकता है कि व्यक्तिगत कराधान की सीमान्त दरें विश्व में सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच चुकी हैं परन्तु धन कर में वृद्धि करने के साथ-साथ वह आय और धन पर अधिकतम सीमा लगाने में भी सफल हुये हैं।

स्वभावतः कराधान में जितनी अधिक दरें बनाई जायेगी उतना अधिक ही करों का अपवंचन होगा। हमारे देश की इस पुरानी प्रवृत्ति को रोकने के लिये उन्होंने दो नये प्रस्ताव रखे हैं जिन्हें अभी वैधानिक रूप दिया जाना है। पहला यह है कि सरकार को सम्पत्ति का उस कीमत पर अधिग्रहण करने की शक्ति दी गई है जो कीमत बिक्री करार में उल्लिखित कीमतों के अनुरूप होगी। सम्पत्ति का अधोमूल्यांकन भी धन कर, मुद्रांक शुल्क पूंजी लाभ कर का अपवंचन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

उन्होंने जो दूसरा तरीका बताया है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति उस सम्पत्ति का दावा नहीं कर सकेगा जो उसने किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी हो। इन आमूल प्रस्तावों से कर-अपवंचन की प्रवृत्ति को रोकने में शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा।

हमारी कर-व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष यह है कि कृषि पर बहुत कम कर लगाया हुआ है। वर्ष 1968-69 में गैर कृषि क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र से कम आय हुई है।

निवेश की उच्चतर दर को प्राप्त करने के लिये और कर ढाँचे में समानता लाने के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता कम करने के लिये जो कि कृषि क्रान्ति द्वारा बढ़ी है, यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर दबाव डाले अथवा उनसे अनुरोध करे कि वे कृषि आय पर कर लगाये।

पेट्रोल पर 20 पैसे प्रति लिटर जो कर लगाया गया है उससे काफी भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। कर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में अधिक से अधिक मितव्ययता बरती जाये।

माननीय सदस्यों ने विचार यह व्यक्त किये हैं कि कीमतें बुरी तरह से बढ़ जायेंगी। थोक मूल्य सूचकांक में मूल्य वृद्धि डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत तक हुई है। अगले वर्ष कीमतों के बढ़ने का कोई भय नहीं है क्योंकि इस समय हमें औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में विकास की दरों में संतोषजनक संतुलन लाना है।

कृषि क्षेत्र में भी अच्छे भविष्य की संभावना है। यदि हमारा कृषि उत्पादन अधिक होता है और औद्योगिक उत्पादन में भी अच्छी प्रगति होती है तो कीमतों के अधिक बढ़ने का कोई भय नहीं है।

इस वर्ष महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कृषि का भविष्य अच्छा है। महाराष्ट्र में एक महीने से वर्षा नहीं हुई है। नकद फसल का भविष्य अन्धकारमय है और यदि किसानों को ज्वार तथा बाजरे की फसल भी मिल जाये तो बहुत बड़ी बात होगी। आशा है कि वित्त मंत्री महाराष्ट्र के किसानों की सहायता के लिये उनकी आवश्यकताओं को अपने ध्यान में रखेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) मुझे यह कहने में सन्देह है कि सरकार ने जो भी उपाय किये हैं उनसे बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी अथवा नहीं।

मैं ऐसा क्यों कहता हूँ क्योंकि हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के हमारे प्रमुख उद्देश्य के उपरान्त जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण समस्या अधिक बिगड़ गई है और इससे शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा की कतिपय अत्यन्त आवश्यक समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। उड़ीसा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। केन्द्र को इसे अधिक धन आवंटित करके इसके विकास में रुचि लेनी चाहिये।

उड़ीसा राज्य की प्रमुख समस्या यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उड़ीसा राज्य की 80,85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। हीराकुण्ड परियोजना के अतिरिक्त राज्य की असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधायें देने के लिये कोई अन्य सिंचाई योजना नहीं है। सरकार को आनन्दपुर बैरेज और इन्द्रावती (उपरीय) परियोजना जैसी सिंचाई परियोजनाओं को अपने हाथ में शीघ्र लेना चाहिये अन्यथा उड़ीसा अपने कृषि के पुनर्गठन करने में पीछे रह जायेगा और कृषि क्रांति से किसानों को उचित लाभ देने में समर्थ नहीं हो सकेगा।

उड़ीसा में जो वर्तमान सरकार हैं वह भारत सरकार के किसी प्रकार की भूमि सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों की विरोधी है। केन्द्र को स्वयं इस स्थिति का हल करने के लिये कानून बनाने चाहिये।

उड़ीसा के लिये जितने खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित की गई थी, वह उसके द्वारा कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय खाद्य निगम को दी जा रही है। उड़ीसा की तटीय पट्टी में, अर्थात् मुख्यतः बालासोर और कटक जिलों में, जहाँ राज्य में पर्याप्त मात्रा में पटसन पैदा होता है, कम से कम वनस्पति और पटसन जैसे लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिये केन्द्र को धन देना चाहिये। इससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं वित्त मंत्री के माध्यम से पर्यटन और नागर विमानन मंत्री, डा० कर्ण सिंह से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गोरखपुर को भारत के वायु मानचित्र में रखा जाना चाहिये। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। इस समय दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कलकत्ता वायु सेवा है। इसे आसानी से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर वाराणसी, पटना, कलकत्ता बनाया जा सकता है।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस एक बजट से समाजवाद नहीं लाया जा सकता। यह भी सच है कि वित्त मंत्री ने बजट को समाजवादी बनाने का प्रयास किया है। वह पेट्रोल और सिले-सिलाये कपड़ों पर से कर हटा सकते थे तथा डाक और तार के शुल्क पर हुई वृद्धि को रोक सकते थे। वह धनी लोगों पर कर लगाकर करों की भारी बकाया राशि को जो कि 500 करोड़ रुपये से अधिक है, एकत्रित करके इस हानि को पूरा कर सकते थे। यह आशा की जाती है कि वित्त मंत्री और अधिक कर नहीं लगायेंगे और इन साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

ऊंची कीमतें और मुद्रा स्फीति हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। संसाधन जुटा कर और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर इन्हें दूर किया जा सकता है।

बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि इस समस्या का हल करने के लिये बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वह बहुत कम है। बेरोजगारी समाप्त करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि भूमि को भूमिहीन लोगों में बाँटा जाये और किसी को 10 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न रखने दी जाये।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। यह बुरी दशा में है। मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों की गन्ने की बकाया राशि जो लगभग 53 करोड़ रुपये है, का भुगतान नहीं किया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सरजू रापती और अन्य बड़ी नदियों का लाभ उठाना चाहिए। गंडक परियोजना को फरेन्दा तहसील की सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिए। पटेल आयोग के प्रतिवेदन को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए और गोरखपुर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

भारत कभी भी एक शक्तिशाली देश नहीं बन सकता क्योंकि हमारी सरकार बड़ी-बड़ी विदेशी शक्तियों की सहायता की ओर ताकती रहती है। हमें अपनी स्थल, वायु और नौ सेना में वृद्धि करनी चाहिए और अणु बम बनाने चाहिए। सैनिक दृष्टि से हमें किसी भी हालत में चीन से पीछे नहीं रहना चाहिए।

बंगला देश की समस्या का हल उसे तुरन्त मान्यता देकर और उसे अपना स्वतन्त्रता संग्राम लड़ने के लिए सहायता देकर किया जा सकता है। तभी लाखों शरणार्थी वापस जा सकेंगे।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In the Demands of every Ministry it has been mentioned that they have many programmes but they do not have enough money to implement them. But they should know that Finance Minister alone cannot meet this situation. This should be met jointly. Every ministry should feel its responsibility.

It has been said that our country is poor. A big part of its population is starving. The wealth of the country is concentrating in cities and rural population is becoming poorer day by day. It is therefore, required that the wealth should be decentralized. There is no equal distribution of land. There is also not proper arrangement of irrigation. The Government first of all should try to improve the irrigation facilities so that poverty, and starvation of the poor section of villages could be removed.

Investment of Capital on buildings in big cities should be stopped and proper marketing facilities should be provided to farmers. The money should not be concentrated in the cities only. Now it should be diverted towards villages. There should be control over the marketing of industrial goods, especially household goods.

श्री एस० ए० मुरुगन्थम* (तिरुनेलवेली) : वर्तमान वित्त विधेयक को देखने पर पता चलता है कि इससे प्रत्याशित सामाजिक न्याय और राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास की व्यवस्था का इसमें सर्वथा अभाव है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

यह एक स्वीकृत नीति है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 50 : 50 होना चाहिए। पर यहां अप्रत्यक्ष कर 81% है और प्रत्यक्ष 19% क्या इस प्रकार की कर नीति सामाजिक न्याय प्रदान कर सकती है।

इस वर्ष के बजट से पता चलता है कि हमारे राजस्व और खर्च के सभी पहलुओं में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में यदि विकास योजना का पूंजीगत व्यय 126 करोड़ घटा दिया जाये तो हम देश में आर्थिक विकास की आशा कैसे कर सकते हैं। ऐसी दशा में हम अवन्नति की आशा ही कर सकते हैं उन्नति की नहीं।

देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता उत्पादन के सभी साधनों को सरकारी क्षेत्र में रखने पर ही लाई जा सकती है। परन्तु हम देखते हैं कि देश में सरकारी क्षेत्र में हमारे निवेश दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकारी क्षेत्र के प्रति इस प्रकार के उदासीन रूख से किस प्रकार आर्थिक उन्नति हो सकती है।

आन्तरिक और बाह्य ऋणों के रूप में देश पर 20,246 करोड़ रुपये का ऋण है जिसका अर्थ यह है कि देश 58.4% प्रतिमन राष्ट्रीय सम्पदा के बराबर हम ऋण के भार से दबे हैं।

हमारे देश के नेताओं को चाहिए कि वह जनता के सम्मुख सादगी और मितव्ययता का परिचय दें। हम देखते हैं हमारे नेता कैसा विलासिता पूर्ण जीवन बिताते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों तथा आई०सी०एस० आफिसरों पर लाखों रूपया व्यय होता है। जबकि दूसरी ओर एक चपरासी को सब कुछ मिलाकर 200 रुपये ही मिल पाते हैं तथा एक अपर डिवीजन क्लर्क को 400 रुपये इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मंत्री और सबसे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की आय में 1 : 50 का अनुपात है। मैं नहीं समझता कि सरकार कभी इस दिशा में कोई प्रभावकारी कदम उठायेगी।

सरकार द्वारा करों में दी गई कुछ रियायतों का मैं स्वागत करता हूं। पर उसने आयकर की सीमा बढ़ाकर 7500 रुपये नहीं की है इस कारण उसे थोड़े आय वाले लोगों से आय कर वसूल करने पर अधिक व्यय करना पड़ता। यदि इस सीमा को बढ़ा दिया जाये तो जो शक्ति छोटी आय वाले लोगों से आयकर इकट्ठा करने पर नष्ट होती है उसे अधिक आय वाले लोगों से आयकर वसूल करने पर लगाया जा सकता है। इस बात पर 1967 में भूतल्लिमगम समिति ने भी जोर डाला था। अतः इस सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाये।

पेशर कुकर पर से कर हटा लिया जाना चाहिए। सूती कपड़े के सिले सिलाये कपड़े और सिन्थेटिक कपड़े के कपड़ों में भेद किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से मोटे कपड़े पर दी गई रियायत का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सूती कपड़े के सिले सिलाये कपड़े अधिकतर सामान्य लोग खरीदते हैं।

अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे केवल 60 अंक से अधिक अंक वाले सूत के कपड़े पर ही कर लगाएं। इससे हथकरघा के बुनकरों को भी लाभ होगा क्योंकि वे अधिकतर 60 अंक का सूत उपयोग में लाते हैं। रंगीन सूती साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघा में ही किया जाना चाहिए।

बंगला देश के शरणार्थियों पर हो रहे अत्यधिक व्यय को देखते हुए उसे मान्यता दे देनी चाहिए जिससे कि हम इस व्यय का उचित लाभ उठा सकें।

बकाया आय करों की वसूली के लिये प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए तथा इस सम्बन्ध में ढोल दिखाने वाले अधिकारियों को यदि दण्ड न दिया जाये तो कम से कम उनकी उन्नति नहीं की जानी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस समय भी लगभग वही सब बातें कही गई हैं जो सामान्य बजट की चर्चा के समय कही गई थी अतः मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

यह कहा गया है कि यह बजट एक घिसापिटा बजट है और परम्परागत है किसी भी बजट का उद्देश्य अधिक से अधिक साधन जुटाना होता है। और वह मैंने प्रयत्न किया है। यह सही है कि यदि आवश्यकता न हो तो आय के और साधन जुटाना गलत है और कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। कर लगाना किसी को अच्छा नहीं लगता तथा मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता।

बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में कहा गया है। मैं उन चीजों के मूल्य बढ़ने के लिये अपने आपको अपराधी समझता हूं जिन पर कर लगाए गये हैं। पर मैं देखता हूं कि ऐसी वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े हैं जिन पर कोई कर नहीं लगा। वास्तविकता यह है कि हर कोई बजट का लाभ उठाना चाहता है और उसकी आड़ लेकर मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है। सिगरेट का मूल्य बढ़ा यह तो सही है पर बीड़ी का मूल्य क्यों बढ़ा जब कि उस पर कोई कर नहीं लगाया गया। पर वह बढ़ता है और उसका सारा दोष सहना पड़ता है बेचारे वित्त मंत्री को। हमें इसके कारणों का पता लगाना है। यह सुझाव दिया गया है कि मूल्य नियंत्रण जैसी कोई प्रणाली हमारे यहां होनी चाहिए। कुछ वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित हैं। तथा इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ अन्य के मूल्य नियंत्रित किए गये हैं जैसे औषधियों, मोटरकार और मोटा कपड़ा आदि। कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में औपचारिक मूल्य नियंत्रण है।

मूल्यों को बढ़ने से रोकने का एक अन्य साधन है वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना। जैसा कि खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में हुआ है। जब कि अन्य सब चीजों की कीमतें बढ़ी हैं अनाज की कीमत घटी है। कुछ वस्तुओं जैसे रूई और तिलहनों का उत्पादन घटा है तो हम उसे आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि उनकी कीमतें न बढ़ें। फिर भी यदि मूल्य बढ़ते हैं तो हमें अन्य उपाय खोजने पड़ेंगे।

कुछ वस्तुओं पर नियंत्रण लगाने की बात कही गई है। पर इस देश में इस सम्बन्ध में अनुभव बहुत बुरा रहा है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा उपभोक्ताओं और गरीब लोगों को अत्यन्त कठिनाई होती है। पर फिर भी हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें लोगों में इस प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम हर जगह पुलिस नहीं लगा सकते और न ही पुलिस पर निगरानी रखने के लिए एक अन्य पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है।

जहां तक आर्थिक, वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों और प्रशासनिक उपायों का सम्बन्ध है हमने इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की है।

वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में मेरे ऊपर यह दोष लगाया जाता है कि कुछ मामलों में मैंने करों की मात्रा बहुत बढ़ा दी है। परन्तु यदि वास्तव में मैंने करों के द्वारा घाटा पूरा करने का प्रयास न किया होता तो उसके प्रभाव स्वरूप मूल्य और अधिक बढ़ गए होते।

मूल्य जहां तक अतिरिक्त कर भार के कारण बढ़ें वहां तक तो सरकार उसका उत्तरदायित्व

अपने ऊपर लेने को तैयार हैं परन्तु जहाँ पर मूल्य बढ़ने के अन्य कारण हों वहाँ पर सरकार को उसके मूल कारणों को जानना है और समाप्त करना है।

पिछले 17 वर्षों से विकास छूट दी जा रही थी और तीन वर्षों तक यह छूट और दी जाती रहेगी। वास्तव में विकास छूट की यह बात 1953-54 में कराधान जांच आयोग की सिफारिशों में से उत्पन्न हुई और इसे लागू किया गया परन्तु जब सरकार ने पाया कि इस छूट का दुरुपयोग होता है तो इस में कुछ संशोधन किये गये। देश को इस से लाभ भी हुआ है। देश के औद्योगिक आधार को इस से काफी प्रोत्साहन मिले परन्तु किसी प्रोत्साहन को स्थायी रूप से बने रहने दिया जाए तो उस का महत्त्व समाप्त हो जाता है।

इस पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार के सामने तीन कारण थे। पहला कारण यह था कि स्थापित उद्योगों और नये उद्योगों के प्रति नीति में इसके कारण भेदभाव आता था। स्थापित उद्योगों को जबकि यह छूट एक दम मिलने लगती है दूसरी ओर नये उद्योगों को स्थापित होने के पश्चात भी लाभदायकता की स्थिति प्राप्त करके ही यह छूट मिलनी प्रारम्भ होती है। दूसरे यह भी कहा जाता कि यह छूट पूंजी प्रधान उद्योगों के लिए प्रोत्साहन है। परन्तु देश की बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए इस प्रकार उद्योगों के स्थान पर श्रम प्रधान उद्योगों की अधिक आवश्यकता है। पूंजी प्रधान उद्योग तो आज अच्छी प्रकार से स्थापित है आज तो श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमें इस बात पर विचार भी करना होगा।

इसी संदर्भ में क्षेत्रीय विषमताओं की बात भी की गई है। वास्तव में हर राज्य में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की सूची बनाई है। इन क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक रियायतें दी जाती हैं। सरकार संभवतया इस संदर्भ में भी विकास छूट के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालोर) : सरकार को यह विकास छूट उन नये उद्योगों के देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जो उद्योग पुराने उद्योगों के भाग नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार 1973-74 वर्ष तक इस छूट की राशि के 85 करोड़ रुपये के लगभग होने की आशा है। इसको देखते हुए सरकार का भी यही विचार है कि इस राशि का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में हो सकता है। इस विषय में गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इस छूट को हटा लेने से आसमान गिर गया हो अथवा उद्योगों का विकास रुक गया हो जैसा कि कुछ लोगों द्वारा बिना सोचे समझे कहा जा रहा है। वास्तव में उचित दिशा में विकास के सहायक रूप में यह एक उपकरण है जो कि टांगों के रोगी के लिए चलने में सहारे के रूप में है। वास्तव में इस छूट को समाप्त करके सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि यह उद्योग अपने पैरों पर खड़े हों जिससे इसका उपयोग दूसरी दिशा में प्रगति के लिए किया जा सके।

जहां तक आयकर के बकाया की बात है सदन में कही गई बातें उचित हैं। इस समय आयकर के बकाया की राशि 565 करोड़ रुपये के लगभग है न कि 700 करोड़ रुपये जैसा कि कहा गया है। यह 565 करोड़ रुपये की राशि भी छोटी राशि नहीं है। इस बकाया में से लगभग 60 करोड़ रुपये दस वर्षों से अधिक के बकाया हैं अर्थात् 1960-61 से पूर्व के हैं। 1961-62 से 1968-69 तक की अवधि की बकाया राशि लगभग 285 करोड़ रुपये है और 155

करोड़ रुपये १९६९-७० वर्ष के हैं। बाद के, अर्थात् १९७०-७१ की ६५ करोड़ की राशि को वास्तव में हम बकाया नहीं कह सकते। इस प्रकार बकाया की यह राशि ५०० करोड़ रुपये है।

इसकी वसूली के लिए बहुत ही कठोर उपायों की आवश्यकता है। हमने इसके लिए बहुत ही उग्र अभियान प्रारम्भ किया है और देखना है कि हमें कितनी सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से बकाया की वसूली के कार्य को देखने के लिए जांचे अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की जा रही है। उनके साथ अधिकारी सम्बद्ध किए जाएंगे। सरकार उनके लिए लक्ष्य भी निर्धारित करेगी और उनके कार्य निष्पादन को देखेगी। इस सम्बन्ध में एक ही वर्ष में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती परन्तु यदि सरकार की इस दशा में कुछ प्रगति हो तो इस समय देश के समक्ष कठिनाइयों में से कई स्वयं ही हल हो जायगी। अतः सरकार यही आश्वासन दे सकती है कि सरकार इस बारे में पूरी तरह जागरूक है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : बकाया करों की वसूली के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं परन्तु फिर भी उनमें कुछ ढील है। अतः मेरा यह सुझाव है कि २५—५० लाख रूपयों के बकाया के पुराने मामले लोक लेखा समिति या संसद की किसी अग्र मिति के सामने रखे जाएं जिससे हम यह जान सकें कि इस प्रकार के मामलों में क्या कठिनाइयां हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लोक लेखा समिति के समक्ष ऐसे मामले रखने से यह प्रश्न तो हल नहीं होगा वास्तव में इस प्रक्रिया द्वारा इसमें और समय लगेगा। (अन्तर्वाहण)

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह बताया गया है कि 'द्रुतगामी कार्यक्रम' सफल नहीं होगा। वास्तव में कुछ लोगों का सोचने का ढंग ही ऐसा होता है कि वे असफलता के बारे में ही सोचते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं। हां इस कार्यक्रम में व्यर्थ के व्यय का खतरा अवश्य है परन्तु सरकार को यह देखना है कि ऐसा न हो। इस कार्यक्रम के पीछे मूलभाव ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ऐसे गरीब लोगों को रोजगार देना है जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

योजना परिव्यय के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने पश्चिम बंगाल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की जा रही है। यह वस्तुतः सत्य नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरे बता सकता हूं। यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल के लिए अधिक किये जाने की आवश्यकता है। परन्तु इसके लिए वहां के लोगों तथा राजनैतिक दलों को आपस में सहयोग करके नया वातावरण बनाना होगा।

तथापि केन्द्रीय सरकार ने भी अनेक विकासात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ की हैं। पश्चिमी बंगाल में विकासात्मक कार्यवाहियां केवल राज्य योजनाओं तक ही सीमित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की ३२० करोड़ रुपये की आयोजना में २२१ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है जो कि लगभग ६९ प्रतिशत है। केन्द्रीय करों आदि में पांचवी योजना अवधि के लिए पश्चिम बंगाल का भाग २९७ करोड़ रुपये है जब कि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार १९६६-७१ वर्षों के लिए यह राशि १९७ करोड़ रुपये थी। राज्य योजना के अतिरिक्त कलकत्ता महानगर क्षेत्र में भी एक महत्वशाली कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिस पर चौथी योजना के दौरान १४५ करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की संज्ञा बना है।

स ट ग्रस्त तथा बन्द हो चुके औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पुनः निर्माण निगम स्थापित किया है। उस राज्य में हिंसा के वातावरण के

व्याप्त होते हुए, कारखानों के बन्द होते हुए, राजनैतिक कारणों से उस राज्य से पूंजी हटाए जाने के होते हुए भी वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस बारे में सरकार पर दोष लगाना उचित नहीं है।

मैं यह अनुभव करता हूं कि कर लगाते समय मैंने "कम्पनियों" पर अधिक सख्ती नहीं की परन्तु फिर भी करों का विरोध इस क्षेत्र द्वारा सबसे अधिक किया जा रहा है। इन पर अधिक कर लगाने चाहिए थे।

यह कहा गया है कि सम्पत्ति कर की दर की तालिका में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप उच्चतर स्तर की अपेक्षा नीचे के स्तर पर कर में अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में बताया गया है कि 5 लाख रुपये की सम्पत्ति पर कर में वर्तमान स्तर से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि 1.5 लाख की सम्पत्ति के स्तर पर यह वृद्धि वर्तमान स्तर से 300 प्रतिशत तक है। इसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत मामलों में एक लाख तथा अविभाजित हिन्दू परिवार के मामलों में दो लाख की सम्पत्ति पर पहले जो छूट दी जा रही थी वह समाप्त कर दी गई है। इसके कारण नीचे के स्तर वालों को अब तुलनात्मक रूप से अधिक सम्पत्ति कर देना पड़ेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि दर की तालिका की प्रगतिवादिता में रुकावट आई है। वस्तुतः सम्पत्ति कर की दरें पहले पाँच लाख पर एक प्रतिशत से पन्द्रह लाख रुपये पर 8 प्रतिशत तक हैं। फिर यह भी है कि सम्पत्ति कर के लिए सम्पत्ति की परिगणना करते समय 1.5 लाख तक की वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश, एक लाख रुपये तक के मूल्य की रिहायशी जायदाद में निवेश, 25,000 तक वाहनों, आदि पर व्यय, फर्नीचर तथा घरेलू सामान आदि पर व्यय को निकाल कर की जाती है।

यह कहा गया है कि पिछली तारीख अर्थात् 1.4.1963 से आभूषणों को सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिए छूट की सीमा से निकालना उचित नहीं। परन्तु ऐसा करने के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 5(1)(8) को विचार में लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया कि सम्पत्ति कर के निर्धारण में 'आभूषण' "छूट" की सीमा में आते हैं। परन्तु सरकार का यह मत है कि वर्ष 1963-64 के निर्धारण वर्ष से आभूषणों को भी बिना किसी छूट के सम्पत्ति कर के निर्धारण में सम्मिलित किया जाना चाहिये। दूसरे इस मत के अनुसार सरकार ने 1963-64 वर्ष से सम्पत्ति कर के निर्धारण में आभूषणों पर छूट नहीं दी है। अतः यदि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को देखते हुए पिछली तारीख अर्थात् 1.4.1963 से इस को लागू न किया गया तो उस वर्ष से लेकर अब तक के सम्पत्ति कर के सभी निर्धारणों का पुनरीक्षण करना पड़ेगा तथा उगाहे जा चुके कर को वापस करना पड़ेगा। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन मामलों पर अब पुनः विचार करना होगा जिससे इनसे प्राप्य और कर वसूल किया जा सके। फिर भी इन मामलों पर पुनः विचार करने का काम उससे काफी कम होगा जो इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से न लागू करने से होता। प्रस्तुत विधेयक में आभूषणों की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया है। अब आभूषणों में सोने, चान्दी, प्लेटिनम तथा अन्य कीमती धातुओं अथवा मिश्रित धातुओं के आभूषण सम्मिलित हैं। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि सोने, चान्दी, प्लेटिनम अथवा अन्य कीमती धातुओं से युक्त फर्नीचर, बर्तनों अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में धन-कर से छूट नहीं दी जायेगी। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कर दाताओं को इस बारे में कोई परेशानी न हो। प्रशासनिक अनुदेश जारी करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी। यदि 'आभूषण' की परिभाषा में उक्त

विस्तार न किया जाता तो उसमें कर अपवंचन की काफी गुंजाइश रह जाती। इस व्यवस्था का भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का यही स्पष्टीकरण है।

कुछ माननीय सदस्यों ने काले धन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। निःसंदेह यह एक बहुत बड़ी और पेचीदा समस्या है। यह सच है कि यह काला धन ही नहीं है अपितु काली अर्थ व्यवस्था है जो हमारे देश में चल रही है। यह समानान्तर अर्थ व्यवस्था है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस समस्या का एकमात्र समाधान विमुद्रीकरण है। परन्तु इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वस्तुतः हम उन कारणों पर ध्यान देना चाहते हैं जिनसे यह कालाधन पैदा होता है, इसका एक कारण कर अपवंचन है। कर अपवंचन के भी कई पहलू हैं उनमें से एक के साथ निपटने के लिये हम इसी सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। इसका सम्बन्ध सम्पत्तियों के मूल्यों को कम आंकने से है। कर अपवंचन का दूसरा कारण बेनामी है। प्रस्तावित विधेयक में इन दोनों कारणों से निपटने की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही इस्पात तथा अन्य नियंत्रित वस्तुओं को अत्यधिक मूल्यों पर बेच कर भी कर अपवंचन किया जाता है। फिर डाक्टरों वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों आदि द्वारा अत्यधिक फीस लिये जाने का भी उल्लेख किया गया है। इस मामले के साथ निपटने का भी हम कोई न कोई तरीका निकालेंगे। इसका एक तरीका यह है कर वसूल करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाये। हम उसे सुदृढ़ बनाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। बकाया राशि वसूल करने के लिये हम कुछ अन्य उपाय भी कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मूल्य से कम के बीजक और मूल्य से अधिक के बीजक बनाये जाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने अभी बताया है कि हम कर अपवंचन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उक्त प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अलग समिति भी नियुक्त की गई है। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियंत्रण की कमियां दूर करने के लिए भी, जो काला धन पैदा करने का एक और साधन है, एक कानून बनाया जायेगा। लघु उद्योगों पर हम कोई दबाव नहीं डालना चाहते और वस्तुतः हमने उनको कई रियायतें दी हैं। गरीबी हटाओ कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साधनों का जुटाया जाना अनिवार्य है। रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिए भी नये साधन जुटाना आवश्यक है। हमारी कर व्यवस्था अप्रत्यक्ष करों पर अधिक आधारित है, इसीलिये हमें इस प्रकार के वातावरण का सामना करना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है “कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने और विदेशी यात्रा करके उद्ग्रहणार्थ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सभापति महोदय : खण्ड 2 में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्न यह है :
“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गए
Clauses 3 and 4 were added to the Bill

(खण्ड 5 धारा 1 का संशोधन)

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 44, 45, 46 और 47 प्रस्तुत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस खंड में प्रयुक्त ‘नये’ शब्द के स्थान पर “एक अन्य” शब्द प्रति स्थापित कर दिये जाये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संभवतः माननीय सदस्य इस शंका को दूर करना चाहते हैं कि पूंजी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त की गई पूंजी नई होगी। मैंने इस पर व्योरेवार विचार किया है और यह संशोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है। “नई पूंजी परिसम्पत्ति” शब्दों को उनके संदर्भ में समझना होगा और इसका अर्थ केवल यह है कि पूंजी परिसम्पत्ति वह है जो वर्तमान पूंजी परिसम्पत्ति से प्राप्त की गई है। अतः प्रस्तावित परिवर्तन अनावश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा के मतदान के
लिये रखे तथा अस्वीकृत हुये
The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है “कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बनें”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खंड 6

सभापति महोदय : प्रश्न यह है “कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं संशोधन संख्या 48, 49, 50 और 103 प्रस्तुत करता हूँ मेरा एकाव यह है कि इस खण्ड पर कल विचार किया जाये जिससे इस पर ब्योरेवार चर्चा जा सके ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण आरम्भ कर दीजिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं इस वृद्धि के लिए वित्त मन्त्री को धन्यवाद करता हूँ.....

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Comm'ttee

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार 30 जुलाई, 1971/8 श्रावण, 1893 (शक) के 11 तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July, 30, 1971, Sravana 8, 1893 (Saka)